पंचम माला, खंड 19, अंक 21
Fifth Series, Vol. XIX, No. 21

मंगलवार, 29 अगस्त, 1972/7 भाद्र, 1894 (शक)
Tuesday, August 29, 1972/Bhadra 7, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 19 में अंक 21 से 25 तक हैं / Vol. XIX contains Nos. 21 to 25]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

The is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates a contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 29 अगस्त, 1972/7 भाद्र, 1894 (शक)

No. 21, Tuesday, August 29, 1972/ Bhadra 7, 1894(Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
381 कालिंदी परियोजना का निर्माण	Construction of Kalindi Project ...	1—4
382 अत्याधुनिक मशीनों के आयात के लिए सूती कपड़ा मिल संघ का अनुरोध	Request by Cotton Mills Federation for Importing Sophisticated Machinery	4—6
383 स्वेज नहर के पार माल ले जाने के लिए मिश्र की पेशकश	Egypt's Offer to tranship goods across Suez Canal ...	6
384 तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रस्ताव के बारे में इण्डियन टुबाको एसोसियेशन, गुन्टूर से ज्ञापन	Memorandum from Indian Tobacco Association, Guntur regarding proposal for Tobacco Board ...	6—9
385 राजस्थान में रेलवे लाइनें	Railway Lines serving Rajasthan ...	9—10
386 बिना बिजली वाले गांवों की संख्या	Number of villages without Electricity ...	11—15
387 उड़ीसा में काला सिंचाई परियोजना	Kala Irrigation Project in Orissa ...	15
388 रेल के माल डिब्बों को खाली न कर और उन पन 'डेमरेज' (विलम्ब शुल्क) देकर उन्हें गोदामों के रूप में प्रयोग किया जाना	Detained Wagons being used as Godowns by paying Demurrage Charges ...	15—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ संख्या
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
389 नई नदी घाटी परियोजनाएं	New River Valley Projects	...
390 न्यायालयों के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Judgements of Court in Regional Languages	...
अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
5 उड़ीसा में भूख से हुई मौतें	Starvation deaths in Orissa	...
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIO	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
391 चमड़े और सुअर की चर्बी का निर्यात	Export of Hides and Pig Fats	...
392 मैसर्स चमन लाल ब्रादर्स को आयात लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of import Licence to M/S Chimanlal Bros.	...
393 हथकरघा बुनकरों का प्रतिनिधि मण्डल	Delegation of Handloom Weavers	...
394 मैसूर के कुछ भागों में बिजली फेल हो जाना	Power failure in certain parts of Mysore	...
395 सूडान को रेल डिब्बों (कोच) की सप्लाई	Supply of Rail Coaches to Sudan	...
396 रेल गाड़ियों में तीसरे दर्जे का समाप्त किया जाना	Abolition of III Class on Railways Trains	...
397 चाय उद्योग में सुधार के लिए विशेष उपाय	Special Measures to Improve Tea Industry	...
398 उत्तर बिहार में अधवाड़ा परियोजना में प्रगति	Progress of Adhwara Project in North Bihar	...
399 उड़ीसा के लिए मंजूर की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium Irrigation Projects approved for Orissa	...
400 बांधों के निर्माण के फलस्वरूप कट रही भूमि तथा गांव	Acrease of Land and Number of Villages eroded due to construction of Dams	...
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3780 सचदेव समिति के निर्णय	Decisions of Sachdev Committee	...

विषय	Subject		पृष्ठ संख्या/Pages
प्र० संख्या । . Nos.			
ग्रदरा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित रोजगार	Regular Employment to Casual Staff at Adra (South Eastern Railways)	...	37—38
भोजुडीह (दक्षिण पूर्व रेजवे) में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए पीने का पानी	Drinking Water for Railway Staff Quarters at Bhojudih (South Eastern Railway)	...	38
पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसरों के चयन के बारे में जांच	Investigation into the selection of Claim Tracers on Western Railway	...	38—39
मुख्यालय (पश्चिम रेलवे) के दर अनुभाग में वाणिज्यिक निरीक्षक	Commercial Inspectors Rates Section Headquaters Office (Western Railway)	...	39
बिजली में कटौती करने के लिये राज्य विद्युत बोर्डों को निदेश	Directive to State Electricity Board for Curtailing Electricity	...	39—40
ब्रह्मपुत्र नदी पर काबू पाने के बारे में बंगला देश के साथ वार्ता	Discussions with Bangladesh for controlling Brahmaputra	...	40
लोको रनिंग स्टाफ का इन्टेन्सिव कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण	Intensive Classification for Staff of Loco Running Staff	...	40—41
माल डिब्बे तोड़ने वालों तथा उनके समर्थकों के एक गिरोह का पता लगाना	Unearthing of a Gang of Wagon Breakers and their Supporters	...	41
शक्ति चालित करघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को ऋण	Credit to Powerloom Weavers' Cooperative Societies	...	41
स्टेनलेस स्टील के लिए आयात लाइसेंस देना	Issue of Import Licences for Stainless Steel	...	41—42
पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Pong Dam Oustees	...	42
खनिजों का निर्यात	Export of Minerals	...	42—43
बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला खानों के बन्द होने की स्थिति	Coal Mines in Bihar and West Bengal facing cloure	...	43—44
रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम तथा एम. एम. टी. सी. के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidlines for STC and MMTC in Meeting Defence Requirements	...	44

विषय	Subject	पृष्ठ संख्या/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
3795 पश्चिम बंगाल में दीघा के समुद्री तट को कटाव से बचाने के लिए कार्यवाही	Steps to save sea beach at Digha in West Bengal from Erosion ...	44—45
3796 मैसर्स चमन लाल एण्ड कम्पनी के समर्थन में प्रचार	Canvassing Support in favour of M/S Chamanlal and Co. ...	45
3797 डेल्टा प्रोजेक्ट, नीदरलैण्ड के निदेशक श्री एच.ए. फागुसन द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendation made by Sbri H. A. Fergusons Director, Delta Project, Netherlands ...	45—46
3798 कपड़ा मिलों का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Textile Mills ...	46—47
3799 पूर्वी रेलवे का हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय की ओपरेटिंग एकाउन्टस ब्रांच में हुई अनियमितताओं की जांच	Enquiry into the Irregularities in operating Accounts Branch D S. Office Howrah (Eastern Railway) ...	47—48
3800 चमड़े के निर्यात के लिये बिहार में केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Centres in Bihar for Exporting Leather ...	48
3801 कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले तापीय विद्युत संयंत्र	Thermal Power Plants managed by Companies ...	48—49
3802 लोक सभा के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अत्यधिक व्यय किये जाने के कारण कदाचार	Malpractices due to Over spending by Candidates in Election to the Lok Sabha ...	49—50
3803 केरल से रेलवे सुरक्षा दल में भर्ती	Recruitment to RPF from Kerala ...	50
3804 चौथी योजना में राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा चरण सम्मिलित करना	Inclusion of Second Stage of Rajasthan Canal Project in Fourth Plan ...	50—51
3805 अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय में बदलना	Conversion of All India Handloom Board into Statutory Body ...	51
3806 मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग	Silk Industry in Madhya Pradesh ...	51—52
3807 रेशम तथा रेशमी कपड़े का उत्पादन	Production of Silk and Silken Cloth ...	
3808 विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में भारत का भागीदार होना	Indian Participation in Joint Ventures Abroad ...	52—53

विषय	Subject		पृष्ठ संख्या/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
3809 तेनू घाट बांध परियोजना से पश्चिम बंगाल को पानी की निःशुल्क सप्लाई	Supply of Water from Tenu Ghat Dam Project to West Bengal Free of Cost	...	53
3810 22 अप ऐक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच के बारे में झांसी के मुनसिफ के न्यायालय द्वारा रोक आदेश जारी किया जाना	Stay Orders issued by Munsif's Court Jhansi in regard to an enquiry into the accident to 22 UP Express	...	53—54
3811 मेसर्स कोठारी एण्ड संस, मद्रास के विरुद्ध आरोप	Allegations against M/S Kothari and Sons, Madras	...	54—55
3812 रेलवे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया	Criteria for appointment of Railway Advocates	...	
3813 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकटों के दो बंडलों का गायब हो जाना	Loss of two Bundles of Tickets from New Delhi Station	...	55
3814 धर्म सम्बन्धी भारतीय पुस्तकों की विदेशों में मांग	Demand in Foreign Countries of Indian Books on Religion	...	55—56
3815 सिल्क वार्म सीड में सुधार हेतु सेक्स सैपेरेटरों का आयात	Import of Sex Separators for Improving Silk Worm Seed	...	56
3816 दिसम्बर, 1971 के युद्ध के दौरान जहाजों का पकड़ा जाना	Seizure of Ships, during Hostilities of December, 1971	...	56—57
3817 निर्यात व्यापार में प्रगति	Progress in Export Trade	...	57
3818 बढ़िया किस्म के और मोटे कपड़े के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Fine and Coarse Cloth	...	58
3819 रबड़ के रक्षित भण्डार	Buffer Stock for Rubber	...	58
3820 ऊनी कपड़ा उद्योग में अत्यधिक लाभ पर रोक	Curb on Profiteering in Woollen Industry	...	58—59
3821 राज्य व्यापार निगम से कपड़ा बनाने वाली पुरानी मशीनें खरीदने वालों को आयात लाइसेंस देना	Import Licence to Buyers of old Textile Machines from STC	...	59
3822 आंध्र प्रदेश में रुई की खरीद से एजेंट द्वारा लाभ अर्जित किया जाना	Agents making Profits from Cotton Purchases in Andhra Pradesh	...	59—60

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
3823	एक्सप्रैस और डाक गाड़ियों में डिब्बों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण तीसरे दर्जे में बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधाएं	Inconvenience to Third Class Unreserved Passengers due to Inadequacy of Coaches in Express and Mail Trains ...	60
3824	नागार्जुन सागर और श्रीसैलम परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेना	Takeover of Nagarjunasagar and Srisailam Projects ...	61
3825	आंध्र प्रदेश को निवेली से बिजली का हिस्सा दिया जाना	Sharing of Power from Neiveli by Andhra Pradesh ...	61—62
3826	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदनार्थ भेजी गई बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes sent by Madhya Pradesh Government for Approval ...	62
3827	सतना-रीवा-बियोहरी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Satna-Rewa-Beohari Railway Line ...	62
3828	हरसाना कलां रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रेलगाड़ियों को रोके जाने की व्यवस्था	Provision of Halts of Trains at Harsana Kalan Railway Station (Northern Railway) ...	62—63
3829	दिल्ली-अहमदाबाद मेल के दिल्ली ओखा डिब्बे में संसद सदस्यों के लिए कोटा निर्धारित करना	Quota for Members of Parliament in Delhi-Okha Compartment of Delhi-Ahmedabad Mail	63
3830	प्रतिदिन एक हरिजन बस्ती में बिजली लगाना	Electrification of One Harijan Basti each day ...	64
3831	सूखाग्रस्त राज्यों में पंम्पिंग सेट लगाना	Installation of Pumping Sets in Drought affected States ...	64
3832	राजस्थान में व्यापारियों द्वारा माल डिब्बों की मांग	Demand for Wagons by Traders in Rajasthan ...	64
3833	राजस्थान में रेलवे अस्पतालों में दवाइयों के अपर्याप्त भंडार	Inadequate stock of Medicines in Railway Hospitals in Rajasthan ...	64—65
3834	राजस्थान नहर के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan Canal ...	65
3835	हरियाणा और पंजाब में असिंचित कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in Haryana and Punjab not covered by Irrigation ...	65

विषय		Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.				
3836	भूतपूर्व एस. एस. लाइट रेलवे को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा मांगी गई सहायता	Help sought by the Chief Minister, U. P. to run former S. S. Light Railway	...	66
3837	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने की मांग	Demand for Submission of Pay Commission Report	...	66--67
3838	अमरीका से अंग्रेजी फिल्मों का आयात	Import of English Films from USA	...	
3839	उत्तर रेलवे जोन की अनौपचारिक परामर्श दात्री समिति की बैठकें	Meetings of Northern Railway Informal Consultative Committee	...	67
3840	अनर तथा गुलेर स्टेशनों के बीच कांगड़ा घाटी रेलवे के लिए नया मार्ग	New Aligment for Kangra Valley Railway between Anur and Goler Stations	...	67—68
3841	डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाये जाने वाले मार्ग	Dieselisation of Train	...	68
3842	मुख्य रेलगाड़ी परीक्षकों के पद वनाने का प्रस्ताव (पूर्व रेलवे)	Proposals to create Posts of Head Train Examiners on Eastern Railway	...	68—69
3843	उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई परियोजना	Delta Irrigation Projec: in Orissa	...	69
3844	इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मेरठ में तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में पीठ	Benches of Allahabad High Court at Meerut and Rajasthan High Court at Jaipur	...	
3845	भाद्रन वासो लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Cenversion of Bhadran Vaso Line into Broad Gauge	...	69—70
3846	नारियल जटा निर्यात पर केरल सरकार की आपत्ति	Objection from Kerala Government to Canalisation of Coir Exports	...	70
3847	कोचीन से कालीकट तक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उदघाटन करने पर खर्च की गई धनराशि	Amount Spent on Inaugural Ceremony of New Express Train Service between Cochin and Calicut	...	70
3848	जमाई मछली (श्रम्प) का अमरीका को निर्यात करने वाली मैसर्स यूनियन कारबाइड (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में जांच	Enquiry into M/S Union Carbide (India) Limited, New Delhi, exporting Shrimps to America	...	71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		

3849	दिल्ली से कोचीन और दिल्ली से मंगलौर तक विशेष गाड़ियां चलाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध	Request from Kerala Government to run Special Trains from Delhi to Cochin and Delhi to Mangalore ...	71
3850	कोटा तथा रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Employees in Kota and Ratlam Division (Western Railway) ...	71—72
3851	रेलवे वर्कशाप स्टोर्स तथा स्टाक यार्डों से रेल वस्तुओं की चोरी	Theft of Railway Goods from Railway Workshop Stores and Stock-yards ...	72
3852	मई, 1972 में रतलाम से हुआ अखिल भारतीय गार्ड्स काउन्सिल का सम्मेलन	Conference of All India Guards Council at Ratlam in May; 1972 ...	72—73
3853	रेलवे में माली चोरी के रोकने के लिये कुत्ता दस्ता पद्धति लागू करना	Introduction of Dog Squad System to Check Pilferages and Thefts of Goods on Railways ...	73
3854	ढाका द्वारा आयात नीतियों को उदार बनाना	Liberalisation of Import Policies by Dacca ...	74
3855	अधिक रेलवे जोनों का बनाया जाना	Creation of more Railway Zones ...	74
3856	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में तापीय विद्युत परियोजना	Thermal Power Project at Ghorakhpur (U. P.) ...	74—75
3857	सिंचाई कार्यक्रम	Irrigation Programme ...	75
3858	रेल लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Lines ...	75—76
3859	चिकित्सा व्यय की भरपाई	Re-imbursement of Medical Expenditure ...	76
3860	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के जनेरेशन इंजीनियर्स एण्ड सुपरवाइजर्स एसोसियेशन की मांगें	Demands of DESU Generation Engineers and Supervisors' Association ...	76
3861	दिल्ली, नई दिल्ली और सराय रोहिल्ला स्टेशनों से सफाई इन्स्पेक्टरों का तबादला	Transfer of Sanitary Inspectors from Delhi. New Delhi and Sarai Rohilla, Stations ...	76—77
3862	इलायची उत्पादकों को झारा और विशिष्ट उपकरणों की सप्लाई की योजना	Scheme to supply Sprinkler and Specialised Equipments to Cardamom Growers ...	77

विषय		Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या				
U.S.Q. Nos.				
3863	निर्यात बढ़ाने हेतु सात दलों द्वारा विदेशों का दौरा	Seven Teams' Visit Abroad for Boosting Exports	...	77—78
3864	राज्यों की निर्यात क्षमता	Export potential of States	...	78—79
3865	श्रीलंका और मलेशिया पर अध्ययन	Studies on Ceylon and Malaysia	...	79
3866	नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद की निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण	Survey of Export Potential of Coir and Coir Products	...	79—80
3867	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में छुट्टी रिजर्व सिगनल निरीक्षक और सहायक सिगनल निरीक्षक	Leave Reserve Assistant Signal Inspector and Signal Inspectors, Delhi Division (Northern Railway)	...	80
3868	केन्द्रीय सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण गन्डक, कोसी तथा अन्य परियोजनाओं की प्रगति में बाधा	Gandak Kosi and other Projects Hampered due to Indifferent Attitude of Central Government	...	81
3869	रेशम, अभ्रक, चाय और जूट का निर्यात	Export of Silk, Mica, Tea and Jute	...	81—82
3870	मध्यस्थ निर्णय के लिए रेल प्रशासन को आवेदन करने वाले ठेकेदारों की संख्या	Number of Contractors who applied to the Railway Administration to grant arbitration	...	82
3871	वर्ष 1972-73 में रेलवे के लिए इस्पात की आवश्यकता	Steel requirements for Railways during 1972-73	...	82—83
3873	रेलवे में आरक्षण और बुकिंग सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	Report by Committee on Reservation and Booking on Railways	...	83
3874	मेसर्स चिम्मनलाल एण्ड ब्रदर्स के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiry against M/S Chimanlal & Bros	...	83—84
3875	ईरान को वैगनों की सप्लाई	Wagon Supply to Iran	...	85
3876	ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to connect Brahmaputra with Ganga	...	
3877	पटसन के निर्यात में हानि	Loss in Jute Export	...	85—86
3878	रेलवे बोर्ड के अधिकारी तथा कृत्यों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers and functions of Railway Board	...	86

अता० प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
3879	स्कूल चैक पास सुविधा को पुनः प्रारम्भ करना	Restoration of School cheque pass facility	...	86
3880	धनबाद स्थित प्रभागीय अधीक्षक के कार्यालय की कार्मिक शाखा में लिपिकों को मानदेय राशि देना	Grant of honorarium to clerks in personnel branch of DS Office, Dhanbad	...	86—87
3881	न्यायालयों में मुकदमा हार जाने वाले कर्मचारियों को अदायगी	Payment to Employees for cases lost in courts of law	...	87
3882	पंजाब में बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण कारखानों का बन्द होना	Closure of factories due to cut in electricity supply in Punjab	...	87
3883	पहली श्रेणी के कम्पार्टमेंट को जालन्धर छावनी में फ्रन्टियर मेल से काटकर होशियारपुर जाने वाली रेलगाड़ी के साथ जोड़ना	Attaching of first class compartment to Hoshiarpur bound train at Julundur Cantt.	...	88
3884	तीन वर्षों से अधिक समय से उच्चतम न्यायालय में अनिर्णित पड़े मामले	Cases pending in Supreme Court for more than three years	...	88
3885	रेल में बिना टिकट यात्रा के जुर्माने को कम करना	Reduction of penalty for ticketless travel on Railways	...	88
3886	बंगला देश से व्यापार करने के लिए गैर सरकारी उद्योगपतियों को प्रोत्साहन	Encouragement to private Industrialists to have business with Bangladesh	...	88—89
3888	ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत कलस्टर योजनाएं	Cluster Schemes sanctioned under rural electrification	...	89
3889	डीजल वर्कशाप, रतलाम में तालाबन्दी की घोषणा	Lock out declared in Diesel Workshop Ratlam	...	89—90
3890	अजमेर डिवीजन, पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टरों का तबादला रद्द किया जाना	Cancellation of Transfers of Station Masters on Ajmer Division, Western Railway	...	90
3891	मेवा के आयात के लिए आयात लाइसेंस	Import Licences for Import of Dry Fruits	...	90—91
3892	लूनी जंकशन (उत्तर रेलवे) के प्लेटफार्मों पर शैडों की व्यवस्था करना	Provision of Sheds on Platforms at Luni Junction (Northern Railway)	...	91—92

विषय		Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.				
3893	विधि आयोग के सदस्यों के नामांकन की कसौटी	Criteria for nomination of Members to Law Commission	...	92
3894	राजस्थान के लिए कोयला वैगन	Coal Wagons for Rajasthan	...	92—93
3895	देश में सिंचाई सुविधाएं देने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	Centrally sponsored scheme for Irrigation facilities in the Country	...	93
3896	कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना के लिए नई नियुक्तियां	Fresh recruitment for Calcutta Tube Railway Project	...	93—94
3897	भारत बंगला देश व्यापार करार की क्रियान्विति के लिए एजेंसियों की स्थापना	Setting up of Agencies for Implementation of Indo-Bangladesh Trade Agreement	...	94—95
3898	चाय बागानों की समस्याओं के बारे में बरुआ समिति	Borooah Committee on Tea Problems	...	95—96
3899	काफी की कीमतों में वृद्धि	Increase in Coffee Prices	...	9[illegible]
3900	पश्चिमी घाटों का सर्वेक्षण	Survey of Western Ghats	...	96—97
3901	आस्ट्रेलिया और अमरीका में पटसन की निर्यात मंडी न रहना	Loss of Export market for Jute in Australia and USA	...	97
3902	कपड़ा उद्योग का विस्तार करने के लिए कपड़े का अनिवार्य निर्यात	Compulsory Textile exports for Expansion of the industry	...	97—98
3903	समुद्री कटाव को रोकने का कार्य राष्ट्रीय परियोजना के रूप में किया जाना	Taking up of anti sea erosion work as a national project	...	98—99
3904	कोचीन ओलवाकोट के बीच दोहरी लाइन बिछाया जाना	Doubling of Cochin Olavakkot Railway Line	...	99
3905	गोंदिया रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर चक्रधरपुर यात्री और एक इन्जन की टक्कर	Collission of an engine with the Chakradharpur passenger train at Gondia Railway Station (South Eastern Railway)	...	99—100
3906	पंजाब को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of electricity to Punjab by DESU	...	100
3907	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से चलचित्रों का आयात/निर्यात	Import/export of films through IMPEC	...	100

	विषय	Subject		पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.				
3908	रुई के मूल्य स्थिर रखने के लिए कार्यवाही	Steps to stabilise Cotton Prices	...	101
3909	कपड़ा निगम के अध्यक्ष (चेयरमैन) की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Textile Corporation	...	101—102
3910	राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष भत्ता	Special allowance to officers and Staff working on Rajdhani Express	...	102
3911	रेलवे के जोनल मुख्य अधिकारियों की बैठक	Meeting of Zonal Chiefs of Railways	...	102—103
3912	भारत और श्रीलंका के बीच विद्युत का आदान प्रदान	Exchange of Power between India and Sri Lanka	...	103
3913	राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेलवे का पास जारी करने में असमानता	Disparity in issue of retirement passes to gazetted and non-gazetted officers	...	103
3914	चालू वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य में संशोधन	Revision of export target for current year	...	104
3915	दिल्ली में विद्युत के उपभोग में कटौती	Cut on Power consumption in Delhi	...	104
3916	रुई प्रतिनिधि मंडल द्वारा काहिरा की यात्रा	Cotton Delegation's visit to Cairo	...	104—105
3917	विद्युत सप्लाई के लिए हिन्दलको से अनुरोध	Hinndalco Request for Power Supply	...	105—106
3918	सेंट्रल अस्पताल (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली में प्रसूति के मामलों में मेहतरानी द्वारा दायी का काम करना	Delivery cases in Central Hospital (Northern Railway) New Delhi Handled by Sweepers	...	106
3919	जूट और कृत्रिम रेशे के बीच प्रतिस्पर्धा	Competition between Jute and Synthetics	...	106
3920	रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में फार्मासिस्ट के कार्य	Duties of Pharmacists in Railway Hospitals/Health Units	...	107
3921	अपर कृष्णा परियोजना का निर्माण	Construction of Upper Krishna Project	...	107

विषय		Subject		पृष्ठ/Page
अता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. Nos.				
3922	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त स्थान	Vacancies of Judges in Supreme Court	...	107—10
3923	फिल्मों का आयात करने सम्बन्धी नीति	Policy for Importing Films	...	10
3924	उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करने के लिए कसौटियां	Criteria for fixing the Terms of Ad Hoc Appointment of retired Judges to the Supreme Court	...	1
3925	मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of High Court Judges in Madhya Pradesh	...	108—10
3926	रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान	Compensation paid to the families of Persons involved in Railway Accidents	...	10
3927	नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने भाग का भुगतान	Payment of Share by Madhya Pradesh Government for conducting Survey for New Railway Lines	...	1
3928	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में महानदी, हकलात तथा इन्द्रावती नदियों में बाढ़	Floods in Mahanadi, Haklat and Indravati Rivers in Bastar District of Madhya Pradesh	...	109—1
3929	आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान	Grant to Madhya Pradesh for Electrification of Tribal Areas	...	1
3930	पन बिजली चालित रेलगाड़ियां	Hydroelectric Powered Trains	...	110—11
3931	सियूल परियोजना की प्रगति	Progress of Seul Project	...	1
3932	जापान को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports to Japan	...	1
3933	छतरपुर मध्य प्रदेश की रनगुवा नहर योजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के बीच मध्यस्थता	Mediation between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh regarding Ranguwa Canal Scheme of Chhatarpur, Madhya Pradesh	...	111—1
3934	सिन्धु नदी परियोजना की रिपोर्ट	Sindh River Project Report	...	1
3935	पायरी नदी परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Pairi River Project	...	1

विषय		Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.				
3936	मध्य प्रदेश में तापीय बिजलीघर स्थापित करना	Setting up of Thermal Power Station in M. P.	...	112—113
3937	केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में भर्ती नीति	Recruitment Policy in CWPC	...	112
3938	मोकामेह (पूर्वी रेलवे) में गंगा पर राजेन्द्र पुल	Rajendra Bridge over Ganga at Mokameh (Eastern Railway)	...	113—114
3939	विदेश व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन	Structural Changes in Foreign Trade	...	114—114
3940	श्रेणी रहित रेल गाड़ी सेवा	Class-Less Train Service	...	115
3941	रेलवे में ब्रेक डाउन भत्ते के स्थान पर दैनिक भत्ता दिया जाना	Payment of Daily Allowance in lieu of break down allowance on Railways	...	115—116
3942	दिल्ली क्षेत्र तथा आगरा में टेली-फोन एक्सचेंजों, वायरलैस वर्क-शापों आदि का अनुरक्षण	Maintenance of Telepnone Ex-changes Wireless Workshops etc. in Delhi Area and at Agra	...	116
3943	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया की उपयुक्तता	Suitability of the Present Method of Appointment of High Court Judges	...	116
3944	कलकत्ता में बार-बार बिजली का फैल हो जाना	Repeated Power failure in Calcutta	...	116—117
3945	दक्षिण रेलवे में पटाखों आदि की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की मांग	Demand for Wagons to move Crackers (Southern Railway)	...	117
3946	पटना उच्च न्यायालय में न्याया-धिपतियों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Puisne Judges in the High Court of Patna	...	118
3947	बख्तावरपुर राजगिरी लाइन का नया वजीरगंज अथवा पाइमर (पूर्व रेलवे) तक विस्तार	Extension of Bhakhtawarpur Rajgiri line upto Gaya Wazir-ganj or Paimar (Eastern Railway)	...	118
3948	पूर्व रेलवे, धनवाद में भ्रष्टाचार की शिकायतें	Complaints of Corrupt practices in Eastern Railway, Dhanbad	...	118—119
3949	डी. आर. एस. (टी) धनवाद द्वारा ट्राली का प्रयोग	Use of Trolly by DOS (T) Dhanbad	...	119

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.

3950	धनबाद डिवीजन में फरवरी, 1971 में बफादार कर्मचारियों को दिये गये नकद पुरस्कार के मामले में भ्रष्टाचार संबंधी अभ्यावेदन	Representation reagarding corruption in the matter of cash reward to loyal workers in February, 1971 Strike in Dhanbad Division ...	119
3951	डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट धनबाद (पूर्व रेलवे) के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पुत्रों एवं आश्रितों में से प्रतिस्थानियों की नियुक्ति	Appointment of subsitutes from amongst the sons and dependents of Ministerial Staff DS Dhanbad (Eastern Railway) ...	119—120
3952	आल इण्डिया रेलवेज मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन से मुख्य खनन सलाहकार, धनवाद को अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Ministerial Staff Associaction to Chief Mining Adviser. Dhanbad ...	12
3953	आल इण्डिया मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिऐशन द्वारा मुख्य खनन सलाहकार धनवाद, को दिया गया मांग पत्र	Charter of demands by All India Railway Ministerial Staff Assoeiation presented to Chief Mining Adviser, Dhanbad ...	12
3954	पूर्व रेलवे के धनवाद डिवीजन में कर्मचारियों की मुअत्तली और निर्वाह भत्ता बढ़ाना	Suspension of Staff in Dhanbad division of Eastern Railway and enhancement of subsistence allowance ...	12
3955	डिवीजनल प्राधिकारी, धनबाद के विरुद्ध अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन के अध्यक्ष का अभ्यावेदन	Representation by President, All India Station Masters' Association against divisional authority Dhanbad ...	121—12
3956	डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा चलाई गई प्रोढ़ शिक्षा योजना	Adult Education Scheme Sponsored by Divisional Railway Employees' Coordination Committee, Dhanbad ...	1
3957	डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद का अभ्यावेदन	Representation from Divisional Railway employees coordination committee , Dhanbad ...	12
3958	पूर्व रेलवे के अधिकारियों और वरिष्ठ अधीनस्थों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दुरुपयोग	Misuse of Class IV Staff by Officers and senior sub-ordinates of Eastern Railway ...	1
3959	चीफ क्लर्क, परिवहन शाखा, डी. एस. कार्यालय धनबाद के बचाव के लिये रेलवे वकील की नियुक्ति	Appointment of Railway Advocate to defend chief clerk, Transport Branch, DS Office, Dhanbad ...	1

प्रता० पृ० संख्या J. S. Q. Nos.	विषय	Subject		पृष्ठ/Page
3960	डिवीजनल अधीक्षक कार्यालय स्टाफ केन्टीन समिति के चुनाव	Election to DS Office, staff canteen committee	...	123
3961	डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संकल्प	Resolutions for elimination of corruption passed by conventions held under the auspices of divisional railway employees coordination committee	...	123—124
3962	डिवीजनल रेलवे एम्पलाईज कोआरडीनेशन कमेटी, धनवाद से ज्ञापन	Memorandum from divisional railway employees' coordination committee Dhanbad regarding Specific Cases of Corruption	...	124
3963	धनबाद से प्रकाशित 'न्यू ट्रेंड इन ट्रेड यूनियन मूवमैंट 'इन रेलवेज' नामक स्मारिका	Souvenir, New Trend in Trade Union Movement in Railways' published from Dhanbad	...	124
964	रेलवे क्लबों तथा संस्थानों में एसोसिएशनों/परिषदों यूनियनों के रेलवे कर्मचारियों की सभायें	Holding of meetings of Associations/Councils/Unions of Railway-men in Railway Clubs and Institutes	...	124 –125
965	रेलवे संस्थान तथा क्लब के ठेकेदारों द्वारा आयोजित सिनेमा शो	Cinema show in Railway Institute and Club by contrcators	...	125
966	रेलवे इंस्टीट्यूट तथा क्लब	Railway Institutes and Clubs	...	125—126
967	रेल गाड़ियों (पूर्वोत्तर रेलवे) में गार्डों द्वारा नकद राशि (केश) ले जाते समय उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था	Safety for carrying cash by Guards on Trains (North Eastern Railway)	...	127
968	विदेशी मंडियों में भारतीय निर्यात माल की प्रतियोगिता	Competition of Indian Export items in Foreign Markets	...	127—128
969	राजस्थान में बिजली की कमी	Shortage of Power in Rajasthan	...	128
970	अभ्रक के लिए निर्यात आदेश	Export Orders for Mica	...	128
971	छतरा हजारी बाग से होकर गया बड़काना मार्ग के लिए सर्वेक्षण	Survey for Gaya Barakana Raute via Chatra Hazaribagh	...	128—129
972	भारतीय रेलों के मार्गों का विस्तार	Increase in Mileage of Indian Railway	...	129
973	पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग की बुरी हालत	Bad shape of Tea Industrv in West Bengal	...	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3974 चाय निर्यात की समस्याओं के बारे में सरकार को ज्ञापन	Memorandum to Government regarding Problems of Tea Exports ...	130
3975 चालू वर्ष में कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Raw Jute in current year ...	130—131
3976 बड़ी सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for major irrigation and power schemes ...	191—132
3977 भारतीय उत्पादकों के लिए नई मंडियां	New markets for Indian products ...	132
3978 राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 35 मिलों का आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम	Programme to modernise 35 mills NTC ...	132—133
3979 अवमूल्यन से पूर्व आयात निर्यात लाइसेंसों को पुनः वैध बनाना	Revalidation of pre-devaluation Import and Export licences ...	133
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ...	133—153
संसद सदस्य द्वारा प्रदर्शन के बारे में	Re Demonstration by Member of Parliament ...	153—154
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ...	154—155
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ...	155
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Delhi University (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha ...	156
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	156
50 वां प्रतिवेदन	Fiftieth Report ...	156
विधेयक पुरःस्थापित	Bills introduced—	
(1) चूना पत्थर और डालोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक	Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill ...	156—157
(2) विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill ...	157

एक सदस्य द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों के बारे में	Re Use of certain Words by a Member	...	157—158
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General), 1972-73	...	158
श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	...	159—160
श्री बी. आर. शुक्ल	Shri B. R. Shukla	...	160
श्री आर. वी. बड़े	Shri R. V. Bade	...	160—161
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	...	161
श्री के. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	...	161—162
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...	162
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	...	162—166
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	...	166
श्री के. आर. गणेश	Shri K. R. Ganesh	...	166—171
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित और पारित	Appropriation (No. 4) Bill, 1972— Introduced and Passed	...	171—174
चीनी और गन्ने सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re Sugar and Sugarcane Policy	...	174—175
आप्टा और मंगलौर के बीच एक नई रेल लाइन निर्माण के बारे में चर्चा	Discussion re construction of new Railway Line between Apta and Mangalore	...	175—179
श्री बी. वी. नायक	Shri B. V. Naik	...	175—176
प्रो. मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	...	176—177
श्री पी. आर. शिनाय	Shri P. R. Shenoy	...	177—178
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	...	178
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankerrao Savant	...	178—179
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Quershi	...	179

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 अगस्त, 1972/7 भाद्रा, 1894 (शक)

Tuesday, August 29, 1972/Bhadra 7, 1894 (Saka)

—

लोक-सभा ग्यारह बजे कर एक मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at one minute past Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*)

—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कालिंदी परियोजना का निर्माण

*381. **श्री सी० के० जाफ़र शरीफ** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिन्दी परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को तकनीकी सहाता दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की, और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय सरकार परियोजना प्रस्तावों के तैयार करने एवं पतिपादन करने के साथ भू-वैज्ञानिक अन्वेषणों में भी तकनीकी सहायता दे रही है । परियोजना प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया । केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से बांध, जल संवाहन प्रणाली और परियोजना के उपांग कार्यों के कुछ अभिकल्प तथा इंजीनियरी पहलुओं पर भी परामर्श लिया जा रहा है ।

135-135 मैगावाट के प्रथम दो जनन सेट परियोजना के प्रथम चरण में नग्भारी विद्युत गृह पर, दिसम्बर, 1976 तक चालू करने के लिए अनुसूचित है। द्वतीय चरण के अन्तर्गत जनन यूनिटों के पूर्ण होने की अनुसूची निम्नलिखित है :—

नग्भारी विद्युत गृह पर 135 मैगावाट की

	तृतीय जनन यूनिट	...	सितम्बर, 1977
,,	चतुर्थ जनन	...	जून, 1978
,,	पांचवीं जनन यूनिट	...	मार्च, 1979
,,	छठी जनन यूनिट	...	दिसम्बर, 1979

सुपा बांध विद्युत गृह पर 50 मैगावाट की प्रथम यूनिट मार्च, 1979

,, ,, द्वितीय यूनिट सितम्बर, 1979

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कालिन्दी परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में कोई शर्तें हैं और यदि हां, तो वे शर्तें कौनसी हैं और इसके क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील : वस्तुतः राज्य-योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा सहायता समग्र रूप से दी जा रही है, न कि किसी विशेष योजना अथवा विशेष कार्य के लिए। लेकिन इस विशेष योजना के लिए वित्त की व्यवस्था की जाएगी और इस परियोजना के दो यूनिटों को 1976 में पूरा किया जायेगा तथा अन्य यूनिटों को 1977, 1979 आदि में पूरा किया जायेगा।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कालिन्दी परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में कोई शर्तें हैं और यदि हां तो वे शर्तें कौन सी हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : मैं बता चुका हूं कि कोई भी योजना केन्द्रीय प्रायोजित नहीं है। यह राज्य की योजना है और केन्द्र से सहायता सम्पूर्ण आयोजना के लिए दी जाती है न कि किसी विशेष योजना के लिए।

श्री के. लकप्पा : कालिन्दी परियोजना मैसूर राज्य की बड़ी परियोजनाओं में से इससे बड़ी मात्रा में विद्युत प्राप्त होने की आशा है। यह इस अवसर पर लाभकारी होगी जबकि देश में वस्तुतः विद्युत की अत्याधिक कमी है।

मैसूर सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इस योजना के लिए विद्युत आदि विशेष सहायता तथा तकनीकी सहायता के लिए दीर्घ काल से अनुरोध करती रही है, लेकिन बड़ी परियोजना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अस विलम्ब हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप इस परियोजना के निर्माण में भी असाधारण विलम्ब और उसके कारण न केवल मैसूर में बल्कि देश में अन्य स्थानों पर भी विद्युत की कमी

इसलिए, इस कार्य के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर इस परियोजना की निर्माण प्रक्रिया को तुरन्त तीव्र गति प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील : केन्द्र द्वारा तकनीकी सहायता दी गई है।

श्री के लकप्पा : मैं जानना चाहता था कि असाधारण विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

श्री बैजनाथ कुरील : विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता, परियोजना को तैयार करने एवं उसका प्रतिपादन करने के लिए तकनीकी सहायता दी गई है और जब कभी सहायता मांगी गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञ इस परियोजना के लिए सहायता देते रहे हैं, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से भी परामर्श किया गया और उसने भी सहयोग दिया।

मैसूर में विद्युत संबंधी स्थिति कोई अधिक खराब नहीं है, वहां की वर्तमान स्थापित क्षमता 966 मेगावाट की है जबकि मांग केवल 720 मेगावाट की है, वह अपने उन पड़ौसी राज्यों को भी विद्युत देता रहा है जो कि हाल में संकट में थे, अतः मैसूर में विद्युत संबंधी स्थिति खराब नहीं है और तकनीकी सहायता देने में विलम्ब करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के. लकप्पा : मैंने वित्तीय सहायता के बारे में पूछा था। इस बड़ी परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब किया गया है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तकनीकी अनुमोदन देने में भी असाधारण विलम्ब किया गया, ये ही कारण हैं। क्या यह सच है कि इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब के लिए ये कारण उत्तरदायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न अबे मेरे लिए छोड़ दीजिए।

श्री के. लकप्पा : वित्तीय सहायता भी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी सीट के नीचे कुछ स्प्रिंग लगे हैं ?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Previously, he used to sit on this side. So he is accustomed to it.

श्री बैजनाथ कुरील : परियोजना की लागत 150 करोड़ रुपए है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, अतः परियोजना का निर्माण वित्त के अभाव के कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तकनीकी सलाह दिए जाने में असाधारण विलम्ब किए जाने के में पूछा था।

श्री बैजनाथ कुरील : मांगने पर तकनीकी सलाह दी जाती है। इस संबंध में सहायता देने के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग है।

श्री के. लकप्पा : यह सहायता किस वर्ष दी गई थी ?

श्री बैजनाथ कुरील : केन्द्र सहायता देने से इन्कार कैसे कर सकता है ?

श्री एस. सी. पाटिल : ऋण तथा अनुदान के रूप में कालिन्दी परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तकनीकी सहायता के बारे में है, लेकिन मंत्री महोदय वित्तीय सहायता के बारे में भी उत्तर दे रहे हैं।

श्री बैजनाथ कुरील : यह पूछा गया था। अपेक्षित ब्यौरा इस प्रकार :

चालू योजनायें 15.90 करोड़ रुपये; नई योजनायें 6 करोड़ रुपये; पारेषण तथा वितरण 49.80 करोड़ रुपए; ग्राम विद्युतीकरण 15.50 करोड़ रुपये; तथा जांच-पड़ताल 30 लाख रुपये।

श्री बी. वी नायक : इस दिन डा० के० एल० राव ने हमें बताया था कि इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली का 50:50 उपभोग करने के आधार पर इस परियोजना के केन्द्र द्वारा निर्माण का उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। यदि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के निष्पादन और निर्माण का कार्य अपने ऊपर लेती है तो क्या वित्तीय सहायता को योजना की परिधि से बाहर समझा जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील : जहां तक परियोजना द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बिजली को बांटने का प्रश्न है, सिचाई तथा विद्युत मंत्री ने उस समय बताया था कि कुछ बिजली, अर्थात कम से कम 50 प्रतिशत बिजली, केन्द्रीय ग्रिड को जाएगी, उस समय प्रश्न उठाया गया था और उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था। जहां तक वित्तपोषण का संबंध है मैं उनकी स्थिति बता चुका हूं।

अत्याधुनिक मशीनों के आयात के लिए सूती कपड़ा मिल संघ का अनुरोध

+

***382. श्री सरजू पांडे :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिल संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि सूती कपड़ा मिलों द्वारा वर्ष 1970-71 में किये गये निर्यात से हुई आय के पांच प्रतिशत मूल्य तक की अत्याधुनिक मशीनें आयात करने की उन्हें अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने प्रस्थापना की थी कि सूती वस्त्र मिलों को, अपने एककों के आधुनिकीकरण के लिए अपने निर्यात के 15 प्रतिशत तक जटिल मशीनों के आयात करने की अनुमति दी जाए।

(ख) प्रस्थापना स्वीकार नहीं की गई है।

SHRI SARJOO PANDEY : I want to know what has been the earnings last year a a result of export by the Cotton Textile Mills ? If the hon, Minister has got the information may I know for what purpose the earning from this export has been utilised ?

SHRI L. N. MISHRA : So far as the question in regard to last year is concerned the amount is between Rs. 175 to 200 crores. As for modernisation, I have said that we are very much willing to give 15 per cent, but the programme is not upto the mark. The programme should be really useful. We do not have much foreign exchange.

अध्यक्ष महोदय : श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा—अनुपस्थित, श्री बनर्जी।

श्री एस. एम. बनर्जी : मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर मुझे खुशी है कि मिल मालिकों को अत्याधुनिक मशीनों का आयात करने की अनुमति नहीं दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्थानों में मिल मालिक संघ मानव श्रम व्यवस्था को समाप्त करने अथवा उनकी संख्या कम करने की दृष्टि से आधुनिकीकरण के नाम पर छंटनी कर रहे हैं और, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है कि आधुनिकीकरण करने में श्रमिकों की छंटनी नहीं की जाए ?

श्री एल. एन. मिश्र : यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है, श्री बनर्जी इस बात को जानते हैं, मैं भी श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित था, एक निर्णय किया गया था कि आधुनिकीकरण के साथ कोई छंटनी नही होगी, शायद यह श्रम मंत्रालय का निर्णय है और श्री बनर्जी इससे अवगत हैं।

श्री धामनकर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि समाचार पत्रों में यह छपा है कि सरकार राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गयी मशीनों को जो कि अधिक मूल्यों पर खरीदी गयी हैं और पुरानी तथा बड़ी खराब हालत में हैं सूती कपड़ा मिलों पर थोप रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कुछ मशीनों का आयात करने से सम्बन्ध है,

श्री धामनकर : खराब माल आयात किया जाता है,...(व्यवधान)...

श्री एल. एन. मिश्र : इसमें कुछ अस्पष्टता मालूम पड़ती है, मैंने उस समाचार को पढ़ा और मेरा उसे पढ़ना स्वाभाविक भी है क्योंकि उसका सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है। यह कुछ आकार वर्ती (साईजिग) तथा कटाई (क्लिपिंग) मशीनों के बारे में है। सम्भवत: चार वर्ष पूर्व राज्य व्यापार निगम द्वारा बारह मशीनें आयात की गई थीं और वे अब तक नहीं बिक पायी हैं। राज्य व्यापार निगम उन्हें बेचने का प्रयत्न कर रहा है।...(व्यवधान)...यदि सरकारी कोष इससे लाभ कमाता तो इसमें अनुचित क्या है ?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The textile industry in the country is passing through a great crisis this year. May I know from the hon. Minister whether he has made a study of this crisis in textile industry ? He told us that the Government were willing to give 15 per cent if the programme was really good. May I know whether he will keep it in mind that no such machine will be imported which will reduce the Labour Force Retrenchment is being done in the name of madernisation of textile industry: May I know whether any suitable action will be taken to chack it ?

SHRI L. N. MISHRA : There is no crisis in textile industry. Our problem is that we want to increase export. We have not seen any crisis in this industry.

स्वेज नहर के पार माल ले जाने के लिए मिश्र की पेशकश

*383. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का "इजिप्ट आफर टु ट्रांशिप गुड्स एक्रोस स्वेज" (स्वेज नहर के पार माल ले जाने के लिए मिश्र की पेशकश) शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 12 जुलाई, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नये मार्ग से जिन देशों को अधिकतर लाभ होगा उन में भारत भी है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) योजना विचाराधीन है।

SHRI SHRIKISHAN MODI : Will the hon. Minister be pleased to state how many tonnes of goods are transported annually so that the Egyptian scheme may be made use of and what is the estimated economy in time and money because of it that will accrue from it ?

SHRI L. N. MISHRA : Actually, if an agreement is arrived at for sending goods in this manner, there will be a saving of 12 to 15 days and accordingly there will be a saving of 12 to 15 per cent in the chanrges which we pay as freight. But as present every thing is under consideration and it is very difficult to say whether the scheme will be accepted or not. Our officials and the Booking officers of the Ministry of Transport are studying it. Only after that, something can be done.

SHRI SHRIKISHAN MODI : After the completion of this study, do the Government propose to send any delegation and will the Members of Parliament be included in that delegation ?

SHRI L. N. MISHRA : There is no such proposal at present.

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रस्ताव के बारे इण्डियन टुबाको एसोसियेशन, गुन्टूर से ज्ञापन

*384. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टुबाको एसोसिएशन, गुन्टूर ने प्रस्तावित तम्बाकू बोर्ड के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रस्थापित तम्बाकू बोर्ड के अन्तर्गत तम्बाकू उद्योग के उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी पहलुओं को समाविष्ट किया जाये।

(ग) फिलहाल, फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू के लिए तम्बाकू विपणन बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस वास्तविक तथा व्यापक आशंका को ध्यान में रखते हुये कि जिस बोर्ड की स्थापना की गई है वह नाम मात्र का बोर्ड है क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा इस बोर्ड को तम्बाकू की काश्त उत्पादन आदि से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने का अधिकार देगी जैसा कि काफी और चाय के सम्बन्ध में किया गया है और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ए. सी. जार्ज : उन्होंने ज्ञापन में यह सुझाव दिया है कि तम्बाकू के उत्पादन से लेकर उसके विपणन सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने का अधिकार इस बोर्ड को मिलना चाहिये। हमने कृषि तथा अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया तथा उन मंत्रालयों का विचार है कि आई. सी. ए. आर. तथा मद्रास स्थित तम्बाकू विकास निदेशालय तम्बाकू से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास के पहलुओं की देख रेख कर रहे हैं। यदि इन कामों को भी बोर्ड के अधिकरण क्षेत्र में लाया गया तो कार्य दो-दो स्थानों पर होने लगेगा। हमने आंध्र प्रदेश सरकार से भी परामर्श किया तथा वह भी मुख्यरूप से इसके विपणन पहलू के बारे में चिंतत है। आँध्र प्रदेश सरकार ने भी यह विचार व्यवक्त किये है कि अन्य दो संस्थान अनुसंधान का कार्य संभालें।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में केवल कार्य के दो-दो स्थानों पर होने का उल्लेख दिया है। वह एक पृथक विपणन बोर्ड चाहते हैं तथा तम्बाकू के अनुसंधान और अन्य पहलुओं के लिये एक पृथक संगठन चाहते हैं। इससे भी कार्य एक स्थान पर न होकर दो स्थानों पर देगा। तथा हमसे वह कार्य सिद्ध नहीं होगा जो हम चाहते हैं। अतः क्या मंत्री महोदय, इस मामले में अपने निर्णय पर पुर्नविचार करेंगे तथा बोर्ड की स्थापना से पहले तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधि संगठनों को अपने विचार व्यवक्त करने का अवसर देंगे जिससे बोर्ड की स्थापना हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हो सके ?

श्री ए. सी. जार्ज : इस वर्ष 4 जून को हमने इस महत्वपूर्ण मामले पर उन सभी व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया था जिनकी इस मामले में रुचि थी तथा जैसा कि मैं निवेदन कर चुका है, यह निष्कर्ष निकाला गया कि नए उद्यम के रूप में तम्बाकू विपणन बोर्ड की स्थापना की जाए।

मुख्य समस्या विपणन की है। इस वर्ष तथा गत वर्ष हमारे यहां फालतू तम्बाकू का उत्पादन हुआ तथा मंडियों में माल जमा हो जाना स्वाभाविक था। इस ससस्या को सुलझाने के लिये हम इस बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य अपनी बात पर अधिक बल देते हैं तो हम अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री एच. एम. पटेल : वास्तविक समस्या यह है कि फसल की बुआई समय उपयुक्त योजना न बनाए जाने के कारण कभी उत्पादन फालतू हो जाता है तथा कभी कम। अतः कार्यों में समन्वय रखने की अत्यंत आवश्यकता है यदि कार्य को दो-दो स्थानों पर करने का प्रश्न कभी हो तो भी अनुसंधान तथा उत्पादन सम्बन्धी संगठनों को एक व्यापक बोर्ड के अन्तर्गत रखा जा सकता है। यदि आपने सब से विचार-विमर्श कर लिया है, लेकिन प्रश्न यह है कि इस विषय पर आपके विचार क्या हैं। क्या यह सच है या नहीं कि अतिरिक्त उत्पादन इस लिए हुआ कि फसल के सम्बन्ध में उपयुक्त योजना नहीं बनाई गई थी तथा विपणन की समस्याएं उत्पन्न हुई ?

श्री ए. सी. जार्ज : इस प्रकार की फसलों पर मौसम का भारी प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 30 प्रतिशत फ्लू कार्ड वरजीनिया तम्बाकू का अतिरिक्त उत्पादन हुआ तथा यह निर्यात की महत्व-पूर्ण वस्तु है। इस मद का हमारा वार्षिक उत्पादन एक लाख टन है जिसमें से आधा माल निर्यात किया जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि योजना न बनाए जाने के कारण बाजार में उक्त माल जमा हो गया। इसमें मौसम की अनिश्चता भी एक कारण है।

श्री पी० वेंकटा सुबय्या : क्या यह सच है कि अनेक उत्पादों का भी इस तम्बाकू बोर्ड की स्थापना में हाथ है तथा उनका मत है कि तम्बाकू के उत्पादन सम्बन्धी पहुलू को भी वोर्ड के अधिकार क्षेत्र में अवश्य लाया जाय ? यदि इस बोर्ड का कार्य केवल विपणन तक सीमित रखा गया तो उत्पादकों को व्यापरियों तथा अन्य खरीदार एजेंटों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। अतः क्या मंत्री महोदय उत्पादकों के प्रतिनिधियों तथा विधान सभा सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड उत्पादन सम्बन्धी पहलु को भी अपने हाथ में लें ?

श्री ए. सी. जार्ज . मैं इस बात से सहमत हूं कि लगभग 50,000 किसान तम्बाकू पैदा करते है तथा अनेक श्रमिक भी इससे सम्बद्ध हैं। उत्पादकों तथा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को दलालों के शोषण से बचाने के लिये ही हमने इस बोर्ड की स्थापना का विचार किया था।

श्री डी० डी० देसाई : गुजरात में एक-तिहाई तम्बाकू पैदा होता है जो मुख्यरूप में बीड़ियां बनाने के काम आता है। मैं समझता हूं वर्तमान बोर्ड बीड़ी के तम्बाकू पर कोई विचार नहीं करता। क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि बोर्ड सभी किस्म के तम्बाकू पर विचार करेगा तथा क्या वह बोर्ड की स्थापना गुजरात में किये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री ए. सी. जार्ज . मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गुजरात में देश का एक-तिहाई तम्बाकू पैदा होता है। मैं यह अवश्य मानता हूं कि गुजरात में तम्बाकू पैदा होता हैं।

प्रस्तावित बोर्ड फ्लू क्योर्ड वरजीनिया तम्बाकू के लिये है। बाद में अन्य किस्मों पर विचार किया जा रहा है।

श्री **सी. एम. स्टीफन** : बोर्ड की रचना के मामले में...

अध्यक्ष महोदय : आप इतने ही ऊंचे स्वर में बोलिये इससे अधिक नहीं।

श्री सी. एम. स्टीफन : क्या इस बोर्ड की रचना सम्बन्धी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों में एक सिद्धांत यह भी है कि इस बोर्ड में तम्बाकू की काश्त करने वाले सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और यदि हैं तो क्या मंत्री महोदय इस बात का कारण बताएंगे कि इस बोर्ड में केरल को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया जबकि वहां भी तम्बाकू की काश्त होती है।

श्री ए. सी. जार्ज : मैंने जो कुछ गुजरात के बारे में कहा है वही तर्क केरल के बारे में भी है। हम उक्त बोर्ड की स्थापना फ्लू क्योर्ड वरजीनिया तम्बाकू के लिए कर रहे हैं जिस किस्म का निर्यात किया जाता है। मैं स्वीकार करता हूं कि केरल में तम्बाकू पैदा होता है तथा माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

राजस्थान में रेलवे लाइनें

*385. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में 100 किलोमीटर रेलवे लाइनों द्वारा औसतन कितने क्षेत्र तथा कितने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और इनकी तुलना में अखिल भारतीय आंकड़े क्या हैं?

रेल मंत्री (**श्री टी०ए० पाई**): सभी भारतीय रेलों पर 100 किलोमीटर रेलवे लाइनऔसतन 5327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा 912 हजार की आबादी की आवश्यकताएं पूरी करती है।

रेलवे लाइनों की मार्ग किलोमीटर सम्बन्धी सूचना राज्यवार नहीं बल्कि केवल क्षेत्रीय रेलवेवार संकलित की जाती है। अतः राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य के इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

डा. हरि प्रसाद शर्मा : यह सर्वमान्य सत्य है कि आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किए बिना पिछड़े क्षेत्र देश के अन्य भागों के बराबर प्रगति करने की आशा नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाएगी जिससे पिछड़े क्षेत्र भी देश के साथ प्रगति कर सकें।

श्री टी. ए. पाई : आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेलों का कार्य महत्वपूर्ण है। इसीलिए राजस्थान में भी दुबला से सिंधना तक 33 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन रेल योजना आरम्भ की गई जिस पर 2.79 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। जुलाई, 1972 तक लगभग 10 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। इस कार्य को 1973 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरी योजना दिल्ली-अहमदाबाद के बीच 1066 किलोमीटर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे

लाइन बनाने का है जिसमें कुछ ब्रांच लाइनें भी सम्मिलित हैं। इसका अधिकत्तर भाग जिसकी लम्बाई 778 किलोमीटर है, राजस्थान में आता है। दिसम्बर, 1972 तक सर्वेक्षण कार्य पूरा होने की सम्भावना है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिलने के पश्चात्, इस योजना पर आगे विचार किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार किया जायगा अतः सभी पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए योजनाए बनाने पर विचार किया जायगा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सामान्य बातों का उल्लेख न करें जो अच्छी प्रतीत होती हैं तथा जिन्हें सरकार आमतौर पर करती है मैंने समय बद्ध कार्यक्रम के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है किन्तु मंत्री महोदय उत्तर में सामान्य बातें बता रहे हैं। मैं प्रश्न करने से पहले एक उदाहरण देना चाहता हूं चूरू से शिकार तक 50 मील लम्बी रेलवे लाइन है जिसके किराये और भाड़े की दरें अखिल भारतीय दरों से डेढ़ गुनी हैं। ये दरें अंग्रेजी शासन काल में निर्धारित की गई थी वर्तमान सरकार 25 वर्षों में वही विषमताएं बनाए हुए हैं जो अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न में कोई सम्बनध नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सरकार इस बिषमता को दूर करेगी तथा एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाएगी ?

श्री टी. ए. पाई : मेरे विचार से यह प्रश्न राजस्थान में रेलवे के कुछ भागों में किराए-भाडे की विषमता के बारे में है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मुख्य प्रश्न समय वद्ध कार्यक्रम बनाकर रेलों के विकास के द्वारा पिछड़ेपन को दूर करने से सम्बन्धित है। पिछड़ेपन की परिभाषा बदलती रहती है तथा मेरे विचार से अकेला रेलवे विभाग ही पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकता। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : यह प्रश्न हममें से उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो पिछड़े हुए राज्यों से आते हैं। जब रेल मंत्री के पास प्रत्येक राज्य का औसत क्षेत्र, प्रत्येक राज्य की कुल जनसंख्या तथा प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई के आंकड़े मौजूद हैं तो ये आंकड़े न होने के क्या कारण हैं ? उस स्थिति में हमें ज्ञात हो जाता कि रेलवे लाइनों के सम्बन्ध म कितना असंतुलन है।

श्री टी. ए. पाई : मुझसे पहले रेल मंत्रियों ने यह निर्णय ठीक ही किया था कि यह जानकारी लेकर एक राज्य कीं दूसरे राज्य से तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरे विचार से किसी राज्य के पिछड़ेपन या प्रगति का निर्णय केवल रेलवे लाइनों की लम्बाई से नहीं किया जा सकता। तथापि जहां भी आवश्यक समझा जाएगा वहां अतिरिक्त रेलवे लाइनें बनाए जाने पर विचार किया जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : तब इसका उत्तर यह देना चाहिए था कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी नहीं दी जा सकती, यह नहीं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बिना बिजली वाले गांवों की संख्या

*386. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 2000 से अधिक की आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है; और

(ख) ऐसे कुल गांवों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) देश में 2000 से अधिक की जनसंख्या के 30,762 ग्रामों में से, 31-3-71 तक 20596 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। अविद्युतीकृत ग्रामों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

आंध्र प्रदेश	1312
असम	279
बिहार	2424
गुजरात	301
हरियाणा	62
हिमाचल प्रदेश	158
जम्मू व कश्मीर	88
केरल	335
मध्य प्रदेश	153
महाराष्ट्र	560
मणिपुर	5
मैसूर	482
नागालैण्ड	4
उड़ीसा	241
पंजाब	190
राजस्थान	632
तमिलनाडु	477
त्रिपुरा	21
उत्तर प्रदेश	771
पश्चिम बंगाल	1636
संघ राज्य क्षेत्र	35
कुल :	10166

श्री रण बहादुर सिंह : हमें दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए, बिभिन्न राज्यों में ऐसे गांवों की संख्या में इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण है जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया, जबकि सरकार की नीति चौथी पंचवर्षीय योजना में 2,500 जनसंख्या वाले सभी गांवों में बिजली पहुंचाना है ?

श्री बैजनाथ कुरील : क्योंकि विद्युतीकरण राज्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए जिन राज्यों ने अधिक धन व्यय किया है वे इस दिशा में आगे हैं और अन्य पिछड़े हुए हैं। आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मनीपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल औसत से नीचे के स्तर पर हैं। समस्त देश का औसत 21.7 है जबकि इन राज्यों का इससे कम है।

श्री रण बहादुर सिंह : यह एक सामान्य बात है कि अधिकतर राज्य बिजली बोर्डों के पास धन की कमी है। इन बिजली बोर्डों की धन की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्री बैजनाथ कुरील : इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्र में एक बिजली निगम का गठन किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह पहले ही 159 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दे चुका है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : हमें यह बताया गया है कि पांचवी योजना में 1,31,000 गांवों में बिजली पहुचाने का लक्ष्य है तथा इस अवधि में 420 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की जाएगी। क्या इस अतिरिक्त बिजली बनाने वाले सभी बिजली केन्द्रों पर काम शुरू हो गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील : पांचवीं योजना में 1,31,315 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी तथा 25 लाख पम्पिंग सेट लगाए जायेंगे। अब तक 5,66,878 गांवों में से 1,23,389 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है अर्थात् 21.7 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या 420 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाले बिजली केन्द्रों पर काम शुरू हो गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील : कुछ तो चालू योजनाएं हैं तथा कुछ नई योजनाओं को भी हाथ में लिया जाएगा।

SHRI R. V. BADE : Out of 5000 villages of Madhya Pradesh, only 153 have been electrified. The poles installed at the time of election have also been taken away because of the shortage of material. Will the Central Government help them in this regard ?

SHRI B. N. KUREEL : As I have said this is done by the State Electricity Board and the non-availability of poles and wire are lame excuses. Centre also assists them in procuring these things. We have sat officers to help them.

श्री जगन्नाथ राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पिछड़े राज्यों में अत्याधिक असमानता है, क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए पिछड़े राज्यों को उचित धन दिया जाता है ? उड़ीसा में 240 गांवों में बिजली दी गई है । मैं नहीं समझता कि राज्य बिजली बोर्ड ऋण लेने का इच्छुक नहीं है । क्या सरकार ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को पिछड़े राज्यों को ऋण देने के आदेश देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील : ऋण स्वीकृत करते समय ग्रामीण विद्युतिकरण निगम पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखता है । उड़ीसा के सम्बन्ध में निस्सन्देह वे पिछड़े हुए हैं । हाल ही में मैं बालासोर जिले में गया था, तो मैंने वहां देखा कि छः अथवा नौ महीने से स्वीकृत पड़ी योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं ? हम तो केवल रुपया और योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं ।

श्री कार्तिक उरांव : ग्रामीण विद्युतिकरण के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अत्यधिक असमानता है । हरियाणा में 100 प्रतिशत, पंजाब में 45 प्रतिशत, मद्रास में 30 प्रतिशत और बिहार में 8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । बिहार में यह सबसे कम है । देश में ग्रामीण विद्युतीकरण में समानता लाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह काम राज्यों का है । आगामी पांचवी योजना में हम विद्युतीकरण के कार्य को गति दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि पांचवीं योजना में यह असमानता समाप्त हो जाएगी क्योंकि इस योजना में हम वर्तमान बिजली से दुगुनी बिजली बनाने लगेंगे ।

श्री मानसिंह भौरा : उन्होने समाचार-पत्रों में देखा होगा कि हरियाणा के शत प्रतिशत गांवों में बिजली जा चुकी है । पर यहां 62 गांव बिना बिजली के दिखाए गए हैं । वे कहां से आए ?

श्री बैजनाथ कुरील : वास्तव में यह कहना शत प्रतिशत सही नहीं है कि हरियाणा के 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है । यदि किसी गांव में एक पम्पिग सेट लग गया है तो उन्होंने उसे विद्युतिकृत मान लिया है । यदि वहां एक लाइन है (व्यवधान) तो उसे विद्युतिकृत मान लिया है । हरियाणा में ऐसे गांव हैं जो बिजली का लाभ नहीं उठा रहे हैं ।

SHRI ISHAQUE SAMBHALI : The statement says that only 222 villages have been electrified in Uttar Pradesh. Is it justice to electrify such a small number of villages of Uttar Pradesh, the biggest state of India ? What action has been taken regarding the big schemes sent by the State Government for approval ?

SHRI B. N. KUREEL : Uttar Pradesh is not so backward in this respect. When all India average is 21.7 per cent, Uttar Pradesh's average is 21.5 per cent. In Uttar Pradesh electrification work is going very fast and there is nothing to worry about it.

श्री सोमनाथ चटर्जी : नए मंत्रिमण्डल के गठन के बाद से पश्चिम बंगाल में कितने गांवों में बिजली पहुंची है तथा कितने गांवों में निजी उपभोक्ताओं ने बिजली ली है और क्या यहां की स्थिति भी हरियाणा के ही समान हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : पश्चिम बंगाल में 30 जून 1972 तक 3708 गांवों में बिजली पहुंची थी तथा इसका प्रतिशत 9.6 था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस तारीख से ? मैंने पूछा था नए मंत्रिमण्डल के गठन के बाद से ।

श्री वीरभद्र सिंह : क्योंकि पहाड़ों में गांव छोटे छोटे हैं—उनमें कोई भी गांव 2000 की आबादी का नहीं है तो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है तथा अब तक उस आधार पर कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गइ है ?

श्री बैजनाथ कुरील : ग्रामीण विद्युतीकरण का आबादी से कोई सम्बन्ध नहीं है। 500 से कम या अधिक आबादी वाले गांवों के समूह बना दिए गए हैं । पर पिछड़े क्षेत्रों के लिए जिनमें पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं, विद्युतीकरण की योजनाएं स्वीकृत करने के लिए विशेष उपबन्ध किए गये हैं तथा इनके सम्बन्ध में ऋण वापिस करने की अवधि लम्बी है ।

SHRI B. P. MAURYA : While giving power, is it also kept in view as to what is the percentage of the people of scheduled Castes Mohallas who have been provided with power ?

SHRI B. N. KUREEL : We have decided not to sanction the scheme until the Harijan Mohallas are included. Government have sanctioned additional Rs. 5 crores for the electrification of the unelectrified Harijan Mohallas of the electrified villages and it has been decided that in this year of silver jubilee, one village per day per state should be electrified.

श्री डी० बसुमतारी : क्या इसी प्रकार की योजना जनजातियों के लिए भी बनाई गई हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : जनजातियों को भी इसमें शामिल किया है, पर जनजातियों के गांवों और स्थानों के सम्बन्ध में एक अन्तर है । उनके हरिजनों के समान मोहल्ले नहीं हैं ।

श्री डी. बसुमतारी : क्या जनजातियों वाले स्थानों को बिजली न देने की नीति है ?

श्री बैजनाथ कुरील : जैसा कि मैंने बताया योजना में इन जनजातियों वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है ।

श्री ए. के. एम. इसहाक : मंत्री महोदय ने बताया कि वे धन की स्वीकृति दे सकते है और इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते । इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युति-

करण की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है तथा विद्युतिकरण से संबंधित असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, हम इस संबंध में जागरूक हैं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ है और हमने उन्हें जोजनायें भेजने को कहा है तथा यह भी कि जो भी योजनायें वे भेजेंगे वे स्वीकृत कर दी जायेंगी तथा योजनायें बनाने में उनकी सहायता करने के लिए हमने एक अधिकारी भी भेजा है। जैसा कि मैंने बताया राज्यों की विद्युतिकरण संबंधी असमानता को दूर करने के लिए पांचवी योजना में हम बिजली उत्पादन क्षमता को दुगुना कर रहे हैं। तब यह अन्तर स्वतः ही कम हो जायगा।

उड़ीसा में काला सिंचाई परियोजना

*387. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना ने उड़ीसा में काला सिंचाई परियोजना को शामिल करने कर प्रस्ताव है;

(ख) इस पर कितना खर्च आने की सम्भावना है;

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; ओर

(घ) परियोजना से क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). उड़ीसा की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने से लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित काला सिंचाई परियोजना को योजना आयोग ने 25-7-1972 को स्वीकृत किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 196.76 लाख रुपए है और इससे 5587 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी।

राज्य सरकार ने बताया है कि परियोजना को पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

रेल के माल डिब्बों को खाली न कर और उन पर 'डैमरेज' (विलम्ब शुल्क) देकर उन्हें गोदामों के रूप में प्रयोग किया जाना

+

*388. **श्री डी. पी. जदेजा** :
श्री बेकारिया

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां रेल के माल डिब्बों को खाली न करके और उन पर 'डैमरेज' (विलम्ब) देकर उन्हें गोदामों के रूप में प्रयोग कर रही है;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर बिचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही करने का बिचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) परेषितियों द्वारा अनुमत 'छूट समय' के भीतर माल-डिब्बों खाली न करने की घटना बार-बार और व्यापक रूप से होती है जिससे बिलम्ब शुल्क लगता है ।

(ख) और (ग). विलम्ब शुल्क की अधिकतम दर माल डिब्बे की वहन-क्षमता पर प्रति मीटरिक टन प्रति घंटा 30 पैसे है । रेल प्रशासनों को अधिकार दिया गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो, वे अधिकतम दर पर विलम्ब शुल्क लगायें । इस दर से बड़ी लाइन का एक चौपहिया माल डिब्बा प्रतिदिन 158.40 रुपये विलम्ब शुल्क कमाता है, जो माल डिब्बों को देर तक रोक रखने के विरुद्ध एक कड़ा निवारक उपाय है । इसके अलावा, रेलों को यह विकल्प है कि वे माल डिब्डों को विभागीय व्यवस्था करके खाली करा लें और माल उतारने का प्रभार परेषिती के नामे डाल दें । जहां आवश्यक होता है, इस विकल्प का भी उपयोग किया जाता है ।

श्री जी. पी. जदेजा : सामान्यतः किस प्रकार का माल जल्दी नहीं उतारा जाता और क्या इसमें से अधिकतर माल बड़े उद्योगों और व्यापार गृहों का होता है ?

श्री टी. ए. पाई : इसे सामान्य रूप देना संभव नहीं है । मुझे यह भी मालूम है कि माल डिब्बों के कुछ लोगों के ही अधिकार में आ जाने पर मूल्यों में इच्छानुकूल घटा बड़ी की जा सकती हैं । समय-समय विभिन्न स्थानों पर ऐसा हुआ है ।

श्री डी. पी. जदेजा : ये वस्तुएं किस-किस प्रकार की हैं ?

श्री टी. ए. पाई : कोयले सहित सभी प्रकार की वस्तुएं ।

श्री डी. पी. जदेजा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे के ये चलते फिरते गोदाम प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ी लाइनों पर अधिक हैं या मीटर गेज लाइनों पर ?

श्री टी. ए. पाई : निश्चय ही बड़ी लाइनों पर, क्योंकि इस देश में बड़ी लाइनें अधिक हैं ।

श्री माधुर्य हालदार : प्रत्येक वर्ष कलकत्ता के कुछ बेशर्म व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए अपने माल को, विशेषकर कपड़ा तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं पश्चिम बंगाल में पूजा के अवसर पर नहीं छुड़वाते हैं । बंगाल में पूजा एक राष्ट्रीय त्यौहार है । प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है । वे गरीबों का शोषण करके अधिक लाभ कमाने हेतु इस प्रकार के काम करते हैं । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि उन बेशर्म व्यापारियों के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की गई है...

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण न देकर सीधा प्रश्न पूछिए ।

श्री माधुर्य्य हालदार : माल डिब्बों से विलम्ब से माल उतरवाने के लिए कौन उत्तरदायी है, और यदि शालीमार गोदाम में स्थान नहीं है तो सरकार का इस संबंध में क्या करने का विचार है ?

श्री टी. ए. पाई : हमें पता है कि कलकत्ता में भी इस प्रकार की हेराफेरी की जा रही है, हम कानून में संशोधन करने सहित कई उपायों पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माल-डिब्बों से माल उतरवाया जाए और प्राइवेट व्यापारी उनका गोदाम के रूप में प्रयोग न करें क्योंकि रेलवे को उपलब्ध मालडिब्बों का अधिक से अधिक उपयोग करना होता है।

श्री माधुर्य्य हालदार : मेरा प्रश्न यह है कि जब शालीमार गोदाम में स्थान नहीं है तो वे क्या करेंगे ?

श्री टी. ए. पाई : प्रत्येक डिब्बे के लिए गोदाम में स्थान देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है।

श्री माधुर्य्य हालदार : फिर रेलवे विभाग माल कैसे उतरवायेगा ?

श्री रामसहाय पांडे : मालडिब्बों की सप्लाई के बारे में एक कठिनाई यह है कि माल भेजने और माल छुड़वाने में बहुत विलम्ब हो जाता है। जब कोई मालडिब्बा अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो माल छुड़वाने के लिए व्यापारियों को 30 दिन का समय दिया जाता है। क्या 30 दिन का समय इसलिए दिया जाता है कि वे मूल्यों में वृद्धि कर लें और वे रेल डिब्बों का गोदामों के रूप में प्रयोग कर सकें ? क्या सरकार इस अवधि को कम करने पर विचार करेगी ?

श्री टी. ए. पाई : जी, हां। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनको केवल विलम्ब शुल्क से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि इस विलम्ब शुल्क को उपभोक्ता पर डाला जा सकता है। उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ेगा। अतः मैं कोई सख्त कार्यवाही करने पर विचार करूंगा जिससे वे इन मालडिब्बों से माल उतरवाने के लिए विवश हो जायें। आजकल हमें 30 दिन तक माल रखना पड़ता है। मैं ने यह सुझाव दिया है कि हमें इस अवधि को घटाकर 4 दिन कर देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो हमें एक कानून बनाना चाहिए जिससे रेलवे ऐसा कर सके। मेरे विचार में इसके लिए भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन करना होगा।

नई नदी घाटी परियोजनाएं

+

*389. **श्री सी. एम. स्टीफन** :

श्री **वयालार रवि** :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने, केन्द्र प्रवर्तित श्रेणी की कुछ नई नदी घाटी परियोजनाएं, उनके मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सिंचाई एक राज्य विषय है । कोई भी सिंचाई स्कीम केन्द्र द्वारा नहीं प्रायोजित है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण ओर निर्माण राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजना के एक भाग के रूप में किया जाता है । राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण राज्य योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है, और यह किसी एक विकास शीर्ष या परियोजना से संबंधित नहीं होती ।

केरल सरकार ने अपनी विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं :—

परियोजना का नाम	लाख रुपयों में अनुमानित लागत	लाख एकड़ों में लाभ
वृहद		
एडमालायर	2736.81	2.88
बाणसुरसागर	1137.10	0.59
तिरुनेल्लि	650	0.22
केरल भवानी (टेल रेस उपयोगिता)	805.00	0.80
मध्यम		
करपूझा सिंचाई	389.00	0.23
अट्टाप्पड़ी सिंचाई परियोजना	476.00	0.153
नूलपुझा	290.00	0.21
मन्जट	318.00	0.12
खण्डर	299.00	0.15
	7100.91	

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में केरल भवानी स्कीम की जांच की जा रही है । अन्य परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नही हुए हैं ।

श्री सी. एम. स्टीफन : सभा-पटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि राज्य सरकारें अपनी विकास योजनाओं के अंग के रूप में सिंचाई योजनाएं तैयार करती हैं, उनकी छानबीन करती हैं । और उनका निर्माण करती हैं । क्या इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारें कोई भी सिंचाई परियोजना स्वयं आरम्भ कर सकती हैं और उसके लिए केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है । इसका तात्पर्य यह होगा कि राज्य सरकार योजना बना सकती है, उसकी छानबीन कर सकती है और उसे क्रियान्वित कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार से अपने आप सहायता मिल जाएगी ?

श्री बैजनाथ कुरील : यह बात नहीं है । बात यह है कि जब कभी राज्य सरकारें योजनाएं बनाती है, वे तकनीकी रूप से और योजना आयोग से पास करवाने के लिये उनको केन्द्रीय सरकार के पास भेजती हैं और उसके बाद ही कार्यवाही करती हैं । जहां तक केरल सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने बहुत सी योजनाएं आरम्भ कर रखी हैं और मुझे विश्वास है कि वे पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी चलानी पड़ेगी । उनके पास लगभग 70 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य पड़ा है, राज्य सरकार की पेरियार बेसिन में इदामलयार नामक एक ही परियोजना प्रायोजित है । वे उचित छानबीन किये बिना जल्दी-जल्दी अनेक परियोजनाएं भेज रहे हैं ।

श्री सी. एम. स्टीफन : क्या इदामलयार परियोजना को छोड़कर अन्य योजनाओं के सम्बन्ध जो सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग और केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, केन्द्रीय सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि वे प्रस्ताव उचित नहीं है, वे दोषपूर्ण हैं और उनकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है या मैं यह समझूं कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए खुले दिल से विचार कर रही है और इन योजनाओं को पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री बैजनाथ कुरील : मैं ने बताया है कि उन्होंने इदामलयार परियोजना को प्राथमिकता दी है और अन्य के बारे में जांच की जा रही है । जो दोष हैं वे उनको बताये गये हैं । वे उन दोषों को दूर करके वापिस भेज देंगे ।

श्री वयालार रवि : क्या सरकार ने केरल की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये विश्व बैंक के साथ बातचीत की है और क्या उन्होंने वामानपुरम परियोजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

श्री बैजनाथ कुरील : जैसा कि मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया है, ये परियोजनाएं राज्य सरकार के अधीन हैं । वे तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से पास करवाने के लिये इन्हें यहां भेजते है और फिर वे स्वयं कार्यवाही करते हैं । हमें तो केवल संकट की स्थिति में उनकी सहायता करनी होती है । वित्तीय सहायता समूचे रूप में राज्य योजना के लिये दी जाती है, न कि किसी विशिष्ट योजना के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

Publication of judgments of Courts in regional languages

*390. SHRI LALJI BHAI :

DR. LAXMINARAYAN PANDEY :

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the percentage of judgments of Courts published in the regional languages of the country; and

(b) the time by which all such judgments will be published in regional languages of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) The Central Government has no scheme under consideration to bring out any publication containing the judgments of the Courts in regional languages.

(b) Does not arise.

SHRI LALJI BHAI : I would like to know whether there are certain judgments delivered in some cases in the Sepreme Court and High Courts etc. which could be of help the lawyers in future and they are printed in English as well as Hindi---and 90 percent Urdu is used in Hindi version ? May I know whether Goverment would consider any such scheme and if so what is the nature thereof ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : A conference of Law Ministers of all the States was held in 1968 in which it was decided that if States wanted to get them published in their regional languages, they could do so. But no State Government has taken any interest in this matter. Only Tamil Nadu had considered the proposal but they dropped it later on.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : I had asked a different question but some other version has been published here. I wanted to know whether there is any proposal to get the judgments of the Supreme Court published in the regional languages and if so, the percentage of the judgments published so far, because the judgments of the Supreme Court are very important but unless they are published in regional languages, we cannot derive full benefit from them ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : There is no scheme or plan to get the judgments of Supreme Court published in the regional languages.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT—NOTICE QUESTION

उड़ीसा में भूख से हुई मौतें

5. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में कटक जिले के ऐरसमा ब्लाक में, क्योंझर जिले के तेलकाई में, मयूरभंझ जिले के बहलादा और पंचपीढ़ में, तथा बलंगी जिले के तुरईकेला में अगस्त 1972 के प्रथम सप्ताह में भूख से हुई मौतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या बेरोजगारी के कारण क्रय-क्षमता में हुई कमी और उचित मूल्य वाली दुकानों पर अनाज की अनुपलब्धता के कारण ये मौतें हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया था उन्होंने सूचित किया कि अगस्त, 1972 के पहले सप्ताह के दौरान राज्य भुख-मरी से कोई मौत नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मंत्री महोदय के उत्तर से संविधान का उल्लंघन होता है। उनके उत्तर से प्रतीत होता है कि उन्होंने उड़ीसा सरकार पर आवश्यकता से अधिक निर्भर किया है और प्रश्न की जिम्मेदारी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं ली।

क्या मैं आप का ध्यान संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 30 और प्रविष्टि 33 की ओर दिला सकता हूं ? प्रविष्ट 30 में लिखा है :

"जीवन संबधी सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है"

मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार बिना स्वतन्त्र रूप से जांच करवाये यह नहीं कह सकती कि राज्य सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। फिर प्रविष्ट 33 में लिखा है कि "खाद्यपदार्थों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण" आदि इस लिये इन दोनों मामलों में मंत्री महोदय के उत्तर से संविधान का उल्लंघन किया गया है। अतः मंत्री महोदय को एसा उत्तर देना चाहिए जो राज्य सरकार के बच निकलने वाले उत्तर पर निर्भर न हो। इस व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय प्राप्त होने के बाद, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बस ? यह व्यवस्था का प्रश्न है कैसे हो सकता है ? मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री **सुरेन्द्र महन्ती** : मैं इसको स्पष्ट करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार संवैधानिक मामले नहीं उठाये जाने चाहिये ।

श्री **सुरेन्द्र महन्ती** : उन्हें उत्तर देना चाहिये। वह जिम्मेदारी टालने वाला उत्तर दे रहे हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा निवेदन यह है कि समवर्ती सूची में स्पष्ट लिखा है कि जन्म तथा

मृत्यु का पंजीकरण संघीय विषय है और खाद्यपदार्थों का उत्पादन, सम्भरण और वितरण भी संघीय विषय है वे संविधान की समवर्ती सूची में हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कानून राज्यों की शक्तियों से पहले लागू होते हैं। इसलिये मंत्री महोदय का उत्तर राज्य सरकार के जिम्मेदारी से बचने वाले उत्तर पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या करें ? उन्होंने कहीं से तो उत्तर प्राप्त करने होते है ?

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उनके अपने साधन होते हैं (**व्यवधान**) मंत्री महोदय हंस रहे हैं । जब लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, वह हंस रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : यह शर्म की बात है। जब वे राज्य सरकारों के भेद जानना चाहते तो उनकी गुप्त सेवा काम करती है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी आप के हस्तक्षेप के कारण मैं उनकी बात सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूंछू ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, पूछिये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह भूख से मरने के बारे में है परन्तु मंत्री महोदय उस पर हंस रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : आप का व्यवस्था का प्रश्न हंसने योग्य था; न कि आप का विषय।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। यदि आप इसको अनियमित ठहराएं और यदि आप इसको हंसने योग्य कहें तो मैं इसको स्वीकार करूंगा परन्तु मंत्री महोदय को मेरे व्यवस्था के प्रश्न को हंसने योग्य कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : यह अनियमित ठहराया जा सकता है, परन्तु इस पर हंसना नहीं चाहिये।

श्री पी. के. देव : मंत्री महोदय को अपने शब्द वापिस लेने चाहिये कि व्यवस्था का प्रश्न हंसने योग्य है। वह विनिर्णय नहीं दे सकते। मंत्री महोदय को अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त कर स्वयं नहीं कहना चाहिये कि व्यवस्था का प्रश्न हंसने योग्य है। यह बहुत ही हास्यास्पद और गैर-जिम्मेदाराना बात है। उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं यह कह रहा था कि यद्यपि भूख से मृत्यु हो जाना मंत्री महोदय के लिये हंसने की बात है तथापि क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सूखे और तूफान की दुखद घटनाएं हुई हैं परन्तु प्रशासनिक अदक्षता और अधिकारियों के भ्रष्टाचार और उनकी लापरवाही...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार का ध्यान कांग्रेस दल के राजस्व मंत्री द्वारा 27 अगस्त

को उड़ीसा विधान सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि : "राजस्व मंत्री श्री महन्ती ने उड़ीसा विधान सभा में स्वीकार किया था...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये । भाषण न कीजिये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं इसे पढ़ रहा हूं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । क्या उनका ध्यान उड़ीसा विधान सभा में राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पानी के अभाव में सूखे जैसी स्थिति होने के कारण लोग मर रहे हैं । स्ट्रीमर शीर्षक के अन्तर्गत और दिनांक 27 अगस्त के **दि स्टेट्समैन** में प्रकाशित यह एक वक्तव्य हैं । इस वक्तव्य को देखते हुये कि उड़ीसा सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि भुखमरी से मौतें हुई है । मंत्री महोदय ने कहां से जानकारी प्राप्त की है ? मंत्री महोदय दोनों वक्तव्यों में किस प्रकार मेल बिठायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : हमने राज्य से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया । राज्य सरकार ने कथित मामलों की जांच करके ठीक जानकारी दी है कि उड़ीसा में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई । इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार संकट ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है । लगभग 2,000 परीक्षण राहत कार्य चल रहे है; चार लाख लोगों को मुफ्त राहत दी गई है और 2.4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त हो रहा है तथा 2,22,000 लोगों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ मिल रहा है । खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है । केन्द्र सरकार ने 55,000 मीटरी टन चावल और 2.56 लाख टन गेहूं दिया है । उड़ीसा सरकार के पास 1-7-1972 को 1.35 लाख मीटर टन खाद्यान्न थे और वहां पर 7,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं । रोजगार, राहत और खाद्यान्नों की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार कुछ कर रही है । मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहता हूं कि यह आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं ।...(**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : वास्तव में यह बात मेरी समझ में नहीं आती । वहां पर लोग मर रहे हैं और ये लोग खुशी मना रहे हैं ।**

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा विधान सभा में 27 अगस्त को राजस्व मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों की ओर दिलाया गया है, जिनमें राजस्व मंत्री ने बताया है कि लगातार प्राकृतिक विपदाओं के कारण संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जो राहत कार्य किए जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और केन्द्रीय सहायता राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ? उड़ीसा सरकार के राजस्व मंत्री के, जो आदरणीय मंत्री महोदय के दल से सम्बन्धित हैं, स्पष्ट वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय किस आधार पर कह रहे हैं कि सभी प्रबन्ध पर्याप्त हैं ? मंत्री महोदय विषय के अनुकूल बात नहीं कर रहे ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

Expurged as ordered by the chair.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : श्रीमान् जी, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब श्री महन्ती प्रश्न पूछ रहे थे तो श्री मोदी ने इस तरफ के सभी सस्दयों के लिए कुछ अत्यधिक आपत्तिजनक शब्द कहे, जिन्हें मैं दुहराना नहीं चाहता । इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाय ।...(व्यवधान)

श्री पी० के० देव : आप पूरक प्रश्नों के दौरान अन्य बात कहने की कैसे अनुमति दे रहे हैं?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The hon'ble Minister has objected to the hon'ble Member's remarks that the people are dying over there and they are jubelating.

श्री पीलू मोदी : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में रहेगा ।

श्री **राजबहादुर** : अगर वह इसका आग्रह करते हैं, तो क्या हम एक-दूसरे को गाली देते रहेंगे ?

MR. SPEAKER : The hon'ble Member has asked the supplementary and the hon'ble Minister is replying. Why others are interrupting.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has been simply said that people are dying over there and these people are clapping here. What is the objection to that ? What abuse has been hurled ?

श्री **राज बहादुर** : वह कह रहे हैं कि यह कार्यवाही वृत्तान्त में रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मैंने सुना है, श्री मोदी ने** शब्द का उच्चारण किया था । क्या यह असंसदीय है ?

श्री **राज बहादुर** : उन्होंने कहा** अगर चर्चा इस स्तर पर आ जाती है, तो क्या श्री इन्द्रजीत गुप्त चाहेंगे कि हम भी उसी स्तर पर उतर आयें ? मैं प्रतिष्ठा और मर्यादा के नाम पर उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम भी उसी स्तर पर उतर आयें ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The hon'ble Minister has objected that he has called them shameless. If they have any shame, they should admit that they have.

MR. SPEAKER : I find many a times that all the Members are present here during this hour and ihere is a lot of noise also, but later on the House is found empty.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं तो प्रश्न ही नहीं पूछ सका ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इस बात को जानते हैं और मुझे भी मालूम है ।

श्री **अण्णासाहिब पी. शिन्दे** : उचित अवधि का नोटिस न दिए जाने के कारण मेरे पास वह वक्तव्य नहीं है । अतः इस वक्तव्य के बारे में कुछ कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा । परन्तु मैं

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the Chair.

यह कहूंगा कि भुखमरी से मौतों के जिन मामलों की चर्चा की गई है, उड़ीसा सरकार ने स्पष्टत: उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एक काफी बड़ा राहत कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। एक केन्द्रीय दल ने वहां का दौरा किया है और 6.33 करोड़ रुपये की सिफारिश की है (व्यवधान)

MR. SPEAKER : It is very strange that when they were in power, this side alleged starvation death and they denied them, whereas, now, this side is running the Government and they are alleging starvation deaths. I don't know anything abont this but it has become a headache for me.

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : मैं कह रहा था कि उड़ीसा में हाल ही में अच्छी वर्षा होने से स्थिति में सभी ओर से सुधार हुआ है। परन्तु उड़ीसा सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी। इसके बावजूद, उड़ीसा सरकार सभी कुछ कर रही है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 25 करोड़ रुपये का एक बृहद कार्यक्रम बनाया है और उसे केन्द्र सरकार के पास भेजा है। हम उत्पादन कार्यक्रम के लिए आज 4.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे रहे हैं जिसके अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी और उड़ीसा सरकार को इससे राहत मिलेगी।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : भुखमरी से मौतों के बारे में लोगों के सामने जो स्थिति है वह स्पष्ट नहीं है। जब लोग खाद्यान्नों के अभाव में, वृक्षों के पत्ते अथवा अन्य ऐसी कोई वस्तु खाकर मरते हैं तो डाक्टर कहते हैं कि यह मौतें भुखमरी से न होकर आन्त्र-शोथ से हुई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय का अकाल संहिता में परिवर्तन करने का विचार है ताकि भुखमरी से मौतों की वास्तविक जांच करके उन्हें पुन: परिभाषित किया जाए ?

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों के पास नि:शुल्क सहायता कार्ड थे, जो दुर्बल और अपंग थे, उन्हें जून और जुलाई के महीनों में कोई राहत नहीं क्योंकि सरकार से कोई सप्लाई प्राप्त नहीं हुई ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह राहत सरकारी कोटा से नहीं है अपितु यह अमरीकी सहायता से है जो बुलगार गेहूं है और खाने के योग्य नहीं है ? लोग ऐसा कहते हैं।

इस पर आदरणीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 20 लाख रुपये का खाद्यान्नों का स्टाक गायब हो गया है ? शायद यही कारण है कि लोगों को राहत देने के लिए कोई स्टाक नहीं था।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : भुखमरी से मौतों की जांच करने के सम्बन्ध में हमने उड़ीसा सरकार के साथ मामला उठाया है। आदरणीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों के जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है और हम इसे नोट कर सकते हैं। परन्तु जहां तक खाद्यान्नों के स्टाक का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय सदस्य का ख्याल ठीक नहीं है। मैं एक-एक गोदाम के बारे में कहना नहीं चाहूंगा। इसके बारे में एक पृथक

जांच की जा रही है। परन्तु उड़ीसा में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति अच्छी थी। 1-7-72 को उड़ीसा सरकार के स्टाक में 1,35,000 मीटरी टन चावल था। मैं फिर यह कहूंगा कि हमने केन्द्रीय पूल में से 55,000 मीटरी टन चावल और 55,0C0 मीटरी टन गेहूं दिया है।

श्री डी० के० पंडा : आदरणीय सदस्यों को इस बात की पूरी जानकारी है कि उड़ीसा में अक्तूबर, 1971 के पश्चात् विनाशकारी चक्रवात और बाढ़ और पुनः वर्तमान बाढ़ और सूखे के कारण भुखमरी से मौतें हुई हैं। प्रतिक्रियावादी उत्कल कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी की संयुक्त सरकार ने इन तथ्यों को छिपाया था।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा के 21 से 25 अगस्त तक के सूखे संबंधी वाद-विवाद की ओर दिलाया गया है जिसमें शासकदल के विभिन्न सदस्यों ने, जिनमें मुख्य सचेतक, इस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य और पुरी शहर के एक सदस्य सम्मिलित थे, राज्य के विभिन्न भागों में, सामान्यतः गंजम जिला में और विशेषतः दूरा निर्वाचन क्षेत्र में, भुखमरी से मौतों का उल्लेख किया और बरहामपुर के मेडिकल कालेज के प्रिंसीपल ने सूखे और भुखमरी के कारण महामारी फैलने से मौतों के बारे बताया है? इसे देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं, विशेषतः जबकि उड़ीसा के राजस्व मंत्री ने विधान सभा के पटल पर एक श्वेत पत्र रखा है जिसमें संकट को टालने के लिए 10 करोड़ रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की गई है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार गत मन्त्रिमंडल की तरह न कर के भुखमरी से मौतों को स्वीकार करेगी ताकि उन सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो सके जिन्होंने इस संकट को टालने के लिये विधान सभा में ऐसी घोषणाएं कीं?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : यह स्पष्ट है कि गत वर्ष के चक्रवात, बाढ़, और सूखे के कारण उड़ीसा में कुछ निराशा थी और उड़ीसा के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत से उपाय किए गए। सत्य यह है कि कई आदरणीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि मुझे स्वयं जाकर उड़ीसा सरकार के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। राज्य सरकार ने आवश्यक जांच करने के पश्चात् मुझे बताया कि उड़ीसा में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई।

श्री डी० के० पंडा : शासक दल के मुख्य सचेतक और एक सदस्य ने विधान सभा में वक्तव्यों में यह स्वीकार किया है कि भुखमरी से मौतें हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर तथा वित्तीय सहायता की ओर दिलाया गया है?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : आदरणीय सदस्य ने ठीक ही पूछा है और मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है कि उड़ीसा सरकार की सहायतार्थ क्या किया जा रहा है। मैंने उस स्वीकृति का पहले भी उल्लेख किया है जो हम आज जारी कर रहे हैं। मैंने केन्द्रीय दल की, जो वहां गया था, सिफारिशों का भी उल्लेख किया है और उनके आधार पर सहायता में वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मैंने यह भी कहा है कि मेरे मन्त्रालय ने भी उड़ीसा सरकार को 3 करोड़ रुपये का अल्प-कालिक ऋण स्वीकृत किया है।

श्री डी० के० पंडा : उत्तर संगत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान शासन दल के मुख्य सचेतक और विधान सभा के एक सदस्य द्वारा भुखमरी से हुई मौतों को मानने तथा वित्तीय सहायता की ओर दिलाया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने विधानसभा के कार्यवाही वृतान्त को नहीं देखा। जहां तक भुखमरी से कथित मौतों सम्बन्धी विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने भुखमरी से कथित मौतों के, जिनका विधान सभा में उल्लेख किया गया अथवा जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, सभी मामले उड़ीसा सरकार के पास भेज दिये हैं। हमारे पास लगभग 331 मामले भेजे गए। हमने सभी मामले उड़ीसा सरकार के पास भेज दिये और उड़ीसा सरकार ने 310 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सरकार ने बताया है कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे आदरणीय सदस्य का आरोप सिद्ध हो सके।

श्री डी. के. पंडा : 10 करोड़ रुपये की सहायता का क्या बना ? मन्त्री महोदय ने इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला।

श्री पी० के० देव : इस तथ्य को देखते हुए कि शासक कांग्रेस और उत्कल कांग्रेस के तथा कथित प्रतिक्रियावादियों की वर्तमान संयुक्त सरकार द्वारा विधान सभा में स्वीकृति...

श्री बनमाली पटनायक : जब एक दल का दूसरे दल में विलय हो गया हो तो क्या उसे संयुक्त सरकार कहा जा सकता है ? (**व्यवधान**)

श्री पी. के. देव : इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विधान सभा में भुखमरी से मौतों को लगभग स्वीकार कर लिया है और उसी समय केन्द्र सरकार को इस बारे में गलत सूचना दी जा रही है, जिला कांग्रेस समिति, कोरापुर के अध्यक्ष श्री सरजूनारायण ने कोरापुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में भुखमरी से मौतों के बारे में एक वक्तव्य दिया है, बरहामपुर के मेडिकल कालेज के प्रिंसीपल ने कहा है कि गंजम जिले में भुखमरी से कई मौतें हुई हैं, और दूसरे इन तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए कि हमें हर रोज समाजवाद के बारे में बताया जाता है और हम देखते हैं इस समाजवाद में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, भुखमरी से पीड़ित लोगों को खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता, खाने के अयोग्य और सड़ा हुआ चावल दो रुपए सेर बेचा जाता है, और क्षेत्र के लोगों की निम्नतम क्रय शक्ति को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनका अकाल संहिता में, जो कि पुरानी पड़ चुकी है और जिसे उपनिवेषवादी लोगों ने बहुत पहले बनाया था, संशोधन करने का इरादा है जिससे उड़ीसा को अकाल क्षेत्र घोषित करके युद्ध स्तर पर समस्या का समाधान किया जा सके ? यदि ऐसा संभव नहीं है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उड़ीसा सरकार से कह सकती है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत शक्ति का प्रत्यायोजन कर दे ताकि केन्द्र सरकार अकाल की समस्या का समाधान कर सके। क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करके इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : मुझे खेद है कि जब आदरणीय सदस्य का दल वहां सत्तारूढ़ था, तब उन्हें अकाल संहिता में संशोधन करने का समय नहीं मिला । अब उन्हें इतनी अधिक चिन्ता है ! मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है और मुझे विश्वास है कि सरकार श्रीमती नंदिनी सत्पथी के नेतृत्व में संहिता को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी । जहां तक खाद्यान्नों के वितरण का सम्बन्ध है, उड़ीसा में 7000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं और जैसा कि मैंने कहा है, स्टाक की स्थिति अच्छी है । भुखमरी से मौतों के बारे में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री अर्जुन सेठी : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आदरणीय मित्रों, श्री पी. के. देव और श्री सुरेन्द्र महन्ती ने अपने पहले के विचारों में परिवर्तन कर लिया है और अब उड़ीसा के भूख से पीड़ित लोगों के हित में बोल रहे हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अर्जुन सेठी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को 1972 से अब तक कितनी राशि दी है ।

श्री अण्णा साहिब पी. शिन्दे : जिन धनराशियों का मैंने उल्लेख किया है वे जून के बाद स्वीकृत की गई हैं । 6,33,00,000 रुपये 5 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण और 4,75,00,000 रुपये जो स्वीकृत किए जा रहे हैं—सभी जून के बाद स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से कुछ पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चर्चाधीन प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है उसे देखते हुए क्या मैं आदरणीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत अत्यधिक राज सहायता प्राप्त राशन की दुकानें और खाद्यान्नों, दालों और ऐसी ही अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दीर्घकालिक ऋण पर बिक्री करने वाली दुकानें खोली जाएंगी ताकि वे लोग जीवित रह सकें ?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास अत्यधिक राज सहायता देकर निर्धारित की गई दरों पर वस्तुओं की बिक्री हेतु राशन की दुकानें खोलने की कोई योजना है ? उन्हें हां' अथवा 'नहीं' में उत्तर देना चाहिए ।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सुझाव नहीं है । मैं उत्तर मांग रहा हूं । उनके साथ यही तो दिक्कत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय के मुख से आपकी पसन्द का उत्तर नहीं दिला सकता... (**व्यवधान**) उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है।

SHRI JYOTIRMOY BASU : If there is difficulty in understanding my question in Engl s'i then I ask it in Hindi.

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि सुझाव नोट कर लिया गया है। उनके पास और कोई उत्तर नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि आप इसे सुझाव मानते हैं अथवा आप इस मामले में उनके प्रयोग से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मंत्री महोदय के पास कोई उत्तर नहीं है, अतः यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : वहां पर इस समय 7000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं और जो कुछ वितरण किया जाता है उस पर अत्यधिक राज सहायता दी जाती है...

अध्यक्ष महोदय : तब आपको यह कहना चाहिए था।

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : चावल पर भी राज सहायता दी जाती है।

जहां तक निःशुल्क सहायता का संबंध है, आदरणीय सदस्य का ध्यान इस ओर नहीं था। मैंने इसके बारे में तथ्य बता दिये हैं।

श्री पी. गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिवहन, मजदूरी इत्यादि जैसे छोटे मोटे खर्चे के शामिल किए जाने के कारण उचित मूल्य की दुकानों पर जो मूल्य हैं वे नियंत्रित मूल्यों से अधिक हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार सूखे से पीड़ित और अकाल जैसी स्थिति वाले क्षेत्रों के लोगों को वास्तव में लाभ पहुंचाने के लिये अत्यधिक राज सहायता देकर दरें निर्धारित करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : वर्तमान प्रणाली के अनुसार, राज्य सरकार सामान्यतः बिक्री मूल्य का निर्धारण करती है। यह आशा भी की जाती है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता में से परिवहन और अन्य खर्चों को पूरा करके उचित मूल्य की दुकानों पर सामान खरीदने वाले लोगों पर यह भार नहीं पड़ने देगी।

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली मद को ले रहा हूं। इस पर पहले ही 35 मिनट का समय लग गया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Hides and Pig Fats

*391. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the value in Indian currency of pig fat and cow-and-calf hides exported to foreign countries during the last two years ; and

(b) the scheme under the consideration of Government to boost the export thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A.C. GEORGE) : (a) No exports of pig fat have taken place. Separate figures for exports of cow and calf hides are not maintained. Information about exports of raw cattle hides, including cow and calf hides, is given in the statement laid on the Table of the House.

(b) No such scheme is under consideration. In fact, Government wish to discourage the export of raw hides and skins.

Statement

EXPORTS

Figures in Rs. ,000

Item	1969-70	1970-71	1971-72 (April-February)
Other cattle hides including cow and calf hides.	1053	72	156

मैसर्स चिमन लाल ब्रदर्स को आयात लाइसेंसों का दिया जाना

*392. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने मैसर्स चिमन लाल ब्रदर्स नामक एक सार्थ-समूह को आयात लाइसेंस जारी करने के लिए काली सूची में सम्मिलित किया था;

(ख) क्या अब इस कंपनी को आयात लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के पहले निर्णय को बदल दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). चमनलाल फर्म समूह अर्थात :—

(1) मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स, बम्बई;

(2) मैसर्स चमन लाल (ओवरसीज) प्रा० लि०;

(3) मैसर्स स्टील (1957) प्रा० लि०, बम्बई;

(4) मैसर्स आर्यव्रत एक्सपोर्ट कारपोरेशन, बम्बई; तथा

(5) मैसर्स बार्टर्स (इण्डिया) प्राईवेट लि० ।

आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा पांच लाइसेंसिंग अवधियों अर्थात अप्रैल, 65 मार्च 66 से अप्रैल, 69-मार्च, 70 तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया गया था । आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के इस निर्णय को बदलने का कोई इरादा नहीं है । विवर्जन अवधि समाप्त होने के पश्चात पार्टी लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकती है और उन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा सामान्य रूप में विचार किया जा सकता है ।

हथकरघा बुनकरों का प्रतिनिधि मंडल

*393. श्री एस. एम. बनर्जी :
श्री नरसिंह नारायण पांडे :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों की न्यूनतम मांगें स्वीकार न किए जाने के कारण उन्हें अब भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या हथकरघा बुनकरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अभी हाल में प्रधान मंत्री से भेंट की थी; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) से (ग). हथकरघा तथा शक्तिचलित करघा बुनकरों का एक प्रतिनिधि मंडल जुलाई, 1972 में प्रधान मंत्री से मिला था। प्रतिनिधि-मंडल की न्यूनतम मांगों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया को नीचे दर्शाया गया है :

मांग	सरकार की प्रतिक्रिया
धागे विशेषतः 40 स्टेपल से ऊपर वाले काउन्टों रेशम तथा रंजक पदार्थों, रासायनिक सामग्री की कीमतें जनवरी, 1970 के कीमत स्तर पर निर्धारित की जायें। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 के अधीन कार्यवाही की जाये जिसकी सिफारिश कांग्रेस संसदीय पार्टी की उप-समिति ने की थी। बिहार के मामले को ध्यान में रखा जाये।	धागे की सप्लाई तथा कीमत पर अभी तक कोई कानूनी नियंत्रण नहीं लगाया गया है। तथापि 1 अगस्त, 1972 से विकेन्द्रित क्षेत्र को विनियमित कीमतों पर सूत की सप्लाई के सबंध में एक स्वैच्छिक करार लागू किया गया है। अन्य किस्मों के धागे के संबंध में उनकी सप्लाई सम्मत कीमतों पर करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।
2. हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा कपड़े के संचित भंडार के निपटान के संबंध में केन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करे। केन्द्र शीघ्र सैंट्रल बैंक से राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता की स्वीकृति दे।	उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई निश्चित प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।
3. स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को सभी हथकरघा तथा शक्तिचलित करघा केन्द्रों में ऋण देने के काम को युद्ध-स्तर पर बढ़ाने को कहा जाये। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को स्टाफ बढ़ाना चाहिए।	इस मामले में राज्य सरकारों को ही स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध करना चाहिए।

मैसूर के कुछ भागों में बिजली फेल हो जाना

*394. **श्री पप्पन गौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मैसूर राज्य के कुछ भागों में बिजली फेल हो जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए हैं जिससे उस राज्य में बिजली बार-बार फेल न हो ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **बैजनाथ कुरील**) : (क) और (ख). मैसूर के किसी भी भाग में विद्युत फेल होने के विषय में कोई शिकयायत नहीं है। बहरहाल, शरावती जल विद्युत परियोजना की विद्युत सुरंगों में से एक के बन्द होने के कारण राज्य में विद्युत उत्पादन की उपलब्धता लगभग 500 मैगावाट तक कम हो गई है। लगभग 100 मैगावाट विद्युत निकटवर्ती राज्यों से उपलब्ध की जा रही है ताकि राज्य में 720 मैगावाट की अधिकतम लोड मांग के प्रति

600 मैगावाट के अधिकतम लोड की पूर्ति की जा सके। राज्य अधिकारियों के तदनुसार सायं छः बजे से नौ बजे तक के घंटों के दौरान विद्युत उपभोग पर 20 प्रतिशत तक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं को उपलब्ध विद्युत के बराबर वितरण आश्वस्त किया जा सके।

सुरंगों के निरीक्षण तथा मरम्मत का कार्य सितम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है और तब विद्युत खपत पर प्रतिबन्ध हटा दिए जाएंगे। सामान्यता मैसूर के पास फालतू विद्युत है तथा वे अन्य राज्यों की सहायता कर रहे हैं। हाल की संकटमय स्थिति केवल एक अस्थायी पहलू है तथा यह अगले दस दिनों के अन्दर समाप्त हो जाएगी।

सूडान को रेल डिब्बों (कोच) की सप्लाई

*395. **श्री एम. एस. शिवस्वामी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान को रेल डिब्बों की सप्लाई के लिए उसके साथ कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई अथवा होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एम मिश्र) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

रेल गाड़ियां में तीसरे दर्जे का समाप्त किया जाना

*396. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री तथा डाक गाड़ियों में तीसरा दर्जा समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यह कार्य कितनी अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क), (ख) और (ग). तीसरे दर्जे को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। अभिप्राय यह है कि वर्तमान स्थान का पुनवर्गीकरण करके बढ़ी हुई मांग के लिए समुचित योजना बनायी जाये और वर्तमान तीसरे दर्जे में भीड़ भाड़ को कम किया जाये। इन समस्याओं का सभी पहलुओं से अध्ययन किया जा रहा है।

चाय उद्योग में सुधार के लिए विशेष उपाय

*397. **श्री एम. एम. जोजफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चाय उद्योग में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई विशेष उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड ने, चाय उद्योग के विकास के लिए तीन वित्तीय सहायता योजनाएं चालू कर रखी हैं। वे ये हैं : चाय मशीन तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, चाय रोपण वित्त योजना तथा पुनर्रोपण उपदान योजना।

1961 में चालू की गई चाय मशीन तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना के अंतर्गत चाय बागान अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन करने के लिए कारखानों में आवश्यक जटिल मशीनें प्राप्त कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत, शुष्क महीनों में जहां कहीं छिड़काव सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई उपस्कर की पूर्ति की जाती है। चाय रोपण वित्त योजना 1962/63 में शुरू की गई थी और इसमें नए पौधे लगाने के लिए ऋण दिये जाते हैं, जिससे विस्तार पुनर्रोपण और/अथवा बदलाव में नए पौधे लगाने का कार्य भी सम्पन्न हो सके।

पुनर्रोपण उपदान योजना उद्योग को सहायता देने के लिए 1968 में शुरू की गई थी, जिस से कि चाय के अन्तर्गत कुल क्षेत्र की 2 प्रतिशत की वार्षिक पुनर्रोपण दर को अच्छे किस्म की रोपण सामग्री लगाकर प्राप्त किया जा सके। इस योजना का मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि चाय के बहुत पुराने तथा अलाभप्रद क्षेत्रों में तत्काल पुनर्रोपण कार्य किया जाए ताकि भारतीय चाय उद्योग की उत्पादन दक्षता तथा प्रतियोगिता क्षमता को कोई हानि न पहुंचे।

उत्तर बिहार में अधवाड़ा परियोजना में प्रगति

*398. **श्री भोगेंद्र झा:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर बिहार में अधवाड़ा परियोजना की क्रियान्विति के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है तथा इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है;

(ख) क्या अधवाड़ा ग्रुप की मोहिनी नदी के दोनों ओर, दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा से खिरोई नदी तक, तटबंध बनाने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या हरिहरपुर-माली गांव तथा मुरैना गांवों के निकट खिरोई नदी पर पुल एवं स्लूस फाटक बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). अधवारा नदी समूह के लिए बाढ़ नियंत्रण परियोजना, जिसकी सिफारिश 1964 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति द्वारा की गई थी, में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:—

1. लखनडेईदरभंगा-बागमती और मोहिनी के साथ-साथ लगभग 6 किलोमीटर लम्बा तटबंध

2. सिंघवारा से करोरी नदी पर दक्षिण तटबंध तक 8 किलोमीटर की लम्बाई में मोहिनी नदी के बाएं किनारे पर तटबंध।

3. रधौली से शांतिघाट तक धौस नदी के दाएं किनारे के साथ तटबंध तथा 32 किलोमीटर की लम्बाई में बूढ़ानद नदी के बाएं किनारे के साथ शांतिघाट से ऐग्रा पट्टी तक इसका विस्तार।

4. धौस नदी से अधिकतम निस्सार के एक भाग का पुराने कमला मार्ग में व्यपवर्तन ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है मद्द संख्या 1 के लिए स्कीम 1.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तैयार की गई और यह केंद्र को जल्दी ही भेज दी जाएगी । अन्य मांगों के लिए स्कीमों का विस्तृत अध्ययन अभी हो रहा है ।

(ग) खिरोही नदी के ऊपर स्लूइस-गेट-ब्रिज के निर्माण के लिए स्कीम तैयार करने हेतु जलविज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं । इन अनुसंधानों के पूर्ण होने पर यह स्कीम तैयार की जानी है ।

उड़ीसा के लिए मंजूर की गयी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

***399. श्री बनमाली पटनायक:** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गईं;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग ने उड़ीसा की निम्नलिखित बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	हैक्टेयरों में लाभ
आनन्दपुर बराज	2194.00	2,27,740
सुन्दर	160.48	4,235
सईपाल	111.66	3,165
ओंग	288.12	17,080
काला	196.76	5,587
	2951.02	

(ख) चतुर्थ योजनावधि के दौरान राज्य सरकार इन स्कीमों पर 177 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव रखती है।

(ग) परियोजनाओं के पांचवीं योजना के अन्त तक, पूर्ण होने की संभावना है।

Acreage of land and number of Villages of Eroded due to construction of Dams

400. SHRI RAM CHANDRA VIKAL: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the acreage of land and the number of villages in Uttar Pradesh being eroded due to construction of many dams on Yamuna river by Governments of Haryana and Delhi; and

(b) the steps taken by the Central Government so far to check the construction of these dams and the necessary relief measures taken in regard to the eroded land and villages of Uttar Pradesh?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL): (a) The erosion by the river depends upon a number of factors and as such it is not feasible to estimate the extent of damage if any caused specifically by the construction of embankments and other protection works.

(b) The Yamuna Committee has been constituted by the Centre for the coordinated implementation of flood protection measures on the Yamuna between Tajewala and Okhla with a view to obviate any adverse effect resulting from such works. The protection works are implemented in Haryana and Delhi after they are duly examined and approved by the Yamuna Committee.

The Government of Uttar Pradesh have taken up the following works for protection and providing relief in the affected areas:

S. N.	Name of Scheme	District	Estimated cost
			(Rs. lakhs)
1.	Construction of protection works near villages Ramara, Haidarpur and Mandawar	Muzaffarnagar	12.61
2.	Construction of studs and marginal bunds near village Barhi Mustafabad	—do—	25.02
3.	Scheme for providing spurs and ring bund near village Fatehpur	—do—	9.14
4.	Construction of studs near village Tanda	Meerut	5.01

सचदेव समिति के निर्णय

3780. **श्री मार्तण्ड सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1964 में सेन्ट्रल जोनल परिषद् द्वारा स्वीकृत सचदेव समिति के निर्णयों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सचदेव समिति के मुख्य दो निर्णय थे कि (1) उत्तर प्रदेश को रिहन्द विद्युत् केन्द्र से उपलब्ध विद्युत् का 15% मध्य प्रदेश को 3.5 पैसे प्रति यूनिट पर देना चाहिए (2) माताटिला में उपलब्ध ऊर्जा का एक तिहाई भाग मध्य प्रदेश को दिया जाना चाहिए। केवल फर्म विद्युत् सप्लाई के लिए दर 8.5 पैसे प्रति यूनिट थी यदि समस्त उपलब्ध सेकेण्डरी विद्युत् नहीं ली गई। फर्म और सेकेण्डरी दोनों प्रकार की विद्युत पूर्णतया ली गई तो दोनों के लिए दर 6.5 पैसे प्रति यूनिट थी।

(1) के सम्बन्ध में इस समय उत्तर प्रदेश में कमी के कारण रिहन्द विद्युत् केन्द्र से मध्य प्रदेश को विद्युत् नहीं जा रही है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से 30-60 मैगावाट तक, जोकि लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के समकक्ष है, ताप विद्युत् ले रहा है। (2) के सम्बन्ध में यद्यपि उत्तर प्रदेश माताटिला से मध्य प्रदेश को विद्युत् उपलब्ध करा रहा है मध्य प्रदेश नियमित रूप से विद्युत नहीं ले रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विद्युत् सप्लाई के लिए 8.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से चार्ज कर रहा है। उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश का बकाया राशि के भुगतान तथा विद्युत् को मात्रा के सम्बन्ध में कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गए हैं। केंन्द्रीय सरकार ने इन विवादों को हल करने में अपना सहयोग देने का प्रस्ताव किया है।

अदरा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित रोजगार

3781. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी:**
श्री दीनेन भट्टाचार्य:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलबे के अदरा स्टेशन पर डी. ई एन. (सी), के.जी. पी. और डी. एस. टी ई. (सी) आर. एन. सी. के. नैमित्तिक कर्मचारियों की, उनको विद्यमान रिक्त स्थानों पर नियमितरूप से लगाने के लिये डिवीजन के अन्य नैमित्तिक कर्मचारियों के साथ जांच नहीं की जा रही है;

(ख) क्या नैमित्तिक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को किसी एक विभाग विशेष में किये गये अथवा डिवीजन में किये गये कार्य के आधार पर तैयार किया जा रहा है न कि रेलवे के अन्य विभागों में भी किये गये कार्य के अधार पर और;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और मामले को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

भोजुडीह (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए पीने का पानी

3782. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री वाई. ईश्वर रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के भोजुडीह में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों को अच्छी प्रकार साफ करने के पश्चात् पानी सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या जून और जुलाई, 1972 के महीनों में अच्छी तरह साफ न किये गये पानी की सप्लाई के कारण अधिकांश रेलवे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य पेट की गड़बड़ी से पीड़ित रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसरों के चयन के बारे में जांच

3783. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री धर्मराज सिंह :

क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसरों के चयन के बारे में 22 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या वे कर्मचारी जिन्होंने उक्त चयन के लिये आवेदन दिये थे, आगामी चयन के लिये भी पात्र होंगे अथवा उनको आगामी चयन से वर्जित कर दिया गया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्तता परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की पात्रता के सम्बन्ध में कुछ गलतियां देखने में आयी हैं।

(ग) जो वाणिज्यक क्लर्क 110-180 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में काम कर रहे हैं और संवर्ग में 150-240 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में पदोन्नत-स्थायी नहीं हुए हैं, केवल वही 150-

240 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में क्लेम्स ट्रेसर के पद के लिए उपयुक्तता परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे ।

मुख्यालय (पश्चिम रेलवे) के दर अनुभाग में वाणिज्यिक निरीक्षण

3784. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री धर्मगज सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. सी. एस. (ई) सी. सी. जी. के दिनांक 2 मार्च, 1972 के पत्र संख्या ई/261/2/7/572 द्वारा पश्चिम रेलवे बम्बई के मुख्यालय के दर अनुभाग में वाणिज्यिक निरीक्षकों के 13 पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुख्यालय, बम्बई में तथा पश्चिम रेलवे की प्रत्येक डिवीजन में अलग-अलग प्रत्येक ग्रेड में वाणिज्यिक निरीक्षकों के कुल कितने पद हैं?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे के विपणन और बिक्री संगठन को मजबूत बनाने के लिए; 450-575 रु०, 370-475 रु० और 335-425 रु० के ग्रेडों में 5 नये पदों का सृजन किया गया था । साथ ही निचले ग्रेडों में वर्तमान पांच पद आस्थगित रखे गये ।

(ग)　　पदों की संख्या

मुख्यालय		मंडल							
वेतनमान		बम्बई	बड़ौदा	रतलाम	कोटा	अजमेर	जयपुर	राजकोट	भावनगर
450-575 रु० (प्रा० वे०)	4	—	—	—	—	—	—	—	—
370-475 रु० (प्रा० वे०)	3	1	1	1	1	1	1	1	1
335-425 रु० (प्रा. वे.)	4	—	—	—	—	—	—	—	—
250-380 रु० (प्रा० वे०)	10	1	1	1	1	1	1	1	1
205-280 रु० (प्रा. वे.)	4	1	1	—	—	—	—	—	—

मंडलों में दर निरीक्षकों के उपर्युक्त पदों का सृजन 2-3-1972 से, अपने-अपने मण्डलों में केवल बिक्री विपणन कार्य की देखभाल करने के लिए किया गया था ।

बिजली में कटौती करने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को निदेश

3785. श्री एम. एस. **शिवस्वामी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की खपत में कटौती करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा हाल में राज्य विद्युत् बोर्ड को कोई निदेश जारी किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). संपूर्ण देश में आपातकालीन और कमी भी वर्तमान स्थिति और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कृष्य पंपिंग सेटों को विद्युत् प्रदाय करना अनिवार्य समझा गया है । तदनुसार राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि चलचित्र गृहों, वाणिज्यिक विज्ञापनों या सजावट के लिए बिजली की सप्लाई में कमी द्वारा अधिकतम सीमा तक विद्युत् की बचत की जाए और सिंचाई के निमित्त बनाए गए कूपों हेतु विद्युत् को सप्लाई सुनिश्चित करें । इस मामले में राज्यों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर काबू पाने के बारे में बंगला देश के साथ वार्ता

3786. **श्री रोबिन काकोडी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और उससे होने वाले कटाव पर काबू पाने के विचार से संयुक्त परियोजना के लिए बंगला सरकार के साथ कोई वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का स्वरूप क्या था;

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को बंगला देश सरकार के साथ उठाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक जून, 1972 में दिल्ली में हुई थी और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन में बाढ़ों और कटाव के नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया था। विचार-बिमर्श करने के लिए कुछ समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए चुन लिया गया हैं परन्तु विशिष्ट परियोजनाओं को अभी आयोग द्वारा तैयार किया जाना है ।

लोको रनिंग स्टाफ का ''इन्टेन्सिव' कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण

3787. श्री **मोहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने लोको रनिंग स्टाफ के काम के घण्टों पर, उनको 'इन्टेनसिव' घोषित करने के प्रयोजनार्थ जैसा कि न्याय-निर्णायक के पंचाट में कहा गया है, ध्यान रखा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लोको रनिंग स्टाफ के कितने व्यक्तियों को 'इन्टेन्सिव' घोषित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) न्याय निर्णायक ने यह सिफारिश नहीं की थी कि किन्हीं रनिंग कर्मचारियों को 'श्रम-प्रधान' के रूप में वर्गीकृत किया जाये। उन्होंने सिफारिश की थी कि ऐसे कर्मचारियों को 'सतत' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इनके लिए महीने में औसतन प्रति सप्ताह 54 घंटे की साप्ताहिक सीमा रहे जिसमें निरंतर ड्यूटी के घंटों को नियत करते समय

खण्ड विशिष्ट के काम की गहनता का यथोचित ध्यान रखा जाये। तदनुसार, अप्रैल, 1960 में रेलों को हिदायतें जारी की गयीं कि उपनगरीय खण्डों पर, जहां यातायात तीव्र और गहन होता है, काम करने वाले रनिंग कर्मचारियों की निरंतर रनिंग ड्यूटी 8 घंटे तक सीमित कर दी जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल डिब्बे तोड़ने वालों तथा उनके समर्थकों के एक गिरोह का पता लगना

3788. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के निरोधक दलों ने भारत के विभिन्न भागों में माल डिब्बे तोड़ने वालों तथा उनके संरक्षकों के ऐक गिरोह का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) इस तरह का कोई अखिल भारतीय शाखा-प्रशाखा वाला गिरोह देखने में नहीं आया है। लेकिन, माल डिब्बा तोड़ने वाले अनेक स्थानीय व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शक्तिचालित करघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को ऋण

3789. **श्री एम. के. कृष्णन** :
श्री सी. एम. स्टीफन :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से विद्युतचालित करधा बुनकर सहकारी सस्थानों को भारत के रिजर्व बैंक की वित्त योजना के अधीन ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रिजर्व बैंक की हथकरघा वित्त योजना को शक्तिचालित क्षेत्र पर लागू करने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है।

स्टैनलेस स्टील के लिये आयात लाइसेंस देना

3790. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के प्रथम तीन महीनों में पटसन के निर्यात की एवज में स्टेनलेस स्टील का आयात करने के लिये जिन पार्टियों को आयात लाइसेंस दिये गए उनके नाम, पते तथा अन्य विवरण क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक पार्टी को कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (अब तक) के दौरान पटसन के निर्यात की एवज में आयात हकदारी के रूप में स्टेनलेस स्टील का आयात करने के लिए कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किये गये।

पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

3791. **श्री अरविंद नेताम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश के अनुरोधानुसार पोंग बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए शीघ्र कार्यवाही करें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राजस्थान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील), (क) और (ख). राजस्थान सरकार पहले से ही पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के लिए सहमत हो गई थी। कुछ विस्थापितों को बसा भी दिया गया है। बहरहाल बाद में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच राजस्थान में भूमि आबंटन के लिए विस्थापितों की पात्रता पर कुछ मतभेद हो गये थे। इन मतभेदों को अब हल कर लिया गया है और ऐसी आशा है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों का नियमित रूप से जाना शीघ्र आरम्भ हो जाएगा।

Export of Minerals

3792. SHR M. C. DAGA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the value and the description of each of the minerals exported from the country during the last year;

(b) whether Government have got any strategy for mineral exports and if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether Government propose to bring about any changes therein ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) A statement is attached.

(b) Yes, Sir. The strategy of minerals' exports is not only to concentrate on markets like Japan, where India has geographical advantage, but also in West Europe where India is at a disadvantage, with a view to improving export at a future date, exploration of new markets in the neighbouring countries and, last but not the least, to progressively canalise export of more and more minerals. Internally, the strategy consists of increasing production, improving inland transport, developing of ports and mechanical loading facilities with a view to make minerals competitive in the international market.

(c) There is no such proposal for the present.

Statement

EXPORT OF MINERALS FROM INDIA

DURING 1971-72 (Up to February, 1972)

Description		*Value (Rs. in lakhs)*
1.	Iron Ore	9433
2.	Manganese Ore	1019
3.	Mica	1430
4.	Sillimanite	8
5.	Chrome Ore	163
6.	Bauxite	48
7.	Barytes	60
8.	Bentonite	7
9.	Kyanite	81
10	Felspar	14
11.	Ilmenite	109
12.	Steatite	32
13.	Magensite	212
14.	Quartzite	4
15.	Salt	77
16.	Coal	106

(Source : DGCI&S, Calcutta)

बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल में कोयला खानों के बन्द हो जाने की स्थिति

3793. **श्री समर गुह :** क्या सिचाई ग्रौर विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जुलाई, 1972 के "स्टेट्समैन' में प्रकाशित 23 जुलाई, 1972 को खान सुरक्षा के प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिए गए वक्तव्य की ग्रोर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बिजली की कमी और बार-बार बिजली फेल हो जाने के कारण बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल की कोयला खानों में काम बन्द हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के उत्पादन सम्बन्धी संकट का सामना करने के लिए बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल में कोयले खानों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने के विचार है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) ग्रौर (ख). महानिदेशक, खान सुरक्षा ने बताया था कि दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल ग्रौर बिहार राज्य बिजली बोर्डों, एसोसियेटिड पावर कम्पनी लिमिटेड, दिशेरगढ़ ग्रौर सिजवा झरिया द्वारा सप्लाई की गई खानों को

बिजली की सप्लाई में कटौतियां और बार-बार लोड शेडिंग होता था और इन कटौतियों से कोयले के उत्पादन और खान के कार्य में सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता था। विद्युत सप्लाई प्राधिकारियों द्वारा ये पाबन्दियां इसलिए लगाई जाती थीं क्योंकि ताप संयंत्रों के मजबूरन बंद करने और जल-संयंत्रों के जलाशयों में कम जल संचय होने के कारण बिजली कम उपलब्ध हो रही थी।

आवश्यक मरम्मत करने के लिए तथा मशीनों को पुनः चालू स्थिति में लाने के लिए उपाय किए गए हैं। आपतकालीन समयों में विद्युत प्रणालियां एक दूसरे की सहायता कर सकें, इस उद्देश्य से विभिन्न विद्युत प्रदाय संगठनों के बीच बेहतर समन्वय लाने के उद्देश्य से राज्य और केंद्रीय स्तर पर बार-बार विचार विमर्श किए जा रहे हैं। जल-विद्युत जलाशयों के संचय में सुधार होने से दामोदर घाटी निगम में जल विद्युत की सप्लाई बढ़ा दी गई और इससे दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थिति के सुधरने में सहायता मिली है। सन्तालडीह, दुर्गापुर और चन्द्रापुर जैसी कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में तेजी लाई जा रही है ताकि प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो सके।

रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य व्यपार निगम तथा एम.एम.टी.सी. के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

3794. **श्री नारायण दत्त पाराशर** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और एम. एम. टी. सी. के लिए सरकारी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता, वितरण तथा मूल्य निर्धारण के मामलों में कोई विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें इस विषय में कुछ व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निदेश दिये गए हैं कि वे विभिन्न प्रकार के माल के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये उस मंत्रालय की सभी सुविधाएं दें।

(ख) जी हां।

(ग) जितनी जल्दी यह सम्भव होगा।

पश्चिम बंगाल में दीघा के समुद्री तट को कटाव से बचाने के लिए कार्यवाही

3795. **श्री एस. सी. सामन्त:**

श्री समर गुह :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दीघा के समुद्री तट को कटाव से बचाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने रिपोर्ट दी है कि सैंड ट्रैपिंग्स द्वारा किनारे की ढलान को बढ़ाने केलिए तथा साल-बुल्ली पाइपों द्वारा बेरिकेडिंग के लिए कार्य किए जा चुके हैं। इस समय राज्य सरकार लगभग 10 लाख रुपए की लागत पर बहुत नाजुक क्षेत्रों में 750 मीटर की लम्बाई में समुद्र-दीवार बनाने के लिए एक पाइलाट परियोजना को हाथ में लेने के प्रस्ताव तथा लेटराइट ब्लाकों के सुनन्य सासेजिज द्वारा किनारे की सुरक्षा की एक और स्कीम पर बिचार कर रही है।

मैसर्स चमनलाल एंड कम्पनी के समर्थन में प्रचार

3796. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या दिवेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनेक सरकारी अधिकारी तथा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ मैसर्स चमन लाल एण्ड कम्पनी के, जिनका नाम काली सूची में दर्ज है, समर्थन में प्रचार कर रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : चमन लाल फर्मों के समूह के पक्ष में समर्थन का प्रचार करने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ की सरकार को जानकारी नहीं है।

डेल्टा प्रोजेक्ट, नीदरलैण्ड्स के निदेशक श्री एच० ए० फरगूसन द्वारा की गई सिफारिशें

3797. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेल्टा प्रोजेक्ट, नीदरलैण्ड्स के निदेशक श्री एच. ए. फरगूसन ने, जिनकी सेवायें उड़ीसा सरकार द्वारा समुद्री लहरों के ज्वार से आने वाली बाढ़ को रोकने का उपयुक्त तरीका निकालने के लिए गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सहायता करने के लिए प्राप्त की गई थीं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों की मोटी रूप रेखा निम्न प्रकार है :—

(1) चक्रवर्ती के दौरान ज्वारीय बाढ़ों तथा विभिन्न नदियों में आई बाढ़ों की तथा लवण-अंतर्वेशन और तटीय क्षेत्रों को ताजा पानी सप्लाई करने के लिए नहरों की व्यवस्था संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में बाद नियंत्रणार्थ एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए। इस विस्तृत योजना में निम्नलिखित

कार्य शामिल होंगे : नदियों पर कई बांधों का निर्माण, तटीय क्षेत्रों में नदी की शाखाओं के जल को सरल बनाना तथा डेल्टा क्षेत्र में नदियों पर तटबन्धों को बढ़ाना और उन्हें ऊंचा करना।

(2) विस्तृत योजना को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन तक चक्रवातों के साथ आने वाली ज्वारीय बाढ़ों से तटीय क्षेत्र में जानी व माली सम्पत्ति की तुरन्त सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले उपाय क्रियान्वित किए जाएं। इनमें ये कार्य शामिल हैं : ग्रामों को बसाने के लिए ऊंचे टीलों का निर्माण और तटीय समुद्र सुरक्षा वृक्षावली।

(3) विस्तृत योजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान, आंकड़ों के एकत्रण तथा नक्शों को तैयार करने से संबंधित कार्य को शीघ्र हाथ में लिया जाना चाहिए।

(ग) उड़ीसा सरकार ने, जिन्हें यह सुझाव भेजे गए थे, सूचित किया है कि सर्वेक्षणों और अनुसंधानों से संबंधित कार्य हाथ में लिए जा चुके हैं और मि० फर्गुसन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। किए जा रहे सर्वेक्षणों और अनुसंधानों के आंकड़ों की जांच करने के पश्चात ज्वारीय बाढ़ों के प्रति उपाय सुझाने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझावों का अन्तिम पुनरीक्षण किया जाएगा।

कपड़ा मिलों का पुनर्निर्माण

3798. **श्री वी. मायावन** : **क्या विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांचों मिलों के नाम क्या हैं जिनके पुनर्निर्माण के लिए उनके मन्त्रालय ने अधिसूचनायें जारी की हैं और उन दो मिलों के नाम क्या हैं जिनके परिसमापन के लिए अधिसूचनायें जारी की हैं;

(ख) उन पांच मिलों के नाम क्या हैं जिनके पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सिफारिश की है; और

(ग) उपर्युक्त पांच मिलों के पुनर्निर्माण के लिए अधिसूचनायें जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अभी तक ऐसी 12 सूती वस्त्र मिलों के दीर्घावधि भविष्य पर विचार किया है जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है। निगम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 6 मिलों के पुनर्निर्माण तथा 2 मिलों के समापन के आदेश दे दिये हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिये जाते है :

पुर्नानिर्माण

1. आर. एस. आर. जी मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., अकोला ।
2. इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि. बम्बई ।
3. दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं. लि., बम्बई ।
4. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि., इन्दौर ।
5. न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लि., भोपाल ।
6. हीरा मिल्स लि., उज्जैन ।

समापन

1. श्री भारती मिल्स लि., पांडिचेरी ।
2. बंगाल नागपुर काटन मिल्स लि., राजनान्दगांव ।

2. शेष 4 मिलों के पुर्ननिर्माण के मामलों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है । उनके नाम ये हैं :

1. माडल मिल्स नागरपुर लि., नागपुर ।
2. म्यूर मिल्स लि., कानपुर ।
3. महालक्ष्मी मिल्स कं. लि., ब्यावर ।
4. न्यू मानक चौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., अहमदाबाद ।

राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के कारण तथा कानूनी और वित्तीय मामलों के कारण विलम्ब हुआ है ।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा स्थित डिवीजन सुपारिन्टेंडेंट के कार्यालय की ओपरेटिंग एकान्ट्स ब्रांच में हुई अनिमितताओं की जांच

3799. **श्री हरी सिंह:** क्या रेल मंत्री यह तबाने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वी रेलवे के हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय की ओपरेटिंग एकाउन्ट्स ब्रांच में कुछ अनियमिततायें हुई थी जिनकी जानकारी लेखा परीक्षा विभाग ने दी थी परन्तु उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या इस कार्यालय में बिना उचित अर्हताओं के व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षा विभाग ने इस मामलों को सतर्कता विभाग को भेजने की इच्छा व्यक्त की थी; और

(ग) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि इन मामलों को सतर्कता विभाग के पास क्यों नहीं भेजा गया ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) से (ग). केकल एक ही मामला था और उस मामले में आरोप यह था कि कर्मचारी ने शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में गलत सूचना दी थी। इस मामले की पहले जांच-पड़ताल की गयी थी और शुरू की गयी अनुशासनिक कार्यवाही को प्रमाण के अभाव में छोड़ देना पड़ा था। लेखा परीक्षा विभाग ने उस मामले को फिर उठाया है और और उसकी जांच हो रही है।

Setting up of Centres in Bihar for Exporting Leather

3800. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether three centres have been set up at Betia, Bihta and Sabri in Bihar to export superior quality of leather for which market is avaible in Switzerland and Hungary;

(b) if so, whether Government also propose to set up such a Centre at Mehasi in Champaran District where business in leather is transacted on a large scale; and

(c) if not, the roasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c), Tanneries have been in existence at these places for a long time. Bihar Small Industries Corporation has set up Centres at these places for procuring semi processed leather. This Corporation is also considering a proposal to set up a centre at Mehasi.

कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले तापीय विद्युत् संयंत्र

3801. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो देश में अपने तापीय विद्युत् संयंत्र चलाती हैं; और

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील: (क) अपेक्षित सूचना उपाबंध एक (क) और उपाबंध एक (ख) में विविरण में दी जाती है। [ग्रन्थालय में रखे गये/देखिये संख्या एल. टी.-3536/72]

(ख) लाइसेंस धारियों के ताप-विद्युत् संयंत्रों का कार्य राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा तथा बिजली विधियों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होता है। आवश्यक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण कार्य संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में किए जा रहे हैं।

विशेष परिस्थितियों में, राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को, लागू बिजली विधियों के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक संस्थापनाओं या अन्य गैर सरकरी व्तक्तियों के अधीन कैपटिव विद्युत्-संयंत्र लगाने की अनुज्ञा देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। ऐसे प्रत्येक मामले पर उसके अपने गुण-दोषों के संदर्भ में विचार किता जाता है, और केंद्रीय सरकार के साथ सलाह करके ऐसे कैपटिव विद्युत् संयंत्रों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाती है। इन प्रतिष्ठापनों को विनियमित करने वाली शर्तों में से कुछ इस प्रकार हैं:—

(1) उत्पादन क्षमता उसी माल को तैयार करने के लिए अपेक्षित कम्पनी की वास्तविक आवश्यकता, तक ही सीमित होगी, जिसे तैयार करने में कंपनी लगी हुई है और वह ऊर्जा केवल ऐसे ही माल को तैयार करने में प्रयुक्त की जएगी।

(2) समस्त कैपटिव विद्युत् केंद्र विद्युत् (सप्लाई) अधिनियम 1948 की धारा 34 के के अंतर्गत एक नियंत्रित केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

(3) संबंधित राज्य बिजली बोर्ड को, कैपटिव विद्युत् केंद्र को चालू होने की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने के उपरांत अपने अधिकार में लेने का विएल्प होगा।

(4) विद्युत्-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर स्वदेशी संसाधनों से ही प्राप्त करने होंगें।

(5) राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम के साथ कोयला सप्लाई करने के लिए कैपटिव विद्युत् केंद्र का किसी कोयला क्षेत्र से निश्चित संपर्क स्थापित होना चाहिए।

लोक सभा के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अत्याधिक व्यय किये जाने के कारण कदाचार

3802. **श्री प्रबोध चन्द्र:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या लोक सभा के निर्वाचन में उम्मीदवारों को स्वीकृत राशि से बहुत अधिक व्यय करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप अनेक कदाचार होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख). इस विषय में सरकार कोई अधिकृत जानकारी नहीं हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (क) के साथ पठित धारा 123 के उपबन्धों के अनुसार किसी अभ्यर्थी द्वारा विहित सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा और यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुसार भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाएगा तो वह उस आदेश के प्रमानी होने की तारीख से छह वर्ष की

अवधि के लिए निर्राहित हो जाएगा। निर्वाचन के लिये संशोधनों पर संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय XVII में इस बाबत विधि की कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। समिति कीं रिपोर्ट विचाराधीन है।

केरल से रेलवे सुरक्षा दल में भर्ती

3803. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे सुरक्षा दल में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) दल के कुल व्यक्तियों में केरल से भर्ती किये गये व्यक्तियों का अनुपात क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) 1-6-72 को देश में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की जो संख्या थी वह नीचे बतायी गयी है:—

स्वीकृत संख्या	58,964
वास्तविक संख्या	53,662

इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा विशेष दल की 8 बटालियनें है जिनकीं संख्य-शक्ति 1-6-72 को इस प्रकार थी:—

स्वीकृत संख्या	5,500
वास्तविक संख्या	5,26

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी योजना में राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा चरण सम्मिलित करना

3804. **श्री पी गंगादेव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना आयोग ने चौथी योजना में ही राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण को सम्मिलित करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसके पूरी हो जाने के बाद कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण का प्राक्कलन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य योजना परिव्यय में से पूरा किया जाना है। बहरहाल, चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान परियोजना के चरण-दो के अन्तर्गत कुछ प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के लिये राज्य को तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

(ख) परियोजना के चरण-एक को चौथी योजना के अन्त तक तथा उसके उपरांत परियोजना के चरण-दो को वास्तव में पूरा कर दिया जाएगा। पूर्ण होने पर, परियोजना कृष्य कमान क्षेत्र के लगभग 28.4 लाख एकड़ (चरण-एक में 13.4 लाख एकड़ तथा चरण-दो में 15 लाख एकड़) को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय में बदलना

3805. **श्री पी. गंगादेव** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा तथा विद्युतचालित करघा उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार को धन का वितरण करने की शक्ति दिये बिना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक निकाय में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी ग्रुप, जिसने विद्युतचालित जांच समिति की सिफारिशों तथा सूती कपड़ा आयुक्त द्वारा उनको दिये गये सुझावों की जांच की थी, ने भी परिवर्तन का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). वर्तमान अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक निकाय में बदलने के लिए एक प्रस्थापना विचाराधीन है। सांविधिक निकाय के कार्यों सहित प्रस्थापना को अन्तिम रूप देने में समय लगने की सम्भावना है।

Silk Industry in Madhya Pradesh

3806. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of persons earning their livelihood from Silk Industry in Madhya Pradesh;

(b) whether Central Government are aware of any seheme formulated by Government of Madhya Pradesh to provide facilities including plantation of mulberry trees etc.in the backward Districts in the State; and

(c) if so, the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) About 37,000.

(b) Yes, Sir.

(c) The scheme envisages supply of mulberry leaves to landless cultivators in the backward districts of Indore and Dhar at a nominal cost from the State Department Sericultural Farms to enable them to undertake silkworm rearing. Facilities for training and technical guidance are also afforded. The scheme further provides for purchase of cocoons produced by the rearers.

Production of Silk and Silken Cloth

3807. SHRI DHAN SHAH PRADHAN :
SHRI K. KODANDA RAMI REDDY :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the annual production of cloth, silk and silken cloth in the country; and

(b) the value of silken cloth exported to foreign countries and the amount of foreign exchange earned during the last three years thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) The estimated annual production of cloth, raw silk and silken cloth is as under :

Cloth	...	8700 million metres.
Raw silk	...	28.44 lakh kg.
Silken cloth	...	3.55 million metres.

(b)

Year	*Foreion Exchange earned*
	Rs. in crores
1969-70	17.42
1970-71	10.05
1971-72	7.15

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में भारत का भागीदार होना

3808. श्री पी. के. देव : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में संयुक्त उपक्रमों, में इक्विटी और शेयर खरीदने में किन फर्मों ने रुचि दिखाई है; और

(ख) सरकार की नीतियां विदेशों में उनके सहयोग को कहां तक प्रोत्साहित करेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जिन भारतीय फर्मों को विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, उनके अतिरिक्त जिन फर्मों ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों में इक्विटी शेयर खरीदने में रुचि दिखाई है, उनकी एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-3537/72]

(ख) विदेशों में भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति विदेशों में इस प्रकार के उद्यम स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों में समाविष्ट है। जिसकी एक प्रति संलग्न है।

तेनू घाट बांध परियोजना से पश्चिम बंगाल को पानी की निःशुल्क सप्लाई

3809. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेनू घाट बांध परियोजना के सम्बन्ध में किए गए करार में इस बात की व्यवस्था है कि बिहार सरकार पश्चिम बंगाल के विद्युत् संयंत्रों को पानी की निःशुल्क सप्लाई करेगी;

(ख) क्या बिहार सरकार का विचार अब पश्चिम बंगाल के संतालडीह पावर स्टेशन को 58 पैसे प्रति 1,000 गैलन की दर से पानी सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के बीच 1964 में हुआ करार तेनुघाट परियोजना की बिहार सरकार द्वारा आयोजित क्षमता के ही बारे में था। इसमें यह नहीं दिया हुआ था कि बिहार पश्चिम बंगाल को पानी मुफ्त देगा।

तेनुघाट परियोजना, बिहार सरकार द्वारा, स्वयं धन लगाकर, विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही है और बिहार सरकार ने यह कहा है कि उल्लिखित दर, परियोजना के चरण-एक से ली गई सप्लाई की लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

22 अप एक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच के बारे में झांसी के मुनसिफ के न्यायालय द्वारा 'रोक आदेश' जारी किया जाना

3810. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुनसिफ के न्यायालय, झांसी द्वार 26 अप्रैल, 1971 को एक रोक आदेश द्वारा रेलवे प्रशासन को 11 अप्रैल, 1970 को हुई 22 अप एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में और आगे जांच कार्य को रोक दिया गया था;

(ख) क्या मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर ने मई/जून, 1971 के अपने सेफ्टी बुलेटिन में दुर्घटना के कारण प्रकाशित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं जब कि 'रोक आदेश' अभी भी लागू है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, निषेधाज्ञा में श्री आर. एस. शर्मा को दिये गये 2-6-1970 के आरोप पत्र के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने पर रोक लगायी गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) निषेधाज्ञा में तथ्य अन्वेषी समिति द्वारा स्थापित कारणों के प्रकाशन पर रोक नहीं लगायी गयी है। यह प्रकाशन गाड़ी संचालन कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिए था।

मैसर्स कोठारी एण्ड सन्स, मद्रास के विरुद्ध आरोप

3811. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोठारी एण्ड सन्स, मद्रास के स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन गैलण्डेल और केलकोरवी नामक दो चाय बागानों के प्रबन्धक जनवरी, 1972 से चाय में रोलिंग के समय मेथाइल सेसीसिलेट मिला रहे हैं और उसे जे. थामस एण्ड कम्पनी, कोचीन के माध्यम से अत्यधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विधार इन आरोपों की तुरन्त जांच के आदेश देने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. सी. जार्ज) : (क) से (ग). चाय बोर्ड को शिकायतें मिली थी कि 'कोलाकुम्बी' और 'गलैण्डेल' चाय बागानों की चाय के दो ढेरों में मेथाइल सेलीसिलेट थीं जो मिलाई गई थी। चाय बोर्ड द्वारा ढेरों के नमूने लिये गये और उन्हें बाद में केरल सरकार के सरकारी विश्लेषक द्वारा विश्लेषित कराया गया। विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चला कि चाय के सम्बन्धित नमूनों में न मिलाया गया रासायनिक पदार्थ था और न अन्य कोई बाहरी पदार्थ।

(घ) प्रश्न नही उठता।

रेलवे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया

3812. **श्री झारखन्डे राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में रेलवे की ओर से न्यायालयों में मुकदमे लड़ने के लिये बड़े-बड़े स्टेशनों पर रेलवे अधिवक्ता मनोनीत किए गए हैं; और

(ख) अधिवक्ताओं को मनोनीत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित एडवोकेटों की ख्याति, प्रमाणित योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही सक्षम एडवोकेटों के नाम रेलवे एडवोकेटों के पेनल पर रखे जाते हैं। समर्थ प्राधिकारी द्वारा केवल योग्य और होनहार वकीलों का पेनल बनाया जाता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकटों के दो बंडलों का गायब हो जाना

3813. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बम्बई सेन्ट्रल और दिल्ली से हावड़ा (iii मेल/एक्सप्रेस) के टिकटों के दो बंडल क्रमशः वर्ष 1968 और 1969 में गायब हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इस हानि के लिये किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) गुम हुए टिकटों का मूल्ल 5,538 रुपये 45 पैसे था।

(ग) इस संबंध में दिल्ली स्टेशन के मुख्य बुकिंग क्लर्क और दो अन्य बुकिंग क्लर्कों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया गया जिसमें कि मुख्य बुकिंग क्लर्क की वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी प्रभाव पूर्वक दो वर्ष के लिए और दो अन्य बुकिंग कलर्कों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी प्रभाव पूर्बक 2 वर्ष के लिये रोक दी गयी।

धर्म संबंधी भारतीय पुस्तकों की विदेशों में मांग

3814. श्री **धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य संबंधी भारतीय पुस्तकों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विदेशों में देश-बार निर्यात की गई पुस्तकों के तथा उनके लेखकों के नाम क्या है; और

(ग) विदेशों को धार्मिक साहित्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). चूंकि 'धर्म संबंधी भारतीय पुस्तकों को परिशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है अतः ऐसी पुस्तकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय पुस्तकों, पुस्तिकाओं, लघु पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं तथा इश्तिहारों का, जिनमें धर्म संबंधी पुस्तकें भी शामिल

हैं, पूर्व यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस आदि को तीन वर्षों में निर्यात निम्नलिखित रूप में था :—

(मूल्य लाख रु० में)

1969-70	1970-71	1971-72 (फरवरी 1972 तक)
101.46	76.78	108.07

(ग) सरकार ने पुस्तकों के निर्यात को, जिनमें धार्मिक साहित्य भी शामिल है, बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए हैं उनमें से कुछ ये हैं; अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रकाशकों के प्रतिनिधि-मण्डल भेजना, आयात प्रतिपूर्ति देना तथा नकद सहायता।

सिल्क वार्म सीड में सुधार हेतु सेक्स सैपेरेटरों का आयात

3815. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क वार्म सीड की किस्म सुधारने के लिए रूस से छः सैक्स सैपेरेटरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या रेशम के धागे की मार्किट बढ़ाने के लिए श्रीनगर में री-रिलिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीरी रेशम का भविष्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विश्व रेशम बाजार में हाल की प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि कश्मीरी रेशम के निर्यात की अच्छी गुंजाइश है।

दिसम्बर, 1971 के युद्ध के दौरान जहाजों का पकड़ा जाना

3816. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 के युद्ध के दौरान भारत तथा पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे देश के कितने व्यापारिक जहाज पकड़े गए; और

(ख) पकड़े गये जहाजों को वापस करने के मामले में दोनों ओर से क्या प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क). दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने चार पाकिस्तानी जहाज पकड़े थे जबकि पाकिस्तान द्वारा कोई भी भारतीय जहाज नहीं पकड़ा गया था।

(ख) इन जहाजों का 'युद्ध में लूट का माल' होने के कारण इन्हें वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात व्यापार में प्रगति

3817. **श्री पम्पन गौडा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष किन मदों के निर्यात में कमी हुई है और उनके निर्यात की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : 1970-71 में प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में 1971-72 की उतनी ही अवधि (अर्थात् अप्रैल 1971 से फरवरी, 1972) के दौरान निर्यात की जिन मुख्य मदों में गिरावट आई वे हैं :—लोह तथा इस्पात व उनका स्क्रैप, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, लौह मैंगनीज, खली, सूती वस्त्र, इंजीनियरी माल आदि ।

इस्पात की स्वदेशी कमी से 1971-72 के दौरान लोहा तथा इस्पात व उनके स्क्रैप के निर्यातों में भारी कमी आई है । चूंकि कमी की स्थितितां अभी भी चल रही हैं अतः लोहा तथा इस्पात के निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है । तथापि, ये प्रयास किये जा रहे हैं कि अतिरिक्त आयातों द्वारा और साथ ही देश में ही उत्पादन को बढ़ाकर इस वर्ष इस्पात की सप्लाई को बढ़ाया जाए । 1972-73 हेतु आयात नीति के अन्तर्गत औद्योगिक अन्तर्निविष्ट साधनों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन की संभावनाओं को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंजीनियरी माल के हमारे निर्यातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है ।

लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, लौह-मैंगनीज जैसी मदों के निर्यातों में कमी अधिकतर विश्व इस्पात उद्योग में मन्दी आने के कारण हुई । तथापि, लौह अयस्क तथा अन्य खनिज मदों के अधिकाधिक निर्यातों को सुकर बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने, अन्तर्देशीय परिवहन सुविधाओं में सुधार और पत्तनों के विकास आदि के संबंध में सतत प्रयास जारी है । नई मण्डियों का भी पता लगाया जा रहा है ।

तिलहन व खली के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है । एक उपाय के रूप में यह भी विनिश्चय किया गया है कि कतिपय शर्तों के अधीन मूंगफली निस्सारण के निर्यातों के आधार पर विकास तथा भाड़ा संबंधी सहायता प्रदान की जाए ।

गत वर्ष की स्थिति के विपरीत रुई की अच्छी फसल के फलस्वरूप रुई की कीमतें अब ऐसे स्तर पर चल रही हैं जो कि निर्यात उत्पादन के लिए सहायक है । अच्छी क्वालिटी के उत्पादन में सुधार लाने के लिए निर्यातक मिलों की आयातित आधुनिक किस्म की वस्त्र मशीनों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो । आयातित कपड़े के आधार पर सीमा शुल्क वाण्ड के अन्तर्गत परिधानों के निर्यात उत्पादन संबंधी स्कीम को उदार बना दिया गया है ताकि परिधानों के निर्यातों को अधिकाधिक बढ़ाया जा सके । सूती वस्त्रों तथा सूत के लिए वल्क क्रयादेश प्राप्त करने के लिए भी सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

बढ़िया किस्म के और मोटे कपड़े के उत्पादन में वृद्धि

3818. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष संगठित कपड़ा उद्योग में बढ़िया किस्म के और मोटे कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). सूती वस्त्र उद्योग के संगठित क्षेत्र में बढ़िया सूती कपड़े का उत्पादन 1970 में 21.9 करोड़ मीटर से बढ़कर 1971 में 24.7 करोड़ मीटर हुआ। रुई की फसल अच्छी न होने के कारण 1971 के दौरान मोटे सूती कपड़े के उत्पादन में 1970 की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

किन्तु, नियंत्रित कपड़े का उत्पादन मई 1971 में 29.7 लाख मीटर से बढ़कर 1972 की पहली तिमाही में 1020 लाख मीटर हुआ है।

रबड़ के रक्षित भंडार

3819. श्री सरजू पांडे :
श्री एम. एम. जोजफ :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि आगामी वर्ष में 15,000 टन रबड़ का रक्षित भण्डार बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम से परामर्श करके मामले पर विचार किया जा रहा है।

ऊनी कपड़ा उद्योग में अत्याधिक लाभ पर रोक

3820. श्री श्रीकिशन मोदी: क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊनी कपड़ा उद्योगों द्वारा अत्याधिक लाभ कमाये जाने पर रोक लगाने सम्बन्धी उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये उपाय कब तक लागू किये जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार ने गर्म कपड़ा बनाने वाली मिलों से कहा है कि वे गर्म कपड़े का सस्ती दर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करें ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज): (क) तथा (ख). वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयातित कच्चे ऊन के आवंटन में पहले ही यह शर्त रखी जा रही है कि आबंटी, नेशनल कापरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशन अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को अन्तिम उत्पादन की उतनी मात्रा और उन कीमतों पर सप्लाई करेगा जोकि आपस में तय की जायं। ऊनी मिलें, पारस्परिक सहमत कीमतों पर सहकारी उपभोक्ता भंडारों, उचित कीमत की दुकानों आदि की मार्फत बेचने के लिये अपने उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत माल उपलब्ध करा रही हैं।

(ग) विदेश व्यापार मंत्री ने, 27 जुलाई, 1972 को बम्बई में हुई इंडियन वूलेन मिल्स फैडरेशन की आठवीं वार्षिक आम बैठक में अपने अभिभाषण में उद्योग द्वारा उचित कीमतों पर जनसाधारण के उपभोग के लिए रोजमर्रा काम में आने वाली ऊन से बनी वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया था।

राज्य व्यापार निगम से कपड़े बनाने वाली पुरानी मशीनें खरीदने वालों को आयात लाइसेंस देना

3821. **श्री श्रीकिशन मोदी:**
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम से कपड़ा बनाने वाली पुरानी मशीनें खरीदनें वालों को उन्हें दिये जाने वाले आयात लाइसेंसों से नायलोन यार्न अथवा पालिस्तर फिलामेंट यार्न आयात करने की छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) मैसर्स रेयक्स इंडिया की ओर से राज्य व्यापार निगम ने 1966 में 6 साइज़िंग मशीनें आयात की थीं। चूंकि मैसर्स रेयक्स इंडिया ने ये मशीनें नहीं उठाई जो 6 वर्ष से उनके पास पड़ी हुई हैं, अतः कच्चे माल की सहायता देकर इन मशीनों को बेचने के लिए एक स्कीम तैयार की गयी। यह स्कीम ऐसे ढंग से बनाई गयी है कि सप्लाई किये गये कच्चे माल की सहायता से इससे अतिरिक्त निर्यातों का सृजन होगा।

आंध्र प्रदेश में रुई की खरीद से एजेंट द्वारा लाभ अर्जित किया जाना

3822. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश की अदोनी मार्किट में रुई की खरीद के लिये नियुक्त किये गये एजेन्ट भारतीय रुई निगम द्वारा निर्धारित मूल्य किसानों को न देकर स्वयं 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ कमा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का बिचार सीधे उत्पादकों को चैक द्वारा भुगतान करने तथा इस बारे में अन्य कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). रुई निगम उत्पादकों को सामान्यत: चैकों/डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा सीधे भुगतान करता है । अदौनी के बाजार में सहकारी विपणन की अवस्थापना के न होने के कारण आंध्र प्रदेश के कृषि विपणन अधिनियम के अधीन केवल लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के माध्यम से रूई की खरीद करनी पड़ती थी तथा भुगतान भी उनके द्वारा ही करने पड़ते थे । बाद में रूई निगम के अनुरोध पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अदौनी के बाजार में अपना सहकारी विपणन संघ आरम्भ किया तथा उसके द्वारा खरीद एवं भुगतान किये गये ।

एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों में डिब्बों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण तीसरे दर्जे में बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधाएं

3823. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में डिब्बे न लगाये जाने के कारण तीसरे दर्जे में बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई कठिनाइयों की जनकारी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनकी कठिनई कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). भीड़-भाड़ की मात्रा का अनुमान लगाने के उद्देश्य से यात्री वाहक गाड़ियों में स्थान के उपयोग की वर्ष में दो बार गणना की जाती है । इन गणनाओं के परिणामों के आधार पर, जहां तक व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण होता है, गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये जाते हैं चाहे इसके लिए अपेक्षाकृत भारी कर्षण, अर्थात् डीज़ल/बिजली इंजनों का जोकि लम्बी गाड़ियां खींचने के लिए सक्षम होते हैं, उपयोग क्यों न करना पड़े । अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने और गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है ।

नागार्जुन सागर और श्रीसैलम परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेना

3824. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह नागार्जुन सागर और श्रीसैलम परियोजनाओं के निर्माण का शेष कार्य अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). केंद्रीय सरकार के पास आंध्र प्रदेश सरकार से हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वृहत् परियोजजनाओं पर धन लगाने के प्रश्न पर चौथी योजना तैयार करने के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कई बार विचार किया गया था और अन्ततः यह फैसला किया गया था कि ऐसे परियोजनाएँ राज्यों की विकासात्मक योजनाओं के भाग के रूप में चालू रहेंगी और राज्यों को कुल केंद्रीय सहायता का 10% संतत बृहत् सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश को निवेली से बिजली का हिस्सा दिया जाना

3825. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश को, उसकी बिजली की कमी पूरी करने के लिये, निवेली से 100 मैगावाट बिजली दिलवाने में असफल रही है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश को बिजली के संकट पर काबू पाने के लिए केरल द्वारा 66 मैगावाट बिजली देने की पेंशकश का उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(ग) आंध्र प्रदेश को निवेली से बिजली का उचित हिस्सा दिलवाने और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और बिद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार नेवेली काम्पलेक्स की आवश्यकताओं से बची सभी विद्युत को पहले ही तामिलनाडु ग्रिड को देने के लिए वचनबद्ध है और इस प्रकार आंध्र प्रदेश के लिए विद्युत बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बहरहाल, आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर, तामिलनाडु जब कभी भी संभव होता है, आंध्र प्रदेश को बिजली प्रदान कर देता है।

विद्युत की कमी को दूर करने के लिए मई, 1972 के दौरान तामिलनाडु ग्रिड के माध्यम से, आंध्र प्रदेश को केरल से 40 मेगावाट के लगभग विद्युत पहुंचाई गई। केरल के जलविद्युत जलाशयों में सचय स्थिति खराब हो जाने पर यह व्यवस्था बन्द करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश, मैसूर,

तामिलनाडु और केरल की विद्युत प्रणालियों को समानान्तर कर दिया गया है और 14 अगस्त, 1972 से ये समेकित ढंग से कार्य कर रही हैं। अतः उनको इनके विद्युत-जनन कार्यक्रम को इस ढंग से नियमित करना संभव हो जाना चाहिए कि सबको लाभ देते हुए, विद्युतजनन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किया जा सके।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदनार्थ भेजी गई बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं

3826. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं और मंजूरशुदा योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं की संख्या कितनी हैं और वे कब से विचाराधीन हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1951 से केन्द्र की स्वीकृति के लिए 13 बृहत और 55 मध्यम स्कीमों के प्रस्ताव किए थे।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण एक में दिया गया है, अब तक 8 बृहत तथा 49 मध्यम स्कीमों को स्वीकृत दी गई है।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण-दो में दिया गया है 5 बृहत तथा 6 मध्यम स्कीमों पर विचार करना बाकी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3538/72]

सतना-रीवा-बियोहरी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

3827. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतना रीवा-बियोहरी रेलवे लाइन की व्यवहार्यता के बारे में किये जाने वाले प्रस्तावित सर्वेक्षण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) और (ख). रीवां के रास्ते सतना से ब्योहारी तक एक नई बड़ी लाइन के लिए 83,842 रुपए की अनुमानित लागत से यातायात सर्वेक्षण की हाल ही में मंजूरी दी गई है। सर्वेक्षण-कार्य चल रहा है।

हरसाना कलां रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर रेलगाड़ियों को रोके जाने की व्यवस्था

3828. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पानीपत के बीच केवल एक रेलगाड़ी है जो हरसाना कलां पर रुकती है;

(ख) क्या जनता ने अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें इस स्टेशन पर अन्य गाड़ियों को भी रोकने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्टेशन पर अन्य रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने का है ताकि यहां के लोग दिल्ली में अपने कार्यालयों को जा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इस समय हरसाना कलां हाल्ट स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि अतिरिक्त ठहरावों से इस खण्ड में गाड़ियों का चालन-समय बढ़ जायेगा जिसका परिणाम यह होगा कि संतृप्त दिल्ली-अम्बाला इकहरी लाइन खण्ड की लाइन क्षमता पर दबाव बढ़ जायेगा, जो कि वांछनीय नहीं है। जब पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होगी तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली-अहमदाबाद मेल के दिल्ली ओखा डिब्बे में संसद सदस्यों के लिए कोटा निर्धारित करना

3829. **श्री डी. पी. जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 201 अप अहमदाबाद मेल में दिल्ली-ओखा डिब्बे में संसद सदस्यों के लिए कोटा निश्चित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त डिब्बे में 2 टायर वाली 2 स्थान का कोटा निश्चित करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) 201 अप अहमदाबाद मेल में जोड़े जाने वाले दिल्ली-ओखा डिब्बे में संसद सदस्यों के लिए कोई कोटा नहीं है ।

(ख) अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं आई है । प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

प्रतिदिन एक हरिजन बस्ती में बिजली लगाना

3830. श्री डी. पी. जदेजा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान केंद्रीय बिजली परामर्शदात्री परिषद की बैठक में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो प्रत्येक राज्य में प्रतिदिन कम से कम एक हरिजन बस्ती में बिजली लगाने का कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में था; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सभी राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र प्रशासनों को भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती वर्ष के दौरान प्रतिदिन कम से कम एक गांव को हरिजन बस्तियों को जो कि पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के निकट हैं, विद्युतीकरण करने हेतु कार्यक्रम तैयार करने के लिए लिखा गया है। जबकि कुछ राज्य इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं, अन्य राज्य इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कदम उठा रहे हैं।

सूखाग्रस्त राज्यों में पंपिंग सेट लगाना

3831. श्री डी. पी. जदेजा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य में जिलावार अब तक कितने पम्पिंग सेटों को बिजली दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3539/72]

Demand for wagon by traders in Rajasthan

3832. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of wagons demanded by traders in Rajasthan during the last three years and the number of wagons made available to big and other traders; and

(b) the names of the traders supplied with maximum number of wagons ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) & (b). Details of wagon requirements and supply are not maintained Statewise.

Inadequate Stock of Medicines in Railway Hospitals in Rajasthan

3833. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Class III and Class IV employees of Railways have to face great difficulties for want of adequate stock of medicines in the various Railway Hospitals in Rajasthan ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the amount spent on the purchase of medicines for the various Hospitals during the last two years ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T.A. PAI) : (a) NO.

(b) Does not arise.

(c) The amount spent on medicines for the Hospitals and Health Units in Rajasthan is as under :

	Rs. P.
1970-71.	29,52,829.79
1971-72.	33,42,246.46

Central Assistance to Rajasthan Canal

3834. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the funds asked for by Rajasthan Government from the Central Government for the development of Rajasthan Canal during the financial years 1970-71 and 1971-72; and

(b) the funds provided by Central Government during this period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) & (b). For the develodment of Rajasthan Canal area an integrated area development programme has been taken up during the Fourth Plan at an estimated cost of Rs. 10.60 crores. This programme is partly financed by the Central Sector assistance. During 1970-71 and 1971-72 a sum of Rs. 95 lakhs has been paid to the Rajasthan Government for area development and Rs. 111.30 lakhs under World Food Programme. For Soil and Water management Pilot Project a sum of Rs. 98,000/- was also paid to the State Government during 1970-71 and another amount of Rs. 3.60 lakhs during 1971-72.

Cultivable land in Haryana and Punjab not covered by Irrigation

3835. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in Haryana and Punjab not covered by irrigation at present; and

(b) the assistance proposed to be provided by the Central Government to these States during the financial year 1972-73 to make them self-reliant in the matter of irrigation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) The areas of cultivable land not convered by irrigation in Haryana and Punjab States are 22.61 hectares (55.84 lakh acres) and 7,54 lakh hectares (18.63 lakh acres) respectively.

(b) During the Fourth Plan Period Central Assistance is being given to these States in the from of block loans/grants and is not tied to any specific scheme or head of development. The Fourth Plan outlay for major and medium irrigation is Rs. 29.90 crores for Haryana and Rs. 15.88 crores for Punjab. The approved outlays for 1972-73 are Rs. 21.69 crores for Haryana and Rs. 4.27 crores for Punjab.

भूतपूर्व एस. एस. लाइट रेलवे को चलाने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई सहायता

3836. **श्री एस. एम. बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को चलाने के लिये उन्हें आवश्यक सहायता दी जाए;

(ख) क्या मुख्य मंत्री को केन्द्र के तत्सम्बन्धी विचार से अवगत करा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ग). इस तरह का एक अनुरोध मेरे पूर्ववर्ती को प्राप्त हुआ था। उस समय मुख्य मंत्री को बता दिया गया था कि लाइट रेलवे के संचालन के लिए तकनीकी सहायता जिसमें अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं उधार देना शामिल है, राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाएगी लेकिन रेल मंत्रालय रेल संचालन के लिए किसी वित्तीय दायिता में हाथ न बंटा सकेगा। जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा कल बताया जा चुका है यह सिद्धांत रूप में मान लिया गया है कि इस लाइट रेलवे को फिर खोल दिया जायेगा। यह रेलवे कब और कैसे चलाई जाएगी यह प्रश्न रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया जाये।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की मांग

3837. **श्री एस. एम. बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मैनों के दोनों फैडरेशनों ने मांग की है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन तुरन्त प्रस्तुत किया जाये;

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने इस असंतोष के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचना दे दी है; और

(ग) यदि हां तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ख). आल इन्डिया रेलवेमैनस फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ रेलवेमैन के प्रतिनिधि संयुक्त वार्ता तंत्र योजना की राष्ट्रीय परिषद् में भाग लेते हैं। 28 और 29 जुलाई, 1972 को हुई परिषद की बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें एक विषय वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत किये जाने के बारे में था। उस समय अधिकारियों की ओर से, जिनमें वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे, स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग की रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है।

अमरीका से अंग्रेजी फिल्मों का आयात

3838. **श्री पम्पन गौडा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत ने अमरीका से कितनी अंग्रेजी फ़िल्मों का आयात किया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या अमरीका से अंग्रेजी फिल्में आयात करने सम्बन्धी करार का, जो वर्ष 1971 में व्यपगत हो गया था इस बीच नवीकरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात तथा वहां से आयात की गई फिल्मों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आंकड़े मीटरों तथा मूल्य के रूप में रखे जाते हैं, संख्या में नहीं। मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएसन आफ अमरीका इंक के साथ किए गए भूतपूर्व करार की शर्तों के अनुसार एसोसिएशन की आठ सदस्य कम्पनियों को उनके द्वारा आयातित तथा प्रदर्शित फिल्मों से प्राप्त राशि में से केवल 25 लाख रु० प्रति वर्ष स्वदेश भेजने की अनुमति थी। शेष राशि करार के अनुसार मनुमत प्रयोगों के लिए रुकी रहती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे ज़ोन की अनौपारिक परामर्श दात्री समिति की बैठकें

3839. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे जोन की अनौपचारिक परामर्श दात्री समिति की वर्ष 1971-72 में कितनी बैठकें हुई; और

(ख) क्या उन बैठकों में कोई निर्णय किये गये थे और यदि हां, तो उनकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) केवल एक।

(ख) इन समतियों की बैठकें बिना किसी पूर्व कार्य सूची/ब्रीफ आदि के अनौपचारिक रूप से आयोजित की जाती हैं। सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों की पूरी जांच की जाती हैं और उसके बाद रेलों की टिप्पणियां, सदस्यों को भेज दी जाती हैं। इस लिए बैठक में कोई निर्णय नहीं किया जाता।

अनूर तथा गुलेर स्टेशनों के बीच कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये नया मार्ग

3840. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध बन जाने के कारण अनूर और गुलेर स्टेशन के बीच कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन को नये मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नए स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि जिन पुराने स्टेशनों को तोड़ा जाए उन्हीं के नाम पर नए स्टेशन बनाए जायें; और

(घ) उनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1974.

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदक को सूचित कर दिया गया था कि रेलवे स्टेशनों के नामकरण अथवा पुनर्नामकरण के सम्बन्ध में रेल प्रशासन सम्बिन्धित राज्य सरकारों की राय से काम करता है।

डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाये जाने वाले मार्ग

3841. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कतिपय गाड़ियों को डीजल से चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) किन-किन गाड़ियों को डीजल से चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह प्रक्रिया किस संभावित तारीख तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) 15-8-72 से 117/118 मद्रास-मदुरै पाण्डयन एक्सप्रेस और 103/104 मद्रास-तूतीकोरिन एक्सप्रेस का डीजलीकरण कर दिया गया है। निकट भविष्य में और किसी गाड़ी के डीजलीकरण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य रेलगाड़ी परीक्षकों के पद बनाने का प्रस्ताव पूर्व रेलवे

3842. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने 250-380 रुपयों तथा इससे अधिक के ग्रेड में मुख्य रेलगाड़ी परीक्षकों के कुछ पद बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में देरी किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) सत्रह पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई परियोजना

3843. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई परियोजना कब आरम्भ की गई थी;

(ख) अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना का निर्माण 1957 में आरंभ किया गया था।

(ख) 1971-72 के अन्त तक परियोजना पर 37.43 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे और 4.18 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता उत्पन्न की गई थी।

(ग) परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

Benches of Allahabad High Court at Meerut and Rajasthan High Court at Jaipur

3844. SHRI RAM CHANCHDRA VIKAL : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether a demand to set up a Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur and of the Allahabad High Court at Meerut is being made for a long time; and

(b) if so, the time by which this demand is likely to be met ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) Representations in this behalf were received by Government from certain Bar Associations.

(b) The question whether a High Court should have a Bench at a place other than the principal seat is primarily for the State Government concerned to consider in consultation with the High Court. There is no proposal from the Government of Rajasthan for the setting up of a Bench of the High Court at Jaipur or from the Government of U. P. for a Bench of the High Court at Meerut.

भाद्रन-वासो लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3845. **श्री डी. डी. देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भायली-भाद्रन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने और विद्यमान भाद्रन-वासी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए दृढ़ मांग की जा रही है ताकि उस क्षेत्र की अत्यधिक राजस्व क्षमता का उपयोग किया जा सके ; और

(ख) इस मामले में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नारियल जटा निर्यात पर केरल सरकार की आपत्ति

3846. श्री सी. जनार्दनन : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अथवा केरल नारियल जटा सलाहकार बोर्ड की ओर से नारियल जटा के निर्यात का राज्य व्यापार निगम अथवा उसके किसी नये सहायक निगम के माध्यम से किए जाने के केन्द्रिय सरकार के सुझाव पर सरकार से कोई आपत्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी आपत्तियों के राज्य सरकार अथवा नारियल जटा सलाहकार बोर्ड ने क्या कारण बताए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय (उपमंत्री श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग) : क्यर निर्यातों के प्रस्तावित मार्गीकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा केरल सरकार के विचारों में कोई विशेष मतभेद नहीं है । केरल सरकार ने केवल यह कहा है कि राज्य सरकार के रूप में, जिसका क्यर उद्योग से महत्वपूर्ण संबंध है, क्यर के निर्यातों के मार्गीकरण के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उनसे अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए ।

कोचीन से कालीकट तक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने पर खर्च की गई धनराशि

3847. श्री सी. जनार्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के प्रबन्धकों ने कोचीन से कालीकट तक नई एक्सप्रैस ट्रेन सेवा के उद्घाटन समारोह पर कितनी राशि खर्च की है ?

(ख) समारोह में कितने रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया ; और

(ग) दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते पर कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) 163.00 रुपये ।

(ख) पांच अधिकारी और पांच कर्मचारी ।

(ग) यात्रा, केवल समारोह में सम्मिलित होने के अभिप्राय से नहीं की गयी थी, अतः यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में ली गयी रकम को समारोह के सम्बन्ध में हुआ व्यय नहीं माना जा सकता । अस्तु अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की रकम 439 रुपए 39 पैसे है ।

जमाइ मछली (श्रम्प) का अमरिका को निर्यात करने वाली मैसर्स यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमिटेड, नइ दिल्ली के बारे में जाँच

3848. **श्री सी. जनार्दनन : क्या विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स यूनियन कारबाइड (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, के बारे में इस शिकायत की जांच की है कि वह सस्ते मूल्य पर अमरीका की जमाई हुई मछली (श्रिम्प) का निर्यात करती है जबकि जापान में इसका अधिक मूल्य मिल सकता है ?

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली से कोचीन और दिल्ली से मंगलौर तक विशेष गाड़ियां चलाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

3849. **श्री सी. जनार्दनन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की ओर से ऐसा कोई अनुरोध किया गया था कि ग्रीष्म ऋतुओं में दिल्ली से कोचीन और दिल्ली से मंगलौर तक विशेष गाड़ियां चलाई जायें, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां । केरल के मुख्य मंत्री ने दिली और कोचीन के बीच एक साप्ताहिक होली डे स्पेशल गाड़ी चलाने का अनुरोध किया था ।

(ख) गर्मी के दिनों में जब किन्हीं दो स्टेशनों के बीच मिलने वाला यातयात सामान्य गाड़ियों द्वारा की जाने वाली निकासी से गाड़ियों-पर अधिक हो जाता है तो उसके लिए हाली डे स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती हैं ।

1972 की गर्मियों के दौरान, दिल्ली और कोचीन के बीच एक स्पेशल गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था । इन दो स्टेशनों के बीच होने वाले अ यातायात के आधार पर इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया ।

Transfer of Railway Employees in Kota and Ratlam Division (Western Railway)

3850. DR. LAXMINARAIN PANDE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of transfers effected in Ratlam and Kota Divisions of Western Railway during the last three years ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Theft of Railway Goods from Railway Workshop, Stores and Stock-Yards

3851. DR. LAXMINARAYAN PANDEY :
SHRI ONKAR LAL BERWA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total value of Railway goods stolen from Railway Workshops, stores and stock-yards last year; and

(b) the steps taken to check these thefts and the results thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) The total value of goods stolen from Railway Workshaps, Stores and Stock-yards during the year 1971 is Rs. 2,49,719/-.

(b) The following steps have been taken so far :

(i) All the Railway workshops are manned by the RPF staff round the clock. Some stock yards are also covered by armed RPF patrolling. The Departmental stores are guarded by the watchmen of the departments concerned.

(ii) Plain clothed RPF men are deployed to keep surveillance over the suspected railway employees and outside criminals.

(iii) Basic security arrangements like fencing and locking arrangements are reviewed from time to time and suitable improvements are effected.

(iv) There is checking at all the open gates in workshops and gate-pass system has been introduced.

(v) Basic Level Committees have been formed in various workshops for checking thefts and pilferages in cooperation with the labour Unions and the local railway staff.

As a result of the steps taken, the position of theft and pilferages has improved in 1972.

Conference of All India Gaurds Council at Ratlam in May, 1972

3852. DR. LAXMINARAYAN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a Conference of the All India Guards Council was held at Ratlam in May, 1972;

(b) whether the Council placed certain demands before Government at the Conference; and

(c) if so, their main demands and the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The main demands of the Association are :

(1) Revision of pay scales;

(2) Disparity in running allowance between Guard Grade 'B' & Driver Grade 'C' whose pay scales are identical;

(3) Condition of goods Brake vans;

(4) Upgradation on percentage basis;

(5) Better channels of promotions;

(6) Counting of 75 percent of running allowance for all purposes;

(7) Change of classification from continuous to Intensive under HER Act;

(8) Recognition of All India Guards Council;

(9) Provision of non-pooled quarters.

Such points are raised from time to time by recognised labour organisations and are generally settled through discussions in the meetings of the Negotiating Machinery at different levels. As regards recognition, Unions compose either of one category or a limited category of workers are not eligible for recognition under extent rules.

रेलवे में माल की चोरी को रोकने के लिए कुत्ता दस्ता पद्धित लागू करना

3853. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल तथा रेलवे सम्पत्ति की चोरी को रोकने के लिए कुत्ता दस्ता (डाग स्क्वैड) पद्धति लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सर्वप्रथम इसे किन जोनों में आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ग) . जी हां, माल और रेल सम्पत्ति की उठाईगीरी और चोरी को रोकने के लिए कुत्ता-दस्ते सभी क्षेत्रीय रेलों पर पहले से ही काम कर रहे हैं।

(ख) (1) रेल सम्पति की चोरी और उठाईगीरी को रोकने के लिए एक निवारक उपाय रूप में कुत्ता-दस्ते सभी क्षेत्रीय रेलों और ब्लाक खण्डों पर अपराध प्रभावित यार्डों/मालगोदामों में गश्त लगाते हैं।

(2) अपराध किये जाने के बाद अथवा अपराध की चेष्टा किये जाने पर अपराधियों का पता लगाने के लिए भी कुत्तों का उपयोग किया जाता है।

ढाका द्वारा आयात नीतियों को उदार बनाना

3854. **श्री नवल किशोर शर्मा:**

(क) क्या सरकार का ध्यान ढाका आयत नीति को उदार बनाने के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1972 के "इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण बंगला देश को निर्यात की जाने वाली विलासिता सामग्री के मामले में बंगला देश को कुछ राज्य सहायता देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार को देखा है ।

(ख) तथा (ग). बंगला देश को किये गये निर्यातों पर, चाहे वे सीमित भुगतान प्रबंधों के अंतर्गत किये गये हों अथवा मुक्त विदेशी मुद्रा के भुगतान के आधार पर किये हों, वे सभी सामान्य प्रोत्साहन पाते के योग्य हो जाते हैं, जो अन्य देशों को किये गये निर्यातों पर मिलते हैं ।

अधिक रेलवे जोनों का बनाया जाना

3855. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिक रेलवे जोन बनाए जाने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं .

(ख) सवाल नहीं उठता ।

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में तापीय विद्युत् परियोजना

3856. **श्री नरसिंह नारायण पांडे:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में बनाई जाने वाली तापीय विद्युत् परियोजाना के लिए तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकृति दे दी है, यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दी जाएगी; और

(ख) परियोजना अब किस अवास्था में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से 61.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गोरखपुर में 200-200 मेगावाट के दो ताप विद्युत् जनन सेटों की स्थापना की एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को दिसम्बर, 1971 में प्राप्त हुई थी। जांच करने पर पता चला कि विद्युत केन्द्र को शीतल-जल की सप्लाई और कोयले की सप्लाई की व्यवस्थ के बारे में विस्तृत अन्वेषण नहीं किए गए थे। अनुमानित लागत के ब्योरे भी विस्तार में नहीं दिए गए थे। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों से कहा है कि वे सभी प्रकार के अन्वेषण करने के बाद, लागत के सभी ब्योरों के साथ नई रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सिंचाई कार्यक्रम

3857. **चितामणि पाणिग्रही:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजना अवधि के लिए निर्धारित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग). बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए चौथी योजना में किए गए प्रावधान को, मुख्यतः परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण लक्षित लाभों के बिकास के लिए, अपर्याप्त पाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक मिलीयन हैक्टेयर तक की कमी होने की संभावना है। बहरहाल, राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वह राज्य योजना के इस सैक्टर में यथासंभव अधिकतम अतिरिक्त परिव्ययों की व्यवस्था करे ताकी कमी को न्यूनतम व्यवहार्य सीमा तक कम किया जा सके।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3858. **श्री मान सिंह भौरा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के तीन-चौथाई रेलमार्ग का विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः क्या लागत आयेगी;

(ग) विद्युतीकरण पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में किन-किन लाइनों का विद्युतीकरण करने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया होगी और परियोजनाओं को परिचालनिक एंव आर्थिक स्थिति के अनुसार समय-समय पर हाथ में लिया जायेगा।

(घ) चौथी योजना के दौरान लगभग 1700 मार्ग किलोमीटर के निम्नलिखित खण्डों के विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम बनाया गया था यह अगले पांच वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है :

खण्ड	मार्ग किलोमीटर	रेल पथ किलोमीटर
विरार-अहमदाबाद	437	1130
पार्श कुड़ा-हल्दिया	69	114
किरंदुल-वाल्तरु	471	620
टूंडला-दिल्ली	269	730
मद्रास-विजयवाड़ा	433	1125

Re-imbursement of Madical Expenditure

3859. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the money spent by Railway employees on medical treatment received from State-recognised hospitals and surgeons is not re-imbursed by the Railways; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) As the Railways has widespread medical facilities all along the line, reimbur- sement in cases of treatment in State Government and State recognised hospitals is admissible only if availed of under the advice of the authorised Medical Attendant.

(b) Does not arise.

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के जनरेशन इंजीनियर्स एण्ड सुपरवाइजर्स एसोसियेशन की मांगें

3860. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के जनेरेशन इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स एसोसियेशन की मांगों को पूरा करने के लिए'डेसू' के महाप्रबन्धक द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : विवरण संलगन है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.—3540/72]

दिल्ली, नई दिल्ली और सराय रोहिल्ला स्टेशनों से सफाई इन्स्पेक्टरों का तबादला

3861. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर नियुक्त सफाई इंस्पेक्टरों का नियमानुसार तीन से पांच वर्ष की अवधि तक कार्य करने के पश्चात किन्हीं अन्य स्टेशनों पर तबादला कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित अवधि बीतने के पश्चात इस प्रकार कितने इन्स्पेक्टरों का तबादला नहीं किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि एक स्टेशन पर किसी निर्धारित अवधि तक रहने के बाद सफाई निरीक्षकों का आवधिक स्थानान्तरण किया जाए।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

इलायची उत्पादकों को झारा और विशिष्ट उपकरणों की सप्लाई की योजना

3862. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलायची उत्पादकों को किराया-खरीद के आधार पर झारा (सिंप्रकलर) और अन्य विशिष्ट उपकरणों की सप्लाई की योजना की उत्साहहीन प्रतिक्रिया का विश्लेषण कर लिया है; और

(ख) इस योजना में यदि कोई त्रुटियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) योजना की शर्तें हाल ही में उदार कर दी गई हैं।

निर्यात बढ़ाने हेतु सात दलों द्वारा विदेशों का दौरा

3863. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयार चमड़ा, चमड़ा उत्पादों, परिष्कृत खाद्य-पदार्थों, मसाले और गरीफलों, हस्तशिल्प, मोटरगाड़ी पुर्जों, समुद्री उत्पादों, प्लास्टिक का सामान तथा बिजली के हलके उत्पादों जैसे उत्पाद समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात दलों ने 1971-72 के दौरान किन-किन देशों का दौरा किया;

(ख) उक्त दलों में कौन-कौन व्यक्ति थे; और

(ग) उक्त दलों द्वारा विदेशों के दौरे के परिणामस्वरूप उपरोक्त उत्पादों में से प्रत्येक उत्पादों के निर्यात में कितनी मात्रा में वृद्धि हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए.सी. जार्ज) : (क) से (ग). विदेश व्यापार मंत्रालय ने 1971-72 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंकटाड/गाट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र तथा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से तकनीकी सहायता लेकर बाजार अभिविन्यास दौरों का

आयोजन किया जिससे विशिष्ट उत्पाद समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्यातक चुने हुए बाजारों का दौरा कर सकें। 1971-72 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये उत्पाद समूह निम्नोक्त थे :—

1. तैयार चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद,
2 साधित खाद्य, मसाले तथा गिरीफल,
3. हस्तशिल्प,
4. मोटरगाड़ी आदि के पुर्जे,
5. समुद्री उत्पाद,
6. प्लास्टिक के उत्पाद,
7. बिजली का हलका सामान।

इन दलों द्वारा जिन देशों का दौरा किया गया उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है (अनुबंध 1)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. -3541/72]

बिभिन्न गलों के गठन को अन्य संलग्न विवरण में दिखाया गया है (अनुबंध-2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3541/72]

उनके दौरों के फलस्वरूप विभिन्न उत्पाद समूहों को निम्नलिखित निर्यात आदेश प्राप्त करने में सफलता मिली :

चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद	:	39.8 लाख रुपये
साधित खाद्य, मसाले तथा गिरीफल	:	21.7 लाख रुपये
हस्तशिल्प	:	89.45 लाख रुपये
मोटर गाड़ी आदि के पुर्जे	:	7.75 लाख रुपये
समुद्री उत्पाद	:	205 लाख रुपये
प्लास्टिक उत्पाद	:	123.9 लाख रुपये
बिजली का हलका सामान	:	8.78 लाख रुपये

यद्यपि इन दलों के बाजार अभिविन्यास दौरों के परिणाम स्वरूप विशिष्ट रूप से विभिन्न उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि की मात्रा बताना संभव नहीं है तथापि ऐसे संकेत मिलते हैं कि बाजार अभिविन्यास दौरों का कार्यक्रम सफल रहा है।

राज्यों की निर्यात क्षमता

3864. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश व्यापार संस्थान ने राज्यों की निर्यात क्षमता के बारे में कितने सर्वेक्षण कार्य पूरे कर लिये हैं; और

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षणों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अभी तक निम्नोक्त राज्यों के 8 निर्यात संभायता सर्वेक्षण पूरे किये हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. तामिलनाडु
3. मैसूर
4. उड़ीसा
5. हरियणा
6. बिहार
7. केरल
8. मध्य प्रदेश

सर्वेक्षण संबद्ध राज्य सरकारों की ओर से किए गए थे और निर्यात जागरूकता पैदा करने तथा एक प्रभावशाली निर्यात विकास अवस्थापना स्थापित करने के लिए रिपोर्टों को विचार हेतु तथा सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से लागू करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों को उपलब्ध किया गया था।

श्री लंका और मलेशिया पर अध्ययन

3865. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश व्यापार संस्थान द्वारा श्रीलंका और मलेशिया के बारे में किये गये अध्ययनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. जार्ज) : रिपोर्ट व्यापार संबंधी आंकड़ों में उपलब्ध सामग्री, वाणिज्यक प्रतिनिधियों की रिपोर्टों और भारत में तुरन्त उपलब्ध अन्य जानकारी से तैयार की गई डैस्क अध्ययनों के रूप में हैं। रिपोर्टों की प्रतियां संबद्ध मंत्रालयों, निर्यात संगठनों तथा अन्य संस्थानों को भेज दी गई हैं। यह आशा है कि ये संकलन विभिन्न संगठनों को अपने निर्यात संवर्धन उपाय तैयार करने में सहायता देंगे।

नारियल जटा और नारियल जटा के उत्पाद की निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण

3866. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बिदेश व्यापार संस्थान द्वारा नारियल जटा और नारियल जटा के उत्पादों के बारे में भारत की निर्यात क्षमता के बारे में किए गए सर्वेक्षण पर कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या ताड़ के रेशे डंठलों और ताड़ वृक्ष के उत्पादों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की मंडियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो इस मंडी संबंधी सर्वेक्षण के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) कयर बोर्ड के सदस्यों में प्रतिवेदन परिचालित कर दिया गया है और कयर उद्योग के विकास का जो कार्यक्रम के पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है, उसके साथ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की सिफारिशों का सामन्जस्य स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ख) पनई तन्तुओं के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अभी हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में छुट्टी रिजर्व सहायक सिगनल निरीक्षक और सिगनल निरीक्षक

3867. श्री **चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कुल कितने सहायक सिगनल निरीक्षक और सिगनल निरीक्षक कार्य कर रहे हैं;

(ख) नियमों के अनुसार उनके लिए कितने छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की आवश्यकता है और इस समय कितने छुट्टी रिजर्व कर्मचारी हैं;

(ग) क्या छः महीने के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रमों पर जाने वाले कर्मचारियों के स्थान पर और लम्बी अवधि के लिए रिक्त होने वाले अन्य स्थानों पर छुट्टी रिजर्व निरीक्षकों को नियुक्त किया जाता है; और

(घ) क्या लम्बी अवधि के लिए रिक्त होने वाले स्थानों पर छुट्टी रिजर्व नियुक्त करने की इस प्रथा को समाप्त करने और नीचे के कर्मचारियों को स्थानापन्न पदोन्नति का अवसर देने का सरकार का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) :

(क) सहायक सिगनल निरीक्षक	23
सिगनल निरीक्षक	14
(ग) नियमों के अनुसार अपेक्षित छुट्टी रिजर्व कर्मचारी	4
वर्तमान छुट्टी रिजर्व कर्मचारी	4

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। लेकिन छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों का छुट्टी रिक्तियों पर पूरी तरह से उपयोग होने के बाद यदि अनिवार्य समझा जाता है तो स्थानापन्न कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

Gandak Kosi and Other Projects hampered due to Indifferent Attitude of Central Government

3868. SHRI M. S. PURTY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have sought an amount of Rs. 80 crores from the Central Government for implementing the Gandak Project;

(b) whether the progress of work on the Gandak Kosi and other projects has been hampered as a result of indifferent attitude of the Central Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). During the Fourth Plan, Central assistance is being given to the State Plans as a whole in the form of block loans and grants. not related to any individual project or head of development. State Governments, however, sent requests for further Central assistance for various projects indicating that adequate funds could not be provided by them for those projects within the State Plan framework. In 1969-70 special non plan loans were provided to a few projects by suitable relief in repayment of Central loans during the year, among them, the Gandak project of Bihar was given Rs. 2 crores. Such requests continued to be received from the State Govenments in the subsequent years also. It was, however, found possible for the Government of India to agree, in principle, in view of the very exceptional circumstances obtaining on them, to give such assistance in the Fourth Plan only for three projects, one of which is the Western Kosi Canal (Rs. 4 to 5 crores). In 1970-71, a loan of Rs. 3.11 crores was also given to the Government of Bihar to enable them to pay towards the arrear of their share of cost in the common works relating to Gandak project excecuted by the U. P. Government.

Export of Silk, Mica, Tea and Jute

3869. SHRI M. S. PURTY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the names of the countries to which silk, mica, tea and jute were exported during 1969-70 and 1971-72; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government on this account, year-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) & (b). A statement is attached.

Statement

Statement showing exports of silk, mica, tea and jute during 1969-70 and 1971-72.

(Rupees in Crores)

Commodity	Names of Major countries to which expoted	Foreign Exchange earned 1969-70	1971-72
Silk Textiles	USA, Sweden, West Germany, Japan, France, U.K.	17.42	7.15

	Malaysia, Hong Kong, Kenya, Australia, Yugoslavia, Denmark, Finland, Switzerland, Italy, Aden and USSR.		
Mica	Czechoslovakia, Poland, Hungary, German Democratic Republic, Rumania, USSR, Bulgaria, Yugoslavia, France, Netherlands, Norway, U.K., USA, Japan, German Federal Republic and Hong Kong.	17.47	16.45 (Apil'71-Feb.'72)
Tea	U.K., West Germany, Irish Republic, Netherlands, USSR, Afghanistan, Iraq, Jordan, UAR, Sudan, Tunisia, Canada, USA, Australia and New Zealand.	124.50	162.38
Raw Jute	UK, USSR Australia, Belgium, Bulgaria, West Germany, Italy, Japan, Morocco, Spain, Sweden, Uganda, UK, USA and USSR	4.15	6.64 (April' 71-Feb.'72)

मध्यस्थ निर्णय के लिए रेल प्रशासन को आवेदन करने वाले ठेकेदारों की संख्या

3870. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1969 से जून, 1972 की अवधि के दौरान दीवानी अदालतों से आवेदन पत्रों को वापस लेकर रेल विभाग ने कितने मामलों के ठेकेदारों को मध्यस्थ निर्णय की स्वीकृति दी;

(ख) कितने ठेकेदारों ने समय अधिकारियों के समय मध्यस्थ निर्णय के लिए आवेदन किया जबकि उनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे;

(ग) कितने मामलों में मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धीआवेदन-पत्रों को वापस ले लिया गया और इसके क्या विशेष कारण थे;

(घ) कितने मामलों में अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया; और

(ङ) क्या न्यायालय से मुकदमों को वापस लेकर मध्यस्थ निर्णय प्रदान करने के बारे में कोई मानदण्ड है अथवा सम्बन्धित अधिकारी अपने विवेक से मुकदमों को वापस ले सकते हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ङ.) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1972-73 में रेलवे के लिए कितने इस्पात की आवश्यकता

3871. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में रेलवे को कुल कितने इस्पात की आवश्यकता होगी; और

(ख) उक्त वर्ष के दौरान रेल विभाग के लिए कुल कितने इस्पात का आयात किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) 1972-73 के लिए कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 3,00,000 मीटरिक टन है जिसमें पटरी, रेलपथ के सामान और कच्चा लोहा शामिल नहीं है।

(ख) इस वर्ष 1,30,000 मीटरिक टन इस्पात आयात करने की योजना है जिसमें से 15,275 मीटरिक टन के लिए अभी तक आर्डर दिये जा चुके हैं।

रेलवे में आरक्षण और बुकिंग सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

3873. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या रेल मंत्री रेलवे में टिकटों की बिक्री तथा सीटों के आरक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में 8 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेन में स्थान के आरक्षण और टिकटों की बिक्री के बारे में संसद् सदस्यों की समिति की रिपोर्ट के कब तक प्रकाशित हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : समिति द्वारा दिसम्बर, 1972 में किसी समय इस रिपोर्ट के पेश किये जाने की संभावना है।

मैसर्स चिम्मनलाल एंड ब्रदर्स के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3874. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और सरकारी संगठनों के साथ कथित धोखाधड़ी करने के आरोप पर मैसर्स चिम्मनलाल एंड ब्रदर्स के विरुद्ध जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) मैसर्स चमनलाल एंड ब्रदर्स तथा उनके संबंद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा किये गए निर्यातों की विदेशी मुद्रा स्वदेश न लाए जाने के संबंध में उनके मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की थी। यह जांच 1967-68 में शुरू की गई थी। जांच से यह प्रकट हुआ है कि धोखाधड़ी, जालसाजी, मिथ्याकरण, धोखा देने, विदेशी मुद्रा विनियमन-अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन और अपराधिक षड़यंत्र के कार्य किए गए हैं। बैंकों और अन्य सरकारी संगठनों के साथ उनके द्वारा किए गये कथित किसी धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी।

(ख) जांच पूर्ण हो जाने पर श्री चमनलाल लेखराज तथा मामले से संबद्ध अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बम्बई में 5.9.1969 को न्यायालय में एक आरोप-पत्र दर्ज किया गया है । विचारण जारी है ।

ईरान को बेंगनों की सप्लाई

3875. श्री **मुहम्मद शरीफ़**:
श्री **एम. एस. शिवस्वामी** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान को बैंगनों की सप्लाई में बिलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) . (क) तथा (ख). ईरान को माल डिब्बों की सुपुर्दगी आरम्भ करने में निम्नलिखित कारणों से कुछ बिलम्ब हुआ :—

1. ईरानी अधिकारियों द्वारा संविदात्मक औपचारिकताएं पूरा किये जाने में बिलम्ब;
2. माल डिब्बों के विनिर्माण हेतु इस्पात की पूर्ति में बिलम्ब ।
3. पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न विघटन ।

(ग) स्थिति को सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :—

1. भुगतान संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा गया । यह प्रतिनिधिमंडल, साख-पत्र को अवधि जनवरी, 1973 तक बढ़वाने में सफल रहा है ।

2. इस्पात की कमी को लगभग 6000 मे. टन इस्पात के आयातों द्वारा पूरा किया गया, जिसका आयात इसी प्रयोजन के लिए किया गया था ।

उत्पादन अब शुरू हो गया है और सुपुर्दगी मार्च, 1973 तक पूरी किये जाने की आशा है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने का प्रस्ताव

3876. श्री **प्रिय रन्जन दास मुन्शी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध तथा कलकत्ता पत्तन को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मपुत्र को गंगा को मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने लिए एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है। इस मामले पर उपयुक्त समय आने पर बंगलादेश के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करना है और इस समय, ब्यौरे देना संभव नहीं है।

यह प्रस्ताव केवल कलकत्ता पत्तन से ही सम्बन्धित नहीं है।

पटसन के निर्यात में हानि

3877. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के उत्पादन में गिरावट होने के कारण इस वर्ष हमारे पटसन के निर्यात में अनुमानतः कितनी होगी ; और

(ख) क्या अन्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पटसन के निर्यात में हुई हानि पूरी होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) इस वर्ष पटसन के उत्पादन में गिरावट के कारण पटसन माल के निर्यात में कमी आने की कोई आशंका नहीं है क्योंकि हमारी आवश्यकता के अनुसार कच्चे पटसन की कमी को आयातों से पूरा करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड के अधिकारों तथा कृत्यों का विकेन्द्रीकरण

3878. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग ने रेलवे बोर्ड के अधिकारों और कत्यों के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की थी;

(ख) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने 1 जून, 1972 को लोक सभा में वादविवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि वह निम्न स्तर के अधिकारियों को अधिकाधिक शक्तियां देंगे तथा रेलवे बोर्ड कर्मचारियों में संख्या में कमी करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारों और कृत्यों का किस सीमा तक विकेन्द्रीकरण किया है तथा रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी की गयी है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले में महाप्रबन्धकों, रेलवे बोर्ड और तत्कालीन रेल मंत्र (श्री के० हनुमन्तैया) के बीच विशद परामर्श के पश्चात् निष्कर्ष यह निकला था कि महाप्रबन्धकों को शक्तियों का मोजूदा प्रत्यायोजन पर्याप्त है। फिर भी, इस मामले की निरन्तर पुनरीक्षा होती रहती है और जब कभी

आवश्यक समझा जाता है, शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिवर्तन किया जाता है। रेलवे बोर्ड स्थापना इस प्रकार सुयोजित है कि वह रेल तंत्र की, जिसका उत्तरोत्तर योजना अवधियों विस्तार हो गया है, समग्र प्रबन्ध व्यवस्था एवं सामूहिक गतिविधियों के एकीकरण के लिए अपने ऊपर पड़ने वाले कार्य-भार को सफलतापूर्वक सम्हाल सकता है।

स्कूल चेक पास सुविधा को पुनः प्रारम्भ करना

3879. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उस स्थान से जहां अस्थायी अथवा स्थायी रूप से उनके माता पिता रह रहे हैं स्कूल/कालिज जाने तथा वहां से घर आने के लिए स्कूल चेक पास किये जाते हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों को एक निर्धारित फार्म पर उस स्कूल/कालेज का जहां लड़के, लड़कियां पढ़ते हैं, प्रमाण पत्र देना पड़ता है;

(ग) क्या ऐसे लड़के/लड़कियों से, जो कर्मचारियों के मुख्यालयों पर पढ़ते हैं और उन के माता-पिता चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी नगर में रहते हैं, हाल ही में स्कूल चेक पास की सुविधा वापस ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस सुविधा को पुनः प्रदान करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां, सिवाय तब के कि जब पुत्र/पुत्रियां कर्मचारियों के मुख्तालय स्थित स्कूल-कालेजों में पढ़ रहे हों।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार यह नहीं समझती कि जब पुत्र/पुत्रियों मुख्यालय स्थित स्कूल/कालेजों में पढ़ रहे हो, तो उन्हें इस प्रकार के पास दिये जाने का कोई औचित्य है।

धनबाद स्थित प्रभागीय अधीक्षक के कार्यालय की कार्मिक शाखा में लिपिकों को मानदेय राशि देना

3880. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में लोकों कर्मचारियों की विगत हड़ताल के दौरान प्रभागीय कार्यालय की कार्मिक शाखा के अनेक क्लर्कों को विशिष्ट कार्य पर लगाया गया था;

(ख) क्या विशिष्ट कार्य करने के लिए इन क्लर्कों को मानदेय राशि दी गई थी;

(ग) क्या अगस्त, 1969 में पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में टी० एक्स० आर० कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्य अभियान का आश्रय लिया था और सी० एन्ड डब्ल्यू० कर्मचारियों ने

अगस्त, 1970 में हड़ताल की थी और प्रभागीय कार्यालय की कार्मिक शाखा के कुछ क्लर्कों को विशिष्ट कार्य पर लगाया गया था और यदि हां, तो ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित विशिष्ट कार्य पर लगाये गये लिपिकों को कोई मानदेय राशि अदा की गई थी, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और क्या उन्हें इसी प्रकार की मानदेय राशि अदा करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

न्यायालयों में मुकदमा हार जाने वाले कर्मचारियों को अदायगी

3881. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1071 के दौरान रेल विभाग के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये मुकदमों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) न्यायालयों द्वारा जिन मामलों में रेल विभाग के पक्ष को स्वीकार कर लिया गया, उनकी संख्या वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय की डिग्रियों के परिणाम-स्वरूप उक्त अवधि के दौरान कर्मचारियों को अदा की गई राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Closure of Factories due to cut in Electricity Supply in Punjab

3882. SHRI ISHWAR CHADUHRY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether in Punjab, many factories face closure due to 30% cut in electricity there;

(b) whether cut would also be effected in the snpply of electricity to Delhi from Bhakra dam; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to meet the situation likely to arise as a result of shortage of electricity likely to be felt in the capital ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) There is a cut on consumption of energy for industrial purposes to the extent of 40% which necessitates two additional off-days in a week. There is, however, no total closure.

(b) & (c). There is no shortage of power in the capital. The thermal power generation in the D.E.S.U. Power Stations is in fact being utilised to reduce energy drawal from Bhakra and thus give much needed relief to the Bhakra System. Additional power will be available to Delhi when the Badarpur Thermal Power Station comes into operation early next year.

Attaching of First Class Compartment to Hoshiarpur bound Train at Jullundur Cantt

3883. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the bogie detached from the Frontier Mail and attached to Hoshiarpur bound train at Jullundur Cantt. does not have First class compartment;

(b) whether the passangers intending to travel from Delhi to Hoshiarpur in First class compartment have to face great inconvenience; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI): (a) No coach is attached to Frontier Mail for Hoshiarpur. One 2-tier third class sleeper coach, however, runs between Delhi and Hoshiarpur by 33Up/34Dn Kashmir Mails between Delhi and Jullundur City and by 6JH/9JH between Jullundur City and Hoshiarpur.

(b) & (c). There is no traffic justification for introducing a first class coach between Delhi and Hoshiarpur, as the traffic offering in first class from Delhi to stations on Jullundur City-Hoshiarpur section was only 6 passengers during the months of June and July 1972.

Cases pending in Supreme Court for more than three years

3884. SHRI ONKAR LAL BERWA ; Will the Minister of LAW AND JUTICE be pleased to state the number of cases pending in Supreme Court for more than three years ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PATROLEUM & CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : 1557 cases at the end of June, 1972.

रेल में बिना टिकट यात्रा के जुर्माने को कम करना

3885. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल में बिना टिकट यात्रा के जुर्माने को कम करने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : बिना टिकट यात्रा पर, वर्तमान दण्ड में कमी करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

बंगला देश से व्यापार करने के लिए गैर-सरकारी उद्योगपतियों को प्रोत्साहन

3886. श्री श्यामसुन्दर महापात्र: क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी उद्योगपतियों को बंगला देश से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(ख) राज्य व्यापार निगम की सहायता के बिना, गैर-सरकारी उद्योगपति बंगला देश के साथ किस-किस माल का सीधे व्यापार कर सकते हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि व्यापार विनिमय 16 मई 1972 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 6282 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणों में बताए गए अभिकरणों द्वारा किया जाएगा । अन्य वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की अनुमति, आयात, निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियमों तथा सीमाशुल्क औपचारिकताओं सहित अन्य प्रक्रियाओं, जो समय समय पर लागू हों, के अनुसार दी जाती है । भारत-बंगला देश व्यापार करार और सार्वजनिक सूचना सं० 57-आई. टी. सी. (पी. एन.)/72 दिनांक 20 अप्रैल की एक एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत 'कलस्टर' योजनाएं

3888. **श्री के. करेड्डा रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत हाल में नई 'कलस्टर' योजनाएं स्वीकार की गई हैं;

(ख) इनमें से आंध्र प्रदेश में कितनी हैं; और

(ग) कितने ग्रामों में बिजली लगाई जानी है, कितने पम्पसेटों को बिजली दी जानी है तथा आंध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई प्रत्येक योजना की लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1969 से स्थापित किया गया है, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिये राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन देता है । 31 जुलाई 1972 तक निगम 159.43 करोड़ रुपये ऋण सहायता से सभी राज्य बिजली बोर्डों की 259 सामुहिक ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें और पांच पाइलट ग्राम बिजली सहकारितायें स्वीकृत कर चुकी है । इनमें से, 17 सामुहिक ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें और एक माइलट ग्राम विद्युतीकरण सहकारिता आंध्र प्रदेश में है ।

डीजल वर्कशाप, रतलाम, में तालाबन्दी की घोषणा

3889. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री धर्मगज सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल वर्कशाप, रतलाम, के क्षेत्रीय मेकेनिकल इंजीनियर ने 19 जून, 1972 की आधी रात से 21 जून, 1972 तक डीजल वर्कशाप, रतलाम में तालाबन्दी की घोषणा की थी, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस तालाबन्दी के कारण कितने जन-दिवस जाया गये, जन-दिवस जाया होने के परिणामस्वरूप क्या हानि उठानी पड़ी और रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या डीजल वर्कशाप, रतलाम और क्षेत्रीय मेकैनिकल इन्जीनियर तालाबन्दी की घोषणा कर सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन, पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टरों का तबादला रद्द किया जाना

3890. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की अजमेर डिवीजन में गत सात-आठ वर्षों से किन्हीं विशेष स्टेशनों पर कार्य कर रहे स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों का मई या जून, 1972 में तबादला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों का तबादला किया गया था;

(ग) क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों का तबादला रद्द कर दिया गया है अथवा उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों का तबादला रद्द कर दिया गया है अथवा लागू नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) पांच स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को उनके अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Import Licences for Import of Dry Fruits

3891. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the basis of granting import licences by the Controller of Imports and Exports to the businessmen who intend to import dry fruits from foreign countries and the names of the countries in respect of which import Licences have been granted; and

(b) the number of licences and the names of the businessmen together with the value of dry fruits for which import licences have been granted during the current year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Dry fruits are imported from Iran and Afghanistan. The basis for licensing from Iran during 1971-72 is given below :—

Category	*Basis of Licensing*
(i) Established importers of dry fruits from Iran.	(i) 8% of best year's past imports (during the basic period (1951-52 to 1968-69) subject to a minimum of Rs. 6,000/-.
(ii) Established importers of fresh/dry fruits from Afghanistan General Currency Area including Pakistan and Cooperative Societies dealing in fresh fruits.	(ii) The available ceiling is licensed to eligible importers on equal basis.
(iii) National Co-operative Consumers' Federation Ltd. New Delhi.	(iii) Licences to this Federation are granted on ad hoc basis.

The question of extending the Indo-Iran Trade Arrangement, under which dry fruits are imported from Iran, is under consideration.

2. As regards Afghanistan, CCPs for dry fruits are issued to "Approved Importers" and "Others" in terms of the Indo-Afghan Trade Arrangement for 1972-73 period. Details about the procedures in this regard are contained in Public Notice No. 92.ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972, copy of which is available in the Parliament Library.

(b) Information in respect of the number of licences for dry fruits, the names of the parties to whom licences have been issued and the value thereof, is given in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", copies of which are available in the Parliament Library.

Provision of sheds on Platforms at Luni Junction (Northern Railway)

3892. SHRI M. C. DAGA: will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide sheds on platforms as Luni Junction (Northem Railway) to mitigate inconvenience to the passengers intending to go to Jodhpur, Barmer, Pachpadra and Balotra; and

(b) if so, the time by which it will be done ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) Covered verandahs on both sides of the station building exist and as such there are no proposals to provide sheds on the platform at present.

(b) Does not arise.

Criteria for nomination of Members to Law Commission

3893. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the names of Members of Law Commission at present, and since how long they have been serving thereon; and

(b) the emoluments drawn by them per month and other facilities made available to them by Government and the criteria adopted in appointing the Members thereof and the Authority who appoints them along with the tenure of their office ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) The Law Commission was re-constituted with effect from 1.9.1971 for a period of 3 years. The Commission consits of a Chairman and 3 Members. The names of Chairman and Members are as follows :—

	Name	*Date of Appointment*
1.	Dr. P. B. Gajendragadkar, Honorary Chairman (Retired Chief Justice of India).	1.10.71
2.	Shri Justice V. R. Krishna Iyer—Member (a serving Judge of the Kerala High Court).	15.9.71
3.	Dr. P. K. Tripathi—Member (Dean of the Faculty of Law of the Delhi University).	24.9.71
4.	Shri S. S. Dhavan—Member (Retired Judge of the Allahabad High Court).	11.5.72

(b) A statement containing the terms and conditions of appointment of the Chairman and Members of the Commission is attached (Annexure). [Placed in Library, *See* No. LT—3543/72]. The posts of Chairman and Members of the Commission are top level posts for which no specific qualifications and experience can be laid down. The posts are filled by persons who are eminent jurists or have otherwise distinguished themselves in the field of law. The appointing authority in these cases is the President.

Coal Wagons for Rajasthan

3894. SHR M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether several industries have been closed down due to the non-availability of coal-wagons in Rajasthan and there is general complaint in this regard;

(b) whether the Railways have fixed quota of coal wagons for Rajasthan and if so the number thereof; and

(c) whether coal wagons are not reaching Rajasthan as per quota for the last four months ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) This Ministry is not aware about the closure of any industries in Rajasthan for want of coal but there have been some complaints about the inadequate supply of wagons for movement of coal to Rajasthan.

(b) Rajasthan Government has been given a quota of 2080 wagons per month for different types of coal.

(c) Movement of coal to Rajasthan has not been commensurate with the quota due to low level of loading on account of various difficulties faced by Railways like the continued miscreants' activities in West Bengal area, the severe heat wave in the months of May and June 72 leading to large scale absenteeism of staff, frequent electric power supply failures affecting railway operations and poor releases of loaded wagons in Calcutta area.

All efforts are, however, being made to step up movement of coal from Bengal-Bihar fields and there is some improvement since July '72.

Centrally sponsored Scheme for Irrigation Facilities in the Country

3895. SHRI SHRIKRISHNA AGARWAL : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether there is any centrally sponsored scheme to provide irrigation facilities to the entire country during 1972-73;

(b) if so, whether such a scheme has also been formulated for Raipur and the adjoining backward areas in Madhya Pradesh; and

(c) the time by which the said scheme would be implemented ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) Irrigation is a State subject and there is no Centrally sponsored programme.

(b) & (c). Do not arise.

कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना के लिए नयी नियुक्तियां

3896. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री कलकत्ता ट्यूब रेलवे पर वार्षिक व्यय के सम्बन्ध में 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 277 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को कम करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियां की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई नई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ग). जहां तक बेरोजगारी समस्या का सम्बन्ध है, नीचे दी गयी तीनों पद्धतियां कारगर हैं :—

(1) परियोजना की खाली जगहों को क्षेत्र के फालतू कर्मचारियों द्वारा भरा जाना ;

(2) परियोजना में खाली जगहों के लिए क्षेत्र में स्थित रेलों से नियमित अनुभवी कर्मचारी लेना और रेलों पर होने वाली परिणामी खाली जगहों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना।

(3) परियोजना के लिए नई भर्ती करना।

वस्तुत : चालू योजना उपर्युक्त मद (1) और (2) को तरजीह देने की है।

उपर्युक्त योजना विभागीय कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए स्वय अपनी व्यवस्था करेंगे।

भारत-बंगला देश व्यापार करार की क्रियान्वित के लिए एजेंसियों की स्थापना

3897. **श्री समर गुह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश व्यापार करार के अन्तर्गत व्यापार करने के लिए आवश्यक एजेंसियों तथा संस्थानों की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों और संस्थानों का स्वरूप क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उन्हें किन-किन मदों का कितना-कितना व्यापार करने का कार्य सौंपा गया है;

(ग) दोनों देशों के बीच इस समय कितना व्यापार चल रहा है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए किसी गैर सरकारी एजेंसियों को लाइसेंस दिये गए हैं, और यदि हां, तो उनके नाम तथा अन्य व्यौरा क्या है; और

(ङ.) कलकत्ता में मछली का कब तक आयात किया जायेगा तथा प्रति मास कितनी मात्रा में मछली के आयात किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). बंगला देश के साथ हुए सीमित भुगतान प्रबंध के अन्तर्गत आने वाली कतिपय वस्तुओं के लिए, दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि व्यापार-विनिमय बिशिष्ट अभिकरणों द्वारा किया जागगा। इन अभिकरणों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार के परिमाण के ब्यौरे 16 मई 1972 को पूछे गए

अतारांकित प्रश्न सं० 6282 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणों में दिए गए हैं। सीमित भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात की अनुमति, आयात, निर्यात और विदेशी मुद्रा विनिमयों सीमाशुल्क औपचारिकताओं सहित अन्य प्रक्रियाओं, जो समय समय पर लागू हों, के अनुसार दी जाती है।

(ग) प्रथम प्राथमिकता बंगला देश के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। अतः संसाधनों विशेषतः परिवहन संबंधी संसाधनों का उपयोग अभी तक मुख्य रूप से इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कोयला, तम्बाकू और सीमेंट के निर्यात और भट्टी के तेल, अखबारी कागज और कुछ मात्रा में पटसन का आयात करने के लिए संविदाएं पहले ही की जा चुकी है। ऐसी आशा है कि वस्तुओं और मछली तथा वस्त्रों का नियमित व्यापार आगामी महीनों में गति पकड़ेगा।

(घ) जारी किए गए आयात/निर्यात लाइसेंसों, पार्टियों के नाम और लाइसेंसों की कीमत संबंधी जानकारी "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" में प्रकाशित की जाती है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्राप्य हैं।

(ङ.) बंगला देश से ताजी मछलियों का आयात लगभग एक महीने में प्रारम्भ हो जाने की आशा है। बंगला देश के साथ हुए व्यापार प्रबंध की शेष अवधि के दौरान प्रत्येक माह लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की मछलियां आयात करने की प्रस्थापना है। यह प्रस्थापना है कि बंगला देश से आयातित मछलियों के लगभग 70 प्रतिशत भाग का उपयोग कलकत्ता को सप्लाई करने के लिये किया जाए।

चाय बागानों की समस्याओं के बारे में बरुआ समिति

3898. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बरुआ समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों और सिफारिशों का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ योजना तैयार करने के लिए चाय बोर्ड से कहा गया था; और य हां, तो उक्त योजना की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) चाय उद्योग के सभी पहलुओं से संबंधित आर्थिक स्थितियों तथा समस्याओं का एक व्यापक पुनर्विलोकन करने और चतुर्थ योजना अवधि के दौरान ठीक ढंग से इसके सुनियोजित विकास हेतु अपेक्षित उपायों के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए श्री पी. सी. बरुआ की अध्यक्षता में चाय उद्योग पर एक समिति स्थापित की गई थी।

(ख) तथा (ग). समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्कर्षों व सिफारिशों के सार भी निहित हैं, 29 अगस्त, 1969 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी थी। इन सिफारिशों की जांच चाय बोर्ड के साथ परामर्श करके की गई थी और विभिन्न सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए विनिश्चयों को विदेश व्यापार संकल्प सं० 2/10 प्लान्ट (ए)/70-(बी. सी.) दिनांक 24 जुलाई 1970 द्वारा घोषित किया गया, जिसकी एक प्रति 2-9-1970 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। इन विनिश्चयों के से उदभूत विषयों पर कार्यवाही चाय बोर्ड द्वारा की जा रही है।

काफी की कीमतों में वृद्धि

3899. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी की कीमतों में वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख). काफी की उत्पादन लागत संबंधी रिपोर्ट की, जो सरकार को मार्च 1970 में प्रस्तुत की गई थी और समीक्षा के लिए काफी बोर्ड को भेजी गई थी, सरकारी लागत लेखा अधिकारी द्वारा ब्यौरेवार जांच कराने पर, बोर्ड ने यह पाया कि उत्पादन की लागत 3.48 रुपये प्रति प्वाइंट निकलती है और उसने नवम्बर 1970 में सरकार से यह सिफारिश की कि इसे उत्पादन लागत के रूप में स्वीकार किया जाए और तदनुसार न्यूनतम रिलीज कीमत निर्धारित की जाए। उत्पादन लागत पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न बातों तथा बोर्ड की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने, उस समय विद्यमान 3.10 रुपये प्रति प्वाइंट की न्यूनतम रिलीज कीमत के मुकाबले में, जो कि अप्रैल, 1969 से लागू थी, बोर्ड को काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत 3.48 रुपये प्रति प्वाइंट निर्धारित करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया।

पश्चिमी घाटों का सर्वेक्षण

3900. **चौधरी राम प्रकाश** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए सरकार का विचार पश्चिमी घाटों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिचाई विकास एक राज्य विषय है तथा इस प्रयोजन के लिये परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान तथा निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तापि नदी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की कुल सिचाई शक्यता, स्थूल से रूप से 58 लाख एकड़ आंकी गई है। जिन परियजनाओं का पहले से ही परिचालन हो रहा है अथवा जो निर्माणाधीन हैं, वे लगभग 18.7 लाख एकड़ शक्यता को काम में लायेगी। इन परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल. टी. 3544/72]। राज्य सरकार ने निर्माणाधीन स्कीमों के लिए चौथी योजना के दौरान लगभग 38 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

राज्य सरकार और पांच लाख एकड़ को लाभान्वित करने के लिए नई स्कीमें पहले ही तैयार कर चुकी है। वे आगे और परियोजनाओं का भी अनुसंधान कर रही हैं तथा जब भी अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जायेंगे और उनके कार्यान्वयन के लिये संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे, उन पर कार्य आरंभ कर देगी।

आस्ट्रेलिया और अमरीका में पटसन की निर्यात मंडी न रहना

3901. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्ट्रेलिया और अमरीका में भारतीय पटसन की निर्यात मंडी खो देने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) 1970-71 तक संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया की पटसन माल के निर्यातों में गिरावट के मुख्य ये कारण थे :—

(1) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से प्रतियोगिता,

(2) संश्लिष्टों से प्रतियोगिता तथा

(3) खुला माल चढ़ाने उतारने के तरीकों का आरम्भ होना।

(ख) हमारे उत्पादन की लागत घटाकर और हल्के वस्त्रों का विकास करके, जो कि संश्लिष्टों से कीमत में प्रतियोगी हो, निर्यातों में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान निम्न स्तरों से बढ़ाकर पटसन की उपज अधिक की जानी चाहिए और नए वस्त्रों के लिए गवेषणा को गहन किया जाना चाहिए। इन विषयों पर सरकार बराबर ध्यान दे रही है।

कपड़ा उद्योग का विस्तार करने के लिए कपड़े का अनिवार्य निर्यात

3902. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कपड़ा उद्योग पर कपड़े का अनिवार्य रूप से निर्यात करने के लिए अपने विस्तार के लिए स्वयं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जोर डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य उद्योगों के बारे में इसी प्रकार की नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एल. सी. जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्री कटाव को रोकने का कार्य राष्ट्रीय परियोजना के रूप में किया जाना

3903. **श्री एम० कतामतु** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में समुद्री कटाव से समुद्री-तट के कुछ समीपवर्ती क्षेत्रों की भूमि तथा सम्पत्ति को भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या इसे स्थायी रूप से रोकने के लिए संसाधन जुटाने में सम्बद्ध राज्य सरकारें असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र का विचार समुद्री कटाव को रोकने का कार्य राष्ट्रीय परियोजना के रूप में करने तथा इस पर अपने संसाधनों से आवश्यक व्यय करने का है; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्री कटाव व परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में लेने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री बैजनाथ कुरील**) : समुद्र-कटाव आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में समुद्रतट के साथ-साथ खण्डों में होता है परन्तु समस्या केवल केरल के समुद्र तट के साथ ही गंभीर है जहां पर 560 किलोमीटर के समुद्रतट में से लगभग 320 किलोमीटर समुद्रतट प्रभावित है । महाराष्ट्र में यह समस्या थाना और रत्नगिरी जिलों की अलग-अलग रीचों में विद्यमान है । तमिलनाडु में यह समस्या मुख्यतः तिरूचेन्दूर, मनपाद, ओवरी और कन्याकुमारी शहरों के निकट है । उड़ीसा में किसी गंभीर समुद्र-कटाव की समस्या की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) केवल केरल राज्य में ही समस्या को सुलझाने के लिए अपेक्षित कार्यों की मात्रा अधिक हैं और उस राज्य ने केवल राज्य संसाधनों द्वारा समस्या को हल करने में कठिनाइयां प्रकट की हैं ।

(ग) समुद्र-कटाव-रोधी कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कोई प्रस्ताव नहीं हैं । बहरहाल, केरल में समुद्र-कटाव-रोधी कार्यक्रम में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र, प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये व्यय के निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए

चालू योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। व्यय की प्रगति और राज्य की वार्षिक योजना में कार्यों के लिए किए गए प्रावधानों को ध्यान में रख कर ही दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता निर्धारित की जाएगी।

(घ) पांचवी योजना के लिए सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और जल-निकास तथा कमान क्षेत्र विकास पर कार्यकारी दल ने बाढ़ नियंत्रण, जल-निकास और समुद्र-कटाव-रोध पर अपने स्थिति-पत्र में सुझाव दिया है कि केरल में समुद्र-कटाव-रोधी कार्य केंद्रीय-सैक्टर के अधीन केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में किये जाने चाहिएं। बहरहाल, धन लगाने के तरीके को पांचवी योजना को तैयार करते समय अन्तिम रूप दिया जाना है।

कोचीन-ओलवक्कोट के बीच दोहरी लाइन बिछाया जाना

3904. **श्री एन० श्रीकांतन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन और ओलवक्कोट के बीच दोहरी लाइन बिछाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). कोचीन-ओलवक्कोड़ खण्ड पर आलुवा और एरणाकुलम के बीच 19 कि. मी. लम्बी लाइन को दोहरा करने का काम चल रहा है। मुल्लूरकरा-वडक्कांचेरी और (ii) पुदुक्काड-इरिजालक्कुडा के बीच 18 कि. मी. में कहीं कहीं लाइन को दोहरा करने की मंजूरी अभी हाल में दी गयी है। शेष इकहरी लाइन वाले भाग में दोहरी लाइन बिछाने पर उस समय विचार किया जायेगा जब यातायात और वित्तीय दृष्टि से उसका औचित्य होगा।

गोंदिया रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर चक्रधर पुर यात्री गाड़ी और एक इंजन की टक्कर

3905. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जुलाई, 1972 को बहुत सबेरे दक्षिण पूर्व रेलवे के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर चक्रधरपुर यात्री गाड़ी के साथ एक इंजन के टकरा जाने के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन 9 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिन में से तीन गंभीर रूप से घायल हुए।

(ख) और (ग). रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, कलकत्ता ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी । उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह टक्कर रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

पंजाब को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की सप्लाई

3906. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान से पंजाब राज्य के नलकूपों को बिजली सप्लाई करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी बिजली की मांग की गई है तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने कितनी विद्युत् को सप्लाई की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान से अपने राज्य में नलकूपों को बिजली की सप्लाई करने के लिए अनुरोध नहीं किया है । बहरहाल, पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें किसी विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली उपलब्ध की जाए । विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के जरिये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र से पंजाब के लिए अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध करने का प्रबंध कर लिया है ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से चलचित्रों का आयात/निर्यात

3907. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से कुल कितने भारतीय चलचित्रों का निर्यात किया गया;

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) क्या अमरीकी और ब्रिटिश चलचित्रों का आयात अब भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से होता है;

(घ) यदि हां, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1972 की अवधि के दौरान इस निगम के माध्यम से कितनी अमरीकी और ब्रिटिश फिल्मों का आयात किया गया और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) पैंसठ ।

(ख) 93,95,000 रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रुई के मूल्य स्थिर रखने के लिये कार्यवाही

3908. **श्री शशि भूषण** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रुई के मूल्य गिर गये हैं और इस कारण उत्पादकों को बहुत हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रुई निगम ने रुई के मूल्य स्थिर रखने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि अगले वर्ष कपास की फसल अच्छी हो और उत्पादकों को हानि न हो;

(ग) इस निगम की वर्तमान भण्डार क्षमता कितनी है;

(घ) क्या भारत के मिल मालिक भारतीय रुई निगम को पूरा सहयोग दे रहे हैं; यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (घ). 1971-72 में रुई की अच्छी फसल होने के कारण मौसम के आरम्भ में रुई की कीमतों में गिरावट आने लगी थी। गिरावट को रोकने तथा रुई के उपजकर्त्ताओं को हानि होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :

(1) भारतीय रुई निगम को निदेश दिया गया कि वह रुई की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के अनुसार समायोजन करते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर रुई उगाने वाले राज्यों के सभी बाजारों में व्यापक स्तर पर रुई खरीदे। निगम ने लगभग 5.10 लाख गांठें खरीदी हैं।

(2) 22 मार्च, 1972 से रुई की कानूनी स्टाक सीमा को समरूप से एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 1972 को रुई या कपास पर बैंक अग्रिम राशियों की वर्तमान व्यवस्था में ऋण संबंधी छूट देने की घोषणा की।

2. रुई के भण्डारण के लिए निगम के पास पर्याप्त व्यवस्था है। रुई निगम के सम्बन्ध में किसी वस्त्र मिल के असहयोग का अभी तक कोई उदाहरण नहीं हैं।

कपड़ा निगम के अध्यक्ष (चेयरमैन) की नियुक्ति

3909. **श्री शशि भूषण** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष की इस बीच नियुक्ति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष का नाम क्या है और उसकी नियुक्ति कब की गयी थी; और

(ग) अध्यक्ष पद कितनी अवधि तक खाली रहा तथा इतनी लम्बी अवधि तक पद को खाली रखने के क्या मुख्य कारण थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). श्री के०के० धर, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम को, 12 सितम्बर, 1971 से, जिस दिन अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ था, उनके अपने कार्य के अलावा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक पृथक अध्यक्ष की नियुक्ति विचाराधीन है।

राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष भत्ता

3910. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के पांच अधिकारियों में से केवल दो अधिकारियों को इस आधार पर विशेष भत्ता दिया जाता है कि उनको राजधानी एक्सप्रेस (101 अप तथा 102 डाउन) को चलाने में अधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है; और

(ख) क्या तीन अन्य अधिकारी तथा बैरे और परिचारक, जिन्हें इस गाड़ी में अधिक काम करना पड़ता है, काफी समय से विशेष भत्ते की मांग कर रहे हैं; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां। नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले केवल गाड़ी अधीक्षक और स्टुअर्ड को क्रमशः 75 रु० और 35 रु० प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाता है।

(ख) बैरों और रसोइयों सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा विशेष वेतन की मांग की गई थी। इस पर विचार किया गया था और देखा गया कि उन्हें कोई अतिरिक्त काम नहीं करना होता। दूसरी ओर, अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इन कर्मचारियों का काम हल्का होता है। अतः विशेष वेतम की मंजूरी नहीं दी गयी क्योंकि उसका औचित्य नहीं पाया गया।

रेलवे के जोनल मुख्य अधिकारियों की बैठक

3911. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन में सुधार करने के उपायों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये रेलवे के जोनल मुख्य अधिकारियों की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। रेल मन्त्री और रेलवे बोर्ड के साथ महा-प्रबन्धकों की एक बैठक 7 अगस्त, 1972, को हुई थी।

(ख) नीति सम्बन्धी मामलों तथा रेलों के दिन प्रतिदिन के कार्य से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत हुई थी। इस बैठक ने वरिष्ठ प्रशासकों को विचार विनिमय के लिए एक अवसर प्रदान किया ताकि रेलों पर कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सके।

भारत में श्रीलंका के बीच विद्युत के आदान प्रदान

3912. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच विद्युत् के आदान प्रदान के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक तकनीकी सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भारत और श्रीलंका की विद्युत् प्रणालियों के अन्तः सम्पर्क के प्रस्ताव की व्यवहार्यता के अध्ययन करने के हेतु दोनों विद्युत् प्रणालियों के तकनीकी आंकड़े एकत्रित किया जा रहे हैं।

राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात रेलवे का पास जारी करने में असमानता

3913. **श्री के. सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने के पश्चात् रेलवे के पास जारी करने के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के श्रेणी 2/1 के अधिकारियों को सेवा की अवधि के पश्चात पास देने अर्थात् 20 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् 2 सैट और 25 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् श्रेणी-3 के अराजपत्रित रेववे कर्मचारियों को एक सैट देने के सम्बन्ध में नियम कब बनाये गये;

(ख) दो श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के नियम बनाकर विषमता उत्पन्न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान हालात के सन्दर्भ में इस विषमता को दूर करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) श्रेणी-1, 2 और 3 के रेल अधिकारियों को दिये जाने वाले पासों की संख्या से सम्बन्धित नियम 1945 में बनाये गये थे।

(ख) श्रेणी-1 और 2 के रेल अधिकारी अखिल भारतीय आधार पर नियुक्ति किये जाते हैं जब कि श्रेणी-3 के कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं है।

(ग) श्रेणी-3 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 1961 में 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गयी है। नियमों में और आगे परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालू वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य में संशोधन

3914. श्री निहार लास्कर : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में हो रही अप्रत्याशित कमी को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य में संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित लक्ष्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. सी. जार्ज) : (क) जी नहीं। पिछली अवधि में हुए निर्यात निष्पादन से निर्यात लक्ष्य कम करना आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में विद्युत के उपभोग में कटौती

3915. श्री निहार लास्कर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राजधानी के तापीय विद्युत घरों से भाखड़ा प्रणाली के लिए अधिकतम योगदान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में विद्युत के उपयोग में तुरन्त 40 प्रतिशत की कटौती लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि दिल्ली द्वारा भाखड़ा नंगल प्रणाली में जल-विद्युत लेने में कमी की जाए और यदि आवश्यक हो तो दिल्ली के क्षेत्र में बिजली में कटौती कर दी जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड की प्रणाली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से दी जा रही कुछ ताप बिजली भी उनको दे दी जाए।

केन्द्रीय सरकार राजस्थान प्रणाली के जरिये पंजाब मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप-विद्युत केन्द्र से कुछ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध कर रही है।

रुई प्रतिनिधि मंडल द्वारा काहिरा की यात्रा

3916. श्री के. मालन्ना : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकार रुई प्रतिनिधिमण्डल ने रूई व्यापार के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए हाल में काहिरा की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो उस यात्रा के क्या परिणाम निकले और प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). एक सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मन्डल ने मिश्र के अरब गणराज्य के साथ चालू व्यापार योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने हेतु मिश्र के अरब गणराज्य के प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत करने के लिए 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 1972 तक काहिरा का दौरा किया। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिनिधिमण्डल ने 1971-72 की व्यापार योजना के उपबन्धों के अनुसार मिश्र के अरब गणरराज्य से रुई की खरीद संबंधी ब्यौरे पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप मिश्र के अरब गणराज्य का प्रनिनिधिमण्डल इजिपशियन रुई की 15000 गांठें शीघ्र सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। 1971-72 की व्यापार योजना के उपबंधों के अधीन इजिपशियन रुई की शेष 20,000 गांठें सितम्बर 1972 में आगामी फसल से पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। प्रतिनिधिमण्डल का गठन निम्नोक्त प्रकार था :—

1. श्री एस. जे. एस. छतवाल,
   निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय एवं
   भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता।

2. श्री आर. टंडन,
   सलाहकार (बाणिज्यिक),
   भारतीय दूतावास, काहिरा।

3. श्री एम. पी. मोदी,
   उप-सचिव,
   वित्त मंत्रालय।

4. श्री आर. विश्वनाथन्,
   रुई सलाहकार,
   विदेश व्यापार मंत्रालय।

5. श्री ए. वी. रजवाड़े,
   अधीक्षक,
   स्टेट बैंक आफ इंडिया

6. श्री वी. डी. सोनी,
   तृतीय सचिव (वाणिज्यिक),
   भारतीय दूतावास, काहिरा.

विद्युत सप्लाई के लिए हिन्दलको से अनुरोध

3917. श्री **राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कम्पनी, लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड को 50 मेगावाट विद्युत सप्लाई करने के लिए 250 मेगावाट की क्षमता का एक बड़ा तापीय विजली घर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन लि. द्वारा 200-250 मेगावाट की क्षमता के केपटिव ताप विद्युत-जनन संयंत्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा करार की गई 55 मैगावाट जल-विद्युत सप्लाई करने के संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

सेंट्रल अस्पताल (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली में प्रसूति के मामलों में मेहतरानी द्वारा दायी का काम करना

3918. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेंट्रल अस्पताल नई दिल्ली में गत मास एक गैंगमैन की पत्नी की प्रथम प्रसूति के मामले में एक मेहतरानी द्वारा दायी का काम करने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मामले की व्योरेवार जांच के आदेश दिये गए हैं और जांच हो रही है। यदि सिद्ध होता है कि इस मामले में किसी अनधिकृत व्यक्ति ने हाथ लगाया था तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुशासन नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जायेगी।

जूट और कृत्रिम रेशे के बीच प्रतिस्पर्धा

3919. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट और कृत्रिम रेशे के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार ने समाधान ढूंढ लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट बातों का व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) सश्लिष्टों से प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है।

(ख) तथा (ग). उत्पादन लागत कम करके तथा अपेक्षाकृत हलके फेब्रिक्स बनाकर, जो कि संश्लिष्टों से मूल्य में प्रतियोगिता कर सकेंगे, निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। पटसन का उत्पादन वर्तमान निम्न स्तरों से बढ़ाना होगा और नए फेब्रिक्स के लिए अनुसंधान कार्य तेजी से करना होगा। इन मामलों पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है।

रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में 'फार्मेसिस्ट्स' के कार्य

3920. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेल अस्पालों/स्वास्थ्य यूनिटों के 'फार्मेसिस्ट्स' के कार्यों की तुलना केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के योजना के 'फार्मेसिस्ट्स' के कार्यों से की हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोनों गठनों के 'फार्मेसिस्ट्स' के कार्य किन-किन बातों में भिन्न-भिन्न हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) इनकी ड्यूटी मोटे तौर पर एक जैसी है।

अपर कृष्णा परियोजना का निर्माण

3921. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या अपर कृष्णा परियोजना के निर्माण का उदघाटन तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) अभी कितनी भूमि का अर्जन किया जाना है और परियोजना को पूरा करने के लिए अभी कितनी राशि और खर्च की जानी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). परियोजना की अनुमानित लागत 116.67 करोड़ रुपये है जिसमें से मार्च, 1972 तक मैसूर सरकार द्वारा 14.23 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके थे और 102 करोड़ रुपये व्यय करने शेष थे। सिंचाई एक राज्य विषय है और अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान

2322. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त है; और

(ख) उन स्थानों को कब तक भरा जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्मों का आयात करने सम्बन्धी नीति

3923. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दिखाई जाने के लिये फिल्मों का आयात करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : रूपक फिल्म का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली, के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करने के लिए कसौटियां

3924. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करने के लिये सरकार ने क्या कसौटियां निश्चित की हैं; और

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इन कसौटियों में संशोधन किए हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले): (क) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप नियुक्ति पर, मासिक पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन की, यदि कोई हो, जो कि वह लेता हो, रकम को कम करके, वही वेतन दिया जाता है तो वह सेवानिवृत्ति के पूर्व ले रहा था। इसके अतिरिक्त उसको निःशुल्क निवास-स्थान दिया जाता है जैसा कि संविधान के अधीन न्यायालय के सेवारत न्ययाधीश को अनुज्ञेय है।

(ख) जी नहीं।

Appointment of High Court Judges in Madhya Pradesh

3925. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether some posts of High Court Judges are lying vacant in Madhya Pradesh; and

(b) whether the names of retired judges have been recommended for ad-hoc appointments of judges against the vacant posts and if so, Central Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) Yes, Sir.

(b) No Sir.

रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान

3926. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री सतपाल कपूर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के दौरान कुल कितनी गम्भीर रेल दुर्घटनायें हुई तथा इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उन गाड़ी दुर्घटनाओं से है, जिनमें गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री मारे गये थे और जिनकी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई थी । 1970-71 में ऐसी 9 दुर्घटनाएं हुई थी । इन दुर्घटबाओं में 34 व्यक्ति मारे गए थे ।

मृत व्यक्तियों के परिबारों को दिये गये प्रतिकर की रकम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Payment of share by Madhya Pradesh Government for conducting survey for New Railway Lines

3927. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have paid their share for conducting survey for laying new railway lines in the State;

(b) if so, the amount paid by the Government of Madhya Pradesh and whether the Central Government have started the survey work; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

Floods in Mahanadi, Haklat and Indravati Rivers in Bastar District of Madhya Pradesh

3928. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether more than 2500 heads of cattle were swept away in the floods in Mahanadi, Haklat and Indravati rivers in Bastar District of Madhya Pradesh and the villagers are experiencing great difficulties in the absence of relief measures;

(b) if so, whether Central Government have taken necessary steps to prove assistance to Madhya Pradesh; and

(c) if so, the nature thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). The Madhya Pradesh Government have reported that floods have caused extensive damage in Bastar district but have not furnished the details of the losses including cattle. In order to alleviate the distress caused to the people in the district the State Government have taken steps to distribute taccavi loans amounting to Rs. 12 lakhs to the cultivators for purchase of bullocks and to establish centres in 100 villages for the distribution of fodder free of cost for a period of 15 days. The State Government have requested the Centre to depute a Central Team to assess the situation. The deputation of the Central team for assessing both the drought and flood situation is being considered by the Planning Commission in consultation with State Government. Financial assistance to the State Government is to be considered after the recommendations of the Team are received.

Grant to Madhya Pradesh for Electrification of Tribal Areas

3929. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to give any special grant to Madhya Pradesh to electrify the tribal areas under the rural electrification scheme; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) and (b). Specific rural electrification schemes are submitted to the Rural Electrification Corporation by State Electricity Boards for loan assistance from the Central Plan Outlay, in accordance with the criteria adopted by the Corporation. Concessional terms are provided for rural electrification scheme in backward areas. The Corporation also extend loans to specially under developed hill desert, tribal and other areas. The loan for this category of schemes is granted for a period of 30 years, with a moratorium in the first 5 years for repayment of principal. The Corporation has so far sanctioned 24 rural electrification schemes of Madhya Pradesh involving loan assistance of Rs. 1162.056 lakhs, envisaging electrification of 1028 villages, energisation of 45,751 agricultural pumpsets, power supply to 1974 small scale and agro industries and 47064 domestic and commercial connections. Of these 24 schemes, 10 relate to backward areas.

पन-बिजली चलित रेलगाड़ियां

3930. श्री बेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ले जाने के लिए पन-बिजली चमित रेलगाड़ियां कोयला क्षेत्रों से होकर चलाई जा रही हैं; और

(ख) क्या इन गाड़ियों में बिजली की सप्लाई हेतु सरकार ने तापीयबिजली उत्पन्न करने की सम्भावनाओं की जांच की है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) और (ख). कोयला खान क्षेत्र जहां बिजली गाड़ियां चलती हैं पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इन क्षेत्रों में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों की गाड़ियां चलती हैं। इन

बिजलीकृत रेलों के लिए कर्षण शक्ति की सप्लाई इस क्षेत्र के विभिन्न बिजली सप्लाई प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षित अन्तः सम्बद्ध ग्रिड प्रणालियों से की जाती है जैसे दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य बिजली बोर्ड। अन्तः सम्बद्ध ग्रिड प्रणालियों को बिजली का भरण करने के लिए पन-बिजली तथा तापीय बिजली स्टेशन भी हैं जिनमें अधिक संख्या तापीय बिजली स्टेशनों की है। इस तरह इस क्षेत्र में चलने वाली बिजली गाड़ियों को बिजली की सप्लाई केवल पन-बिजली या तापीय बिजली घरों से नहीं की जाती, बल्कि एक अन्तःसम्बद्ध प्रणाली से की जाती है।

सियूल परियोजना की प्रगति

3931. **श्री विक्रम महाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) की प्रगति, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) जुलाई, 1972 तक इसके प्रशासन और निर्माण पर कितना-कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) बैरा सियुल परियोजना की प्रगति सामान्यतया चतुर्थ योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अन्तर्गत तैयार की गई संशोधित सूची के अनुसार है, जिसके अनुसार प्रथम सेट 1974 के अन्त तक चालू कर दिया जाएगा।

(ख) इस परियोजना पर 7.86 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से सिब्बन्दी और प्रशासन पर जुलाई, 1972 के अन्त तक 0.19 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

जापान को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि

3932. **श्री हरी सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की उदार आयात नीति के कारण जापान को भारतीय माल का निर्यात काफी बढ़ जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 की अपेक्षा कितनी प्रत्याशित वृद्धि होगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जापान में मांग तथा अन्य देशों से प्रतियोगिता सम्बन्धी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए यह आशा है कि कतिपय मदों के निर्यातों में मामूली वृद्धि होगी।

Mediation between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh regarding Ranguwa Canal Scheme of Chhatarpur, Madhya Pradesh

3933. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether during the last Budget session he had promised to mediate between the State Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in regard to work on the Ranguwa Canal Scheme of Chhatrapur (Madhya Pradesh), and

(b) if so, the efforts made by him and the results thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) & (b). Discussions were held with the Chief Ministers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on 22.7.1972 on the Ranguwan Project of Madhya Pradesh and a few other projects and the outstanding differences resolved. It is expected that the formal agreement between the two States would be concluded soon.

Sindh River Project Report

3934. SHRI NATHU RAM AHIRWAR :
SHRI LABODAR BALIYAR :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the date when the report of the Sindh Project of Madhya Pradesh was received for approval by the Central Government; and

(b) the date when it was approved and if it has not been approved, the reasons for delay and the time by which it is likely to be approved ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) and (b). The Sindh Project Phase-I was received from the State Government in January, 1971. The project is expected to be accepted for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh in the near future.

Projeet Report of Pairi River Project

3935. SHRI NATHU RAM AHIRWAR :
SHRI LABODAR BALIYAR :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the date when the project report of Pairi river project in Madhya Pradesh was received by the Central Government for approval; and

(b) the time by which it is likely to be approved ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) & (b). The Pairi Scheme was sent up by the Government of Madhya Pradesh in August, 1971. Replies to the coments of Central Water and Power Commission were received from the State on 14.7.72 and are under examination.

Setting up of Thermal Power Stations in M. P.

3936. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Electricity Board had sent Project Reports in regard to three thermal power stations (with 920 M. W. capacity each) at Korba, Amarkantak and Satpura in Madhya Pradesh to the Central Government in 1971 for their approval; and

(b) if so, the reasons for not according approval so far and the time by which these reports are likely to be approved ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a). Yes, Sir.

(b). The Government of Madhya Pradesh has been advised to submit a revised proposal conforming with the overall scheme for power development prepared by the Ministry of Irrigation and Power for the entire country. The estimated addition by thermal power in the Fifth Plan for Madhya Pradesh is expected to be 1460 MW.

Recruitment Policy in C.W.P.C.

3937. SHRI NATHU RAM AHIRWAR :
SHRI LAMBODAR BALIYAR :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the present policy in regard to recruitment in Central Water and Power Commission;

(b) whether there is some fixed quota for deputationists from the States;

(c) the State-wise number of appointments on deputation to the posts of Member, Chief Engineer, Director and Deputy Director in the Central Water and Power Commission during the last three years; and

(d) the steps being taken to give more representation to the States, specially to Madhya Pradesh, from which officers have not so far been taken on deputation in the Central Water and Power Commission ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) & (b). According to the Recruitment Rules, the posts of Chairman and Member in the Central Water and Power Commission are filled by selection on an all India basis through the Union Public Service Commission from a composite field consisting of senior Irrigation Powor Engineers. 50% of the posts of Cheif Engineer are filled by promotion of departmental officers of the Central Water and Power Commission and remaining 50% by appointment of officers from State Governments/State Electricity Boards on deputation. 75% of the posts in the grade Director, Deputy Director and Assistant Director are filled by promotion of Departmental officers and 25% from the State Governments/State Electricity Boards on deputation. For appointment of officers on deputation to the posts of Cheif Engineer, Director, Deputy Director and Assistant Director, Union Public Service Commission make selections from amongst eligible officer recommended by various State Governments/State Electricity Boards.

(c) A statement giving the requisite information is enclosed. [Placed in Libraay. *See* No. LT—3545/72]

(d) No quota is fixed for any particular State. Posts falling within the deputation quota are filed up on the recommendations of the Union Public Service Commission from amongst officers recommended by the various State Governments/State Electricity Boards. Recommendations are invited from all State Governments including the Government of Madhya Pradesh.

मोकामह (पूर्वी रेलवे) में गंगा पर राजेन्द्र पुल

3839. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोकामह के गंगा पर राजेन्द्र पुल के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी;

(ख) पुल को यातायात के लिए कब खोला गया;

(ग) क्या पुल का उपयोग करने वाले रेलवे यात्रियों तथा अन्य लोगों से किसी ओर से भी पुल पार करने पर अतिरिक्त राशि ली जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 31-3-1972 तक 14,00,15, 219.00 रुपये।

(ख) माल यातायात के लिए 26-4-1959 से और यात्री यातायात के लिए 1-5-1959 से।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन

3939. श्री रामसहाय पांडे :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी विदेशों से घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने देश के विदेशी व्यापार के ढांचे में कुछ संवरानात्मक परिवर्तन करने की कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उन देशों के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). भारत पड़ौसी देशों के साथ अति निकट व्यापार संपर्क और सहयोग कायम रख रहा है। पड़ौसी देश नेपाल के साथ एक दीर्घावधि व्यापार और परिवहन संधि की गई है। यह संधि अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार को विनियमित भी करती है। अफगानिस्तान के साथ भी एक व्यापार-प्रबन्ध किया गया है। जैसाकि नैपाल के साथ किया गया हैं, अफगानिस्तान के साथ व्यापार प्रबन्ध का उद्देश्य भी पारस्परिक लाभ के लिए व्यापार का विकास, विस्तार और विविधीकररण करना है। मार्च 1972 में भारत और बंगला देश के बीच एक त्रिस्तीय व्यापार प्रबन्ध करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका के साथ हमारा व्यापार एक व्यापार करार द्वारा व्यवस्थित होता है। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग संबंधी एक संयुक्त समिति स्थापित की है। भारत और ईरान

के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग, 1969 में स्थापित किया हुआ है। सरकार ने पड़ौसी देशों के साथ आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने वाले तथा व्यापार का विस्तार करने वाले उपाय किए हैं करती रहे गी ।

श्रेणी-रहित रेल-गाड़ी सेवा

3940. श्री राम सहाय पांडे :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के लिए आरामदायक यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कुछ श्रेणी रहित गाड़ियों चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं । लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच जनता एक्सप्रैस गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं जिसमें केवल एक ही दर्जे अर्थात् तीसरे दर्जे का स्थान होता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of Daily Allowance in Lieu of Breakdown Allowance on Railways

3941. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there are orders providing for paymant of daily allowance instead of breakdwon allowance to the Railway employees working in the Signal and Telecommunication Department of Railway for attending their duties at the sites of accidents;

(b) if so, whether these rules are being observed and whether the employees working in the North Eastern Railway and Western Railway are not being paid the allowance;

(c) whether Government are aware that the payment of the bills in respect of this allowance to the employees of Railway Department has been withheld in Delhi and Ferozepur Divisions on Northern Railway by the Railway Administration and orders have been issued that if the said allowance was ever paid to any employee, the same may be recovered by effecting deductions from their pay; and

(d) the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) There are orders to the effect that staff of running sheds and Carriage & Wagon Depots and those attached to Electrical Relief Trains ear-marked for breakdown duties should be granted Break-Down

Allowance while all other staff of all departments, including employees of Signal & Tele-communication Department, detailed to attend break-down duties in connection with accidents should be granted Daily Allowance without stipulation of time and distance.

(b) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Maintenance of Telephone Exchanges, Wireless Workshops etc- in Delhi Area and at Agra

3942. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether casual and unqualified employees are being engaged on daily wages for the maintenance of costly equipments installed in Telephone Exchanges, Wireless Workshops, Station, Microwave system and Control Rooms set up in Delhi area and at Agra, Jhansi and Chapra and for modern route relay interlocking system at Nizamuddin, Tilak bridge and Dayabasti in Delhi area;

(b) whether such an arrangement has had adverse effect on the working efficiency and on the costly imported equipment of the Railway; and

(c) whether there is any policy for posting efficient employees at such places and if so, whether it is being followed properly ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) to (c). Some staff are temporarily employed on daily wages and posted on jobs which are best suited to them. No adverse effect has been noticed either on efficiency or on equipment due to their temporary employment. Daily rated staff will be replaced by regular staff as and when the latter become available.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया की उपयुक्तता

3943. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया उपयुक्त पाई गई है; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क). जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में बार-बार बिजली का फेल हो जाना

3944. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता और उसके उपनगरों में बार-बार बिजली फेल हो जाने की समस्या की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड की विद्युत् प्रणालियों में कलकत्ता क्षेत्र को कम बिजली की उपलब्धता के कारण कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लोड शैडिंग हुआ है।

(ख) खराब उत्पादन सेटों को सामान्य स्थिति में लाने के उद्देश्य से आवश्यक मरम्मत की जा रही है। संतालडीह और चन्द्रपुरा जैसी कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए तथा कलकत्ता क्षेत्र को दामोदर घाटी में बिजली प्रेषित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पारेषण लाइनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। कलकत्ता क्षेत्र में व्यक्तम समय में कमी को पूरा करने के लिए ईंधन तेल से जलाई जाने वाली 20-30 मेगावाट की गैस टर्बाइनों को प्रतिष्ठापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन संयंत्रों के बार-बार फेल हो जाने के प्रश्न की जांच के लिए तथा उपचार सुझाने के लिए केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग के उपाध्यक्ष श्री ए. के. घोष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

दक्षिण रेलवे में पटाखों आदि की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की मांग

3945. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में पटाखों आदि की ढुलाई करने हेतु की गयी माल डिब्बों की उस मांग का ब्यौरा क्या है जिसको कि अब तक पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) इस कार्य के लिए माल-डिब्बों की व्यवस्था करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) 20-8-1972 को अधिकांशतः विजयवाड़ा/झांसी मार्ग से उत्तर भारत को भेजे जाने के लिए पटाखों, दियासलाइयों आदि के 'फुटकर' परेषणों के लगभग 10 मालडिब्बों की मांग की शिवकाशी स्टेशन पर निकाशी बाकी थी। प्रतिबन्ध वाले गंतव्य स्थलों के लिए कुछ परेषणों को छोड़कर, मांगें सभी अभी हाल की हैं।

(ख) बिलम्ब का कारण यह था कि विजयवाडा-झांसी मार्ग की संचलन क्षमता का उपयोग अधिमानत. सीमेन्ट, बनस्पति तेल और अन्य आवश्यक माल के संचलन के लिए किया गया विशेष रूप में इसलिए कि मथुरा के रास्ते पश्चिम रेलवे पर टूट-फूट के कारण इस लाइन पर गाड़ियों की भीड़-भाड़ हो गयी थी और इस मार्ग से यातायात को आगरा-झांसी मार्ग पर भेजना आवश्यक हो गया था।

पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि

3946. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को न्यायालय में न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) और (ख). अप्रैल, 1972 में बिहार सरकार ने अपर न्यायाधीश के चार पदों के स्थायी न्यायाधीश के पदों में बदलने और अपर न्यायाधीश के दो नए पदों का सृजन करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार, अपर न्यायाधीश के दो पदों को स्थायी न्यायाधीश के पदों में बदलने के लिए और अपर न्यायाधीश के दो नए पदों का सृजन करने के लिए राजी हो गई है, जिनमें से प्रत्येक की अवधि उसके भरे जाने की तारीख से दो वर्ष होगी।

बख्तावरपुर-राजगिरी लाइन का नया वजीरगंज अथवा पाइनर (पूर्व रेलवे) तक विस्तार

3947. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे को बख्तावरपुर राजगिरि रेलवे लाइन घाटे में चल रही है;

(ख) क्या सरकार इस रेलवे लाइन को लाभकारी बनाने के लिए नया वजीरगंज अथवा पाइमार तक बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) अलाभप्रद होने के कारण इस शाखा लाइन को 1-4-1971 से लाभांश की दायिका से मुक्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह आशा है कि इस खंड से मामूली सी बचत होने लगेगी।

(ख) और (ग). 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने बखितयारपुर-राजगीर लाइन को गया-किऊल खंड के वजीरगंज स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर नवादा तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर 1970-72 की अवधि में लाइनों के आमान परिवर्तन/विस्तार के लिए 12 सर्वेक्षण स्वीकृत किये गये थे। जब यह 12 सर्वेक्षण पूरे कर लिए जायेंगे और सर्वेक्षण के परिणामों की सब दृष्टिकोणों से सविस्तार जांच कर ली जायेगी, तो नवादा तक लाइन के विस्तार सहित समिति की अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में सर्वेक्षणों पर विचार किया जायेगा।

पूर्व रेलवे, धनवाद में भ्रष्टाचार की शिकायतें

3948. **श्री रामस्वरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे धनबाद के कुछ अधिकारियों के कदाचारों के विरुद्ध जो शिकायतें की गई थीं और जिनकी प्राप्ति तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा पत्र संख्या एम. आर/1898ए/72 दिनांक 20 मई, 1972 अंतर्गत स्वीकार की गई थी, कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : दिनांक 20-5-72 के पत्र संख्या एम आर/1898ए/72 में जिन चार पत्रों की पावंदी दी गयी थी उनके बारे में की गई थी/की जा रही कार्रवाही का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी**-3546/72]

डी. ओ. एम. (टी), धनबाद द्वारा ट्राली का प्रयोग

3949. **श्री रामस्वरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी. ओ. एस. (टी) धनबाद में ट्रालीमैनों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ख) गत वर्ष के दौरान डी. ओ. एस. (टी) द्वारा कितने निरीक्षण किये गये ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) और (ख). सूचना इट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

धनवाद डिवीजन में फरवरी, 1971 में वफादार कर्मचारियों को दिए गए नकद पुरस्कारों के मामले में भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभ्यावेदन

3950. **श्री राम स्वरूप** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिविजन में फरवरी, 1971 की हड़ताल में वफादार कर्मचारियों को दिये गये नकद इनामों के मामले में हुए भ्रष्टाचार और रेलवे के सामान की चोरियों के बारे में डिवजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद का 1 जून, 1972 का अभ्यावेदन रेलवे प्रशासन को प्राप्त हो गया है; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट धनबाद (पूर्व रेलवे) के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पुत्रों एवं आश्रितों में से प्रतिस्थानियों की नियुक्ति

3951. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट धनबाद के अन्तर्गत कार्य करने वाले मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ की ओर से अनुसचिवीय कर्मचारियों के पुत्रों तथा आश्रितों में से प्रतिस्थानियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में 10 जुलाई, 1972 को एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान नियमों में किसी कोटि के पदों पर नियोजन को किसी खास समूह के रेल कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों तक सीमित रखने की व्यवस्था नहीं है ।

आल इण्डिया रेलवेज मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन से मुख्य खनन सलाहकार धनबाद को अभ्यावेदन

3952. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवेज मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन ने डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट धनबाद तथा मुख्य खनन सलाहकार धनवाद को 27 जुलाई, 1972 को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें शामिल हैं :—

(1) धनबाद मण्डल के कर्मचारियों के निलम्बन आदेश तुरन्त रद्द कर दिये जायें;

(2) सभी कार्यालयों में लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाये;

(3) सभी ग्रेडों में वर्तमान रिक्तियां तुरन्त भरी जाये;

(4) पदों को कमी के कारण हुए अतिरिक्त कार्यभार के लिए लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाये;

(5) लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को स्वेच्छा से अन्य कोटियों में जाने के समान अवसर दिये जायें;

(6) एवजी कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के आश्रितों का उचित कोटा आरक्षित किया जाये;

(7) डाक्टरी आधार पर कोटिच्युत किये गये कर्मचारियों को आमेलित करने के उद्देश्य से उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए समुचित प्रवरण किए जायें और ऐसे कर्मचारियों को वर्तमान कर्मचारियों को वरिष्ठता में हस्तक्षेप न करने दिया जाय ।

8 कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर आरोपों को देखते हुए जिनके लिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है, उनके निलम्बन आदेश बरकरार रहने दिये गये हैं ।

मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा समय-समय पर अन्य मुद्दे (अधिकांश स्थानीय ढंग के) भी उठाये जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर वार्तातंत्र की बैठकों में आमतौर पर बातचीत के जरिए तय कर दिये जाते हैं ।

आल इन्डिया मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा मुख्य खनन सलाहकार धनवाद को दिया गया मांग-पत्र

3953. **श्री रामचन्द विकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1972 को मुख्य खनन सलाहकार, धनवाद के अधीन कार्य करने वाले आल इण्डिया रेलवेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्य खनन सलाहकार धनवाद के समक्ष एक मांग-पत्र पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे के धनवाद डिवीजन में कर्मचारियों की मुअत्तली और निर्वाह भत्ता बढ़ाना

3954. **श्री रामचंद्र विकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के चैयरमेन को धनबाद डिवीजन में कर्मचारियों की मुअत्तली और नियमानुसार छः माह पश्चात निर्वाह भत्ते में वृद्धि किये जाने के संबंध में एक संसद सदस्य का दिनांक 15 मई, 1972 का एक पत्र प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां ।

(ख) उनके मामलों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

डिवीजनल प्राधिकारी, धनवाद के विरुद्ध अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन के अध्यक्ष का अभ्यावेदन

3955. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन के अध्यक्ष से ईमानदार स्टाफ के प्रति डिवीजनल प्राधिकारी, धनबाद, के रवैये संबंधी दिनांक 3 जून, 1972 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ऐसा नहीं समझती कि अभ्यावेदन में दिये गये सुझाव के अनुसार, उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से घरेलू

काम-काज कराये जाने के आरोप के संबंध में स्थिति यह है कि कुछ विशिष्ट मामलों की सतर्कता प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ।

डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा चलाई गई प्रौढ़ शिक्षा योजना

3956. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों में निरक्षरता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा योजना सम्बन्धी दिनांक 21 जून का एक अभ्यावेदन डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद का अभ्यावेदन

3957. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेल मंत्री डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद के अभ्यावेदन के बारे में 14 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी अब एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक एकत्र करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां । ऐक नोट संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.-3547/72]

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे अधिकारियों और वरिष्ठ अधीनस्थों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दुरूपयोग

3958. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों और वरिष्ठ अधीनस्थों द्वारा चतुर्थ श्रेणी, स्टाप स्थापन्न कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों के XXXXXX दुरुपायोग के बारे में डिवीजनल रेल-कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद से दिनांक 23 जून, 1972 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीफ कलर्क, परिवहन शाखा, डी. एम. कार्यालय धनबाद के बचाव के लिए रेलवे वकील की नियुक्ति

3959. **श्री अनंत प्रसाद धूसिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब-डिबीजनल आफिसर धनबाद के न्यायालय में 1972 में एम. पी. केस नम्बर 276 में कुसुन्दा के स्विचमैन श्री आर. एस. सिंह और डी. एस. कार्यालय, धनबाद की परिवहन शाखा के चीफ कलर्क श्री आर. एस शर्मा के बीच मुकदमें में श्री शर्मा और अन्य लोगों की जमानत की व्यवस्था करने के लिए रेलवे वकील की सेवाएँ प्राप्त की गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो श्री शर्मा के बचाव के लिए रेलवे के वकील को नियुक्त करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डिवीजनल अधीक्षक कर्यालय स्टाफ केन्टीन समिति के चुनाव

3960. **श्री अनंत प्रसाद धूसिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिवीजन अधीक्षक कार्यालय स्टाफ केन्टीन समिति के चुनाव और इसके सदस्यों की वार्षिक महासभा के मामले में डिवीजनल प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में डिवीजनल अधीक्षक कार्यालय, धनबाद के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक संयुक्त अभ्यावेदन एक संसद् सदस्य द्वारा 15 मई, 1972 को तत्कालीन रेल मंत्री को भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया था और देखा गया कि नियमों में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किसी तरह के पृथक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भष्टाचार को दूर करने के लिए संकल्प

3961. **श्री अनंत प्रसाद धूसिया** :
श्री स्वामी ब्रह्मानंदजी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद के तत्वाधान में रेलवे कर्मचारियों के सम्मेलन में पतरातु में 24 मर्च, 1972 को धनबाद में 2 अप्रैल, 1972 को भष्टाचार दूर करने के लिए पास किए गए संकल्प रेलवे प्रशासन को प्राप्त हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां।

(ख) इन प्रस्तावों में लगाये गये भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

डिवीजनल रेलवे एम्पलाईज कोआरडीनेशन कमेटी, धनबाद से ज्ञापन

3962. **श्री अनंत प्रसाद धूसिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे एम्पलईज कोआरडिनेशन कमेटी, धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, धनबाद भ्रष्टाचार के विशिष्ट मामलों के संबंध में 19 अप्रैल, 1972 को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

धनबाद से प्रकाशित न्यू ट्रेंड इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन रेलवेज' नामक स्मारिका

3963. **स्वामी ब्रह्मानंद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, पूर्वी रेलवे, धनबाद द्वारा 26 तथा 27 जुलाई, 1972 को अपने प्रथम वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित 'न्यू ट्रेंड इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट रेलवेज' नामक स्मारिका की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी हां। धनबाद मंडल रेल कर्मचारियों ने भारतीय रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की है।

(ख) रेल कर्मचारियों के इस रूख से सरकार को प्रसन्नता है।

रेलवे क्लबों तथा संस्थानों में एसोसियेशनों/परिषदों/यूनियनों के रेलवे कर्मचारियों की सभाएं

3964. **स्वामी ब्रह्मानन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे क्लबों तथा संस्थानों में एसोसियेशनों/परिषदों तथा रेलवे कर्मचारियों की अन्य यूनियनों द्वारा सभाएं आयोजित करने के संबंध में रेलवे प्रशासन की नीति क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मशियल क्लर्कस एसोसियेशन, बंगलौर तथा अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोशियेशन, दानापुर तथा गया को वार्षिक आम सभा आयोजित करने के लिए हाल में अनुमति दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो 2 अप्रैल, 1972 को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बारे में डिवीजनल प्राधिकारी धनवाद द्वारा डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति पूर्वी रेलवे धनवाद द्वारा सम्मेलन आयोजित करने की तथा 26 और 27 जुलाई, 1972 को रेलवे क्लब, धनवाद में वार्षिक आयसभा आयोजित करने की अनुमति म दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) से (ग). रेल कर्मचारियों की किसी भी यूनियन अथवा एसोसियेशन को, चाहे वह मान्यता प्राप्त जो अथवा गैर-मान्यता प्राप्त, किसी भी रेल-परिसर में बैठकें आयोजित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन, मान्यता प्राप्त यूनियनों को रेल परिसरों में बैठकें करने की अनुमति दे दी जाती है, जिसके लिए उन्हें रेल प्रशासन की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है।

हो सकता है कि कुछ स्थानों पर स्थानीय अधिकारियों के स्वविवेक पर किन्हीं गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों को कुछ बैठकें आयोजित करने की अनुमति दे दी गयी हो, परन्तु इससे ऐसे संगठनों को इसी तरह की सुविधाएं अन्यत्र भी प्राप्त करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।

रेलवे स्थान तथा क्लब में ठेकेदारों द्वारा आयोजित सिनेमा शो

3965. **स्वामी ब्रह्मानन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदारों द्वारा सिनेमा शो कराने के लिए रेलवे इंस्टीयूट तथा रेलवे क्लब को पट्टे पर देने के लिए संबंध में रेलवे प्रशासन की नीति क्या है; और

(ख) क्या ऐसी नीति का पालन धनबाद और गोमोह स्थित पूर्वी रेल रेलवे संस्थान तथा रेलवे क्लवों में भी किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार टेंडर आमन्त्रित करके ठेकेदारों के जरिये इंस्टीट्यूट के हाल में सिनेमा शो दिखाये जाने की अनुमति है।

(ख) जी हां।

रेलवे इंस्टीट्यूट तथा क्लब

3966. **स्वामी ब्रह्मानन्द** : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे इंस्टीट्यूटों को तथा क्लबों को बनाने के मूल उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या हैं;

(ख) क्या इनमें वाणिज्यिक आधार पर "सिनेमा शो" दिखाये जाते हैं और इसमें 'बार' भी तथा यहां तम्बोला (हाऊजी) नामक खेल भी खेला जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे क्रिया कलाप ऊपर भाग (क) में उल्लिखित उद्देश्यों से तालमेल खाते हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) रेल कर्मचारियों के मनोरंजन की सुविधाओं के निमित्त ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना रेलों से मंगायी जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल गाड़ियों (पूर्वोत्तर रेलवे) में गार्डों द्वारा नकद राशि (कैश) ले जाते समय उनके लिए व्यवस्था

3967. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में गाड़ियों में काम करते समय तथा अपने साथ नकद राशि ले जाते समय गार्डों पर बार बार घातक आक्रमण किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है या वे अपग हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसे आक्रमणों से बचाव के लिए तथा यह सुनिश्चत करने के लिए क्या कर कार्यवाही की गई है कि नकद राशि के बक्से सुरक्षित ले जाये जा सकें; और

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजनवार उन गार्डों की संख्या कितनी है जो ऐसी घटनाओं के शिकार हुए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कोई नहीं ।

विदेशी मण्डियों में भारतीय निर्यात माल की प्रतियोगिता

3968. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितना विदेश व्यापार हुआ,

(ख) प्रमुख निर्यात माल के मामले में भारत को विदेशी मंण्डियों में किन देशों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है; और

(ग) विदेशों में इतनी अधिक मांग होते हुए भी भारतीय माल इस प्रतियोगिता में क्यों सफल नहीं रहता है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) भारत का विदेश व्यापार

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1969-70	1582.10	1413.28
1970-71	1634.14	1535.16
1971-72	1852.86	1605.00+(अनन्तिम)

इसमें बंगला देश को किए गए निर्यात (लगभग 38 करोड़ रु०) शामिल हैं जिनकी गणना पहले प्रकाशित किए गए निर्यात आंकड़ों (1567 करोड़ रु०) में नहीं की गई थी। तथापि इसमें और संशोधन किया जा सकता है।

(ख) भारत के प्रतिद्वन्द्वी :

	प्रमुख निर्यात मदें	प्रमुख प्रतिद्वन्दी
1.	चाय	श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका
2.	पटसन निर्मित वस्तुएं	बंगला देश
3.	वस्त्र	जापान, हांगकांग, पकिस्तान
4.	मछली तथा समुद्री उत्पाद	मैक्सिको
5.	लौह अयस्क	आस्ट्रेलिया
6.	तम्बाकू अनिर्मित	संयुक्त राज्य अमरीका और रोडेशिया
7.	चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं	पाकिस्तान तथा आस्ट्रेलिया
8.	इंजीनियरी माल	संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, सोवियत संघ। विकसित तथा कुछ विकासशील देश जैसे दक्षिणी कोरिया, ताइवान आदि।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय माल विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहा है। इसमें शक नहीं कि निर्यातों को बढ़ाने में कुछ रुकावटें हैं। निर्यात संवर्धन के मार्ग में आने वाली कुछ रुकावटें ये हैं : जहाजी भाड़े की ऊंची दरें, विश्व के बहुत से भागों में निरन्तर तथा पर्याप्त जहाजी सेवाओं की कमी, इस्पात तथा अलौह धातुओं जैसे कच्चे माल की अत्यधिक कमी, विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोध, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट और विश्व इस्पात उद्योग में मंदी।

Shortage of Power in Rajasthan

3969. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the extent of shortage of electricity in Rajasthan during the last one year :

(b) the loss suffered by industries as a result thereof, and

(c) the action taken or proposed to be taken to check recurrence of shortage in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) There has been no shortage of power in Rajasthan.

(b) & (c). Do not arise.

Export Orders For Mica

3970. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the names of countries to which mica is likely to be exported and the names of the countries from which orders have been received by Government during the current year; and

(b) the steps taken by Government to develop mica trade ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Orders for supply of mica have been received by the Minerals and Metals Trading Corporation from Norway, Hongkong, Greece, Korea. Bulgaria, Rumania, Poland, Spain, Singapore, Australia, Taiwan, Canada, Japan, France, Czechoslovakia, U.S.A., Switzerland, USSR, Germany (West), GDR, Belgium, Hungary, Italy, U.K. and Austria. Besides these countries mica is likely to be exported to Abu Dhabi, Burma, Ceylon, Finland, Formosa, Iran, Iraq, Jamaica Kenya, Kuwait, Labanon, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, other Pacific Islands, Philippines, Puerto Rico, Saudi Arbia, Sweden, Syria, Thailand, Trinidad, Turkey, U.A.R. (Egypt) and Yugoslavia.

(b) Government had set up a Committee, named, Mica Advisory Committee in April, 1970 to recommend the steps which should be taken for promoting exports of mica and mica products. The Committee has made various recommendations for promoting exports of mica. Necessary steps to implement these recommendations are being taken.

Survey for Gaya-Barkakana Route Via Chatra-Hajaribagh

3971. SHRI SAHNKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railways have ever conducted any survey for Gaya-Barkakana route via Chatra-Hazaribagh in Bihar;

(b) if so, the outcome thereof and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) & (b). In 1946-47, Preliminary Engineering and Traffic Surveys were carried out for a Railway line from Ranchi to Gaya via Barkakana, Chatra and Hazaribagh. This project was found to be heavily unremunerative and was dropped.

Increase in Mileage of Indian Railways

3972. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the increase in mileage of Indian Railway lines during the last three years, state-wise; and

(b) the increase proposed to be made in the mileage of Indian Railway lines during the next five years ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI) : (a) The increase in route kilometres of Indian Government Railways during the last three years ending on 31.3.1971 is 913 kilometres. This information is not compiled State-wise but only Railway Zone-wise; as such the break up of additional route kilometres provided during the last three years by States is not available.

(b) 873 Kilometres of new railway lines are at present under construction/sanction, which will be completed and opened to traffic during the next five years.

पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग की बुरी हालत

3973. श्री एच. एन. पटेल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल के विभिन्न भागों में चाय उद्योग बुरी हालत में है;

(ख) चाय के उत्पादन पर इसका कितना कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 31 जुलाई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). यद्यपि पश्चिम बंगाल में विशेषतः दार्जिलिंग में चाय उद्योग की कुछ समस्याएं हैं, फिर भी इस राज्य में चाय उत्पादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है, जैसाकि निम्नोक्त आंकड़ों से पता चलता है :

पश्चिम बंगाल में उत्पादन

वर्ष	मात्रा लाख कि.ग्रा. में
1971 (जनवरी-जून)	265.1
1972 (जनवरी-जून)	304.7

(ग) जी हां। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

चाय निर्यात की समस्याओं के बारे में सरकार को ज्ञापन

3974. **श्री झारखण्डे राय** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय संघ और दक्षिण भारत की युनाइटिड प्लान्टरस एसोसिएशन ने चाय के निर्यात संबंधी समस्याओं के बारे में सरकार को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में किये गये मुख्य सुझाव ये हैं :—

(1) बाजार संबर्धन के संबंध में प्रशासनिक ढंग से परिणाम नहीं निकल सकते ।

(2) चाय बोर्ड में प्रशासनिक तथा नियंत्रण कार्य जारी रखे जा सकते हैं किन्तु चाय बाजार विस्तार के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक पृथक पूर्ण स्वायतता प्राप्त चाय संबर्धन परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए ।

(3) चाय संबर्धन के लिए अपेक्षाकृत काफी अधिक संसाधन उपलब्ध किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एक पृथक लेवी लगाई जानी चाहिए तथा उत्पादन-शुल्क को उस सीमा तक घटा दिया जाना चाहिए ।

(4) इस प्रकार के कर से प्राप्त राशि प्रस्तावित संवर्धन परिषद को उपलब्ध की जानी चाहिए । संवर्धन कार्य में लगे हुये वर्तमान अमले का परिषद् अंतर्गत लाकर उनके पेशे के अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

चालू वर्ष में पटसन के उत्पादन में कमी

3975. **श्री झारखण्डे राय** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कच्चे पटसन का उत्पादन आशा से कम होने की कम सम्भावना है,

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी होने की सम्भावना है, और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप कच्चे पटसन का बड़ी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी मात्रा में कच्चे पटसन का आयात किया जायेगा और उसकी कीमत क्या होगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). सूखा पड़ने के कारण 1972-73 के मौसम में, पटसन तथा मेस्टा का इस समय केवल 58 लाख गांठों के उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन में लगभग 10 लाख गांठों की गिरावट आने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) 25 से 30 करोड़ रुपये के मूल्य की लगभग 10 लाख गांठें।

बड़ी सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3976. **श्री वाई. ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में राज्यों में कौन-कौन सी बड़ी बिजली और सिचाई योजनाएं आरम्भ की गई है;

(ख) उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केन्द्र ने राज्यों को क्या सहायता दी है;

(ग) इन योजनाओं के बारे में क्या वास्तविक प्रगति हुई है;

(घ) क्या सब योजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(ड.) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी योजनाएं निर्धारित समय से पीछे रह गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अपेक्षित जानकारी सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72 के परिशिष्ट 6 और 2 में दी गई है।

(ख) चौथी योजना के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिए एक मुस्त ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में है और यह किसी एक विकास शीर्ष अथवा परियोजना से संबंधित नहीं है। चौथी योजना में राज्यों की विकासात्मक योजनायें 6605 करोड़ रुपये की है जिसमें से केन्द्रीय सहायता 3500 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ड.). मार्च, 1972 तक 1.27 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त शक्यता और 2.9 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई थी।

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि विद्युत-जनन उपस्कर आदि की सप्लाई में देरी के कारण मुख्य रूप से नागार्जुनसागर, गण्डक, कोसी, राजस्थान नहर और रामगंगा परियोजनाओं से 1.2 मिलियन हैक्टेयर सिचाई की कमी (चौथी योजना के लक्ष्य 4.8 मिलियन में से) प्रत्याशित है; मुख्य

रूप मे व्यास, बैयरा सियुल, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, इद्दिकी, एन्नौर, उकई ताप, कोयना बालिमेला और पतरातु विद्युत परियोजनाओं से 2.6 किलोवाट की कमी (9.2. मिलियन किलोवाट के लक्ष्य में से) प्रत्याशित है ।

भारतीय उत्पादों के लिये नई मंडियां

3977. **श्री एस. ए, मरुगन्न्तम :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उत्पादों के लिए नई निर्यात मंडियों का पता लगाने के बारे में कोई प्रयास किये जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रयासों का स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय उत्पादों के लिए नए निर्यात बांजारों को विकसित करने के लिए, विदेश मंत्रालय और उसके अधीन कार्य कर रहे संगठनों द्वारा किए गए प्रयास निम्नोक्त प्रकार के हैं :

(1) महत्वपूर्ण केन्द्रों में निर्यात संबधन परिषदों की स्थापना द्वारा जो निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अपने उत्पादों के लिए, नए बाजारों की निरतर खोज करते रहते है :

(एक) बिक्री । अध्ययन दल और व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना

(दो) विभिन्न विदेशी देशों में बाजार सर्वेक्षण करना;

(तीन) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना जिनसे भातीय उत्पादों के लिए दृश्य प्रचार और व्यक्तिगत संपर्कों का अवसर मिलता है,

(2) व्यापार करार संपन्न करना और सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान करना;

(3) भारतीय निर्यात योग्य एककों को उत्पाद विकास और नए बाजारों लिए अनुकलन में सहयता देना और

(4) उत्पादन की नई लाइनों में नए बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यानुसार बांडेड निर्यात माल साधित करने वाले क्षेत्रों को प्रायोजित करना ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 35 मिलों का आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम

3978. **श्री एस. ए. मुरुगनन्तम:** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सरकार के अधीन 35 मिलों का आधिुमिकीकरण करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) कार्यक्रम पर कितना खर्च आयेगा; और

(घ) उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग). जिन सूती वस्त्र मिलों का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, उनकी अधिकांश मशीनें पुरानी तथा अप्रचलित हैं। अतः यह सुनिश्चित करने के ख्याल से कि ये मिलें लगातार हानि नहीं उठाती रहें, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अब 40 मिलों के संबंध में प्राथमिकता आधार पर आधुनिकीकरण के कार्यक्रम बनाये हैं जिन पर लगभग16.49 करोड़ रु० का वितीय परिव्यय होगा ।

(घ). सरकार ने अभी तक 37 मिलों के प्राथमिकता आधार पर आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है जिनपर लगभग 15.85 करोड़ रु० कीं कुल लागत आयेगी । इन मिलों में से 18 मिलों ने 3.85 करोड़ रु० मूल्य की मशीने सप्लाई करने के लिए मशीन विनिर्माताओं को क्रयादेश दे दिए हैं। शेष मिलों के मामलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

अवमूल्यन से पूर्व आयात निर्यात लाइसेंसों को पुनः वैध बनाना

3979. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवमूल्यन के पूर्व के कई करोड़ रुपयों के आयात लाइसेंसों और निर्यात संवर्धन लाइसेंसों का पुनः वैध बना दिया है अथवा बनाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) जिन फर्मों को यह लाइसेंस दिये गये थे उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रलय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) सरकार ने ऐसे किन्हीं लाइसेंसों को जिसमें कई करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त हो, फिर से वध नहीं किया है । तथापि, आयात व्यापार नियंत्रण विनियमनों के अंतर्गत आयात लाइसेंसों के पुनर्वधीकरण की व्यवस्था है और पुनर्वधीकरण के किसी अनुरोध पर मामले की परिस्थितियों तथा उसके गुणावगुण को ध्यान में रख कर विचार करना होता है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV (Khagaria) : Sir, I may be given two minutes.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : Sir, I had given a notice under Rule 115 what has happened to that ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से जानकारी मांगी है।

श्री एस. एस. बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरा पल्ली) : यह इसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मद-संख्या 3 के बारे में है, तो इसे प्रस्तुत करने से पूर्व कैसे उठाया जा सकता है?

श्री एस. एस. बनर्जी : व्यवस्था का प्रश्न कार्य सूची के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह विषय संसद के सामने आ जाए तब तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : क्या मैं स्थिति स्पष्ट करूं। कार्य सूची को कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और सदस्यों में परिचालित किया जाता है। यदि उसमें कोई गल्ती है तो हम किस समय उस बारे में अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करें ? आपके द्वारा सदस्य का नाम पुकारने के पश्चात यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है चाहे मद को सदस्य ने अभी प्रस्तुत न किया हो।

अध्यक्ष महोदय : जब तक श्री सी. एम. स्टीफन प्रस्तुत न कर दें। तब तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर पहले विचार होना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न कार्यसूची में इस मद की प्राथमिकता के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय उठाया गया था और मैंने कहा था कि जब यह आएगा तब मैं देखूंगा कि अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। अब मैंने अनुमति दे दी है।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 (2) के अन्तर्गत है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कोई विषय सदन के समक्ष न हो उस बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं। यह मामला कल की घटना के बारे में हैं......

श्री एस. एम. मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) क्या व्यवस्था का प्रश्न अब उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एस. एम. बनर्जी जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री एस. एच. बनर्जी : मैं नियम 376(2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री सी. एम. स्टीफन ने श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा 28 अगस्त 1972 को अध्यक्ष पीठ की ओर कागजों का बंडल फैंकने और अध्यक्ष की तिरस्कार पूर्ण अवज्ञा करने के विरुद्ध विशेषाधिकार

का प्रश्न उठाने का प्रयास किया है । नियमों के अनुसार विशेषाधिकार का प्रस्ताव नियम 222 अथवा 223 के अन्तर्गत उठाया जा सकता हैं । सदन में इस प्रकार की घटना पहलीं बार हुई है । इससे पूर्व यहां पर कागज जलाने की घटना हुई है भी । (अन्तर्बाधाएं) मैं सदन की मर्यादा के भंग किए जाने के पक्ष में नहीं हूं । कल की घटना बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है । परन्तु मुझे इस बारे में यह कहना है कि इस मद को कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये था । इसके बारे में नियम 222 अथवा 223 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना चाहिये था । पिछली बार जब हमने इस सदन के एक सदस्य को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की थी तो इसे स्वीकार नही किया गया था । हमें बताया गया था कि उस से पूर्व दोषी व्यक्ति से जवाब मांगा जाएगा । परन्तु इस मामले में उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । श्री ज्योतिर्मय बसु से इस बारे में आपने कुछ नहीं पूछा है । अध्यक्ष पीठ द्वारा स्वयं कोई भी कार्यवाही की जा सकती है । प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं । परन्तु आपने यह शक्तियां सारे सदन को प्रत्यायोजित कर रखी हैं । इस सदन में लोगों ने विधेयक जला दिये । सचिव के हाथों से माइक्रोफोन छीने गए (अन्तर्बाधाएं) । आप पहले श्री ज्योतिर्मय को बुला कर उनका स्पष्टीकरण देकर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दें ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह कि इस प्रस्ताव पर आज चर्चा नहीं की जा सकती । पहले श्री ज्योतिर्मय बसु को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए ।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि...

श्री नवलकिशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : जब तक एक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार न कर लिया जाए दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : व्यवस्था के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाएं । मुझे पहले व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कुछ कह लेने दें । कल जब स्थगन प्रस्ताव रद्द किया गया था ।

श्री एम. कल्याण सुन्दर : पहलेम् आप मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप का व्यवस्था का प्रश्न भी उपरोक्त विषय के बारे में है तो उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं । यदि कुछ दूसरी बात है तो मैं बाद सुन लूंगा ।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : आप मेरी बात भी सुन लें और दोनों के बारे में अपनी व्यवस्था बाद में दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उपरोक्त विषय दोहराने की आवश्यवता नहीं । यदि आप को कुछ और कहना है तो मैं बाद में सुन लूंगा ।

श्री पीलू मोदी : वह उपरोक्त विषय के बारे में अनुपूरक बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनकी बात उपरोक्त विषय से निम्न विषय के बारे में हैं तो मैं उनकी बात बाद में सुनुंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कल की घटना की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे एक बात लिखा है। कुल स्थगन प्रस्ताव के रद्द हो जाने पर कुल सदस्य नाराज हो गए थे। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे तो श्री सी. एम. स्टीफन तथा एक अन्य सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से मतलब है। श्री के. मालन्ना ने कल यह विषय उठाया तो मैंने कहा था कि इस प्रकार इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर विचार किया जाएगा। विचार के पश्चात् मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अतः इसे कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बचाव का कोई अवसर किए बिना ही।

अध्यक्ष महोदय : जो घटना सदन में घटी हो उस के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने की कोई बात नहीं उठती। वह तो बाहर घटी घटनाओं के बारे में है। सारे सदन ने देखा था मेरे सामने यहां पर कागज फेंके गए थे।

श्री एच. एम. पटेल (ढढुंका) : क्या आप विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में इसका निर्णय कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे इस व्यवहार की आशा नहीं करता था। यह सदन की प्रतिष्टा की बात है। आपको इस प्रकार की बातों में पक्ष नहीं लेना चाहिए। हम इस प्रकार के मामलों में ढील दिखाते रहे हैं। इस प्रकार की बातों का अन्त होना चाहिए। हम समझते थे कि सभी दल आपस में बैठ कर उन्हें समाप्त करने के बारे में सोचेंगे परन्तु यदि यह रोजमर्रा की बातें हो जाएं तो इनके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

सदन में कुछ भी विचार प्रकट किए जाएं। सदन की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। यह सारे सदन का मामला है। मैं इसे आप पर ही छोड़ता हूं।

SHRI RAM SAHAI PANDE (Rajnandgaon): It would be much better if hon. Members themselves feel that dignity of the house have been violated. The Member concerned should stand up and express his regret before the House. (*Interruptions*) If Shri Jyotirmoy Bosu expresses his regrets for yesterdays happennings (*Interruptions*).

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं तो मुझे भी कुछ कहना है।

श्री **सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाडा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आपने स्वयं ही इस प्रश्न को उठाया होता मैं कहता कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए अथवा सदन में इस पर चर्चा हो। तब मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। आपने कहा कि यह घटना कल आपकी उपस्थिति में घटित हुई। परन्तु अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार का मामला तो उसी समय उठाया जाना चाहिये था। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल मैंने कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एम. कल्याण सुन्दरम् : आपने इसे नियम 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सौंपा ? यदि इसे अब विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया तो अच्छी बात नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री एम. कल्याणसुन्दरम : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। अच्छा होता कि आप सभी दलों के नेताओं की बैठक बुला कर विचार करते और सदन की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करते। सदस्यों को एक दूसरे के विरुद्ध करने से सदन की प्रतिष्ठा नहीं बन सकती।

श्री एस. ए. शमीम (श्रीनगर) : मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने मामले के गुण दोषों का विवेचन किया। यह कार्य तो विशेषाधिकार समिति का है। दो माननीय सदस्यों ने सहन की प्रतिष्ठा का मामला उठाया परन्तु अब तो यह मामला विशेषाधिकार समिति की प्रतिष्ठा का है क्योंकि इस समिति का कार्य न्यायिक प्रकृति का है और आप अपने विचार प्रकट किए हैं अतः यह उसका मान भंग है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री बी. पी. मोर्य (हापुड़) : विशेषाधिकार समिति को भी तो इस सदन ने बनाया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरी बात यह कि इस मद को प्राथमिकता देने का निर्णय करने से पूर्व आपको सब तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए। प्रस्ताव में कहा है कि अध्यक्ष पीठ की ओर कागजों का एक बंडल फैंका गया। यह बात गल्त है। यह बात भी सदन के सामने है कि कागज अध्यक्ष पीठ की ओर नहीं फैंके गये।

इसमें एक और तथ्यात्मक गलती भी है। प्रस्ताव में "अध्यक्ष की तिरस्कारपूर्ण अवज्ञा" की बात भी है। इस बारे में भी मतभेद हो सकता है। प्रस्ताव में यह दोनों दोष हैं। अतः मेरा मत है कि अध्यक्ष महोदय ने इसे प्राथमिकता देने का निर्णय करते समय इन पर विचार नहीं किया है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री एच. एन. मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं यह समझता हूं कि कोई भी विषय विशेषाधिकार समिति को अथवा किसी भी अन्य तुलनीय की समिति को तभी निर्देशित किया जा सकता है जब घटना के सदन में घटित होने के समय पीठासीन अधिकारी कार्यवाही निमन्त्रित न कर रहे होते। इस घटना के घटित होने के समय पीठासीन अधिकारी अपने पद पर आसीन थे, सदन के नेता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। विभिन्न दलों के नेता भी उपस्थित थे।

विशेषाधिकार समिति सदन में घटित होने वाली घटना पर कैसे विचार करेगी ? समिति को घटना के बारे में साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त होगा ? आपने सदन के किसी अन्य सदस्य ने अथवा संसदीय कार्य मंत्री ने सम्बद्ध सदस्य का नाम लेने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। आज यह कहा जा रहा है कि उसे विशेषाधिकार समिति को निर्देशित कर दिया जाये जबकि यह घटना न केवल सदन में ही हुई वरन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में घटित हुई।

यदि मैं विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होता तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इसे यहीं पर निपटाया जाना चाहिये था। यह हंसने की बात नहीं है। सदन में भी प्रतिष्ठा बनाए रखना हमारा काम है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 224(1) के अनुसार एक बैठक में एक ही प्रश्न पर विचार हो सकता है। परन्तु वर्तमान प्रस्ताव में छे प्रश्नों का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ही मामला है। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता।

श्री पीलू मोदी : इसमें तो दो प्रश्न हैं। आपके कहने मात्र से दो बातें एक नहीं हो जातीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बारे में कि कागजों के बंडल फेंकने, कागज जलाने अथवा माइक छीनने या इस प्रकार की अन्य घटनाएं वांछनीय हैं अथवा नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये निन्दनीय हैं। परन्तु इस समय विचारणीय बात दूसरी है। प्रश्न यह है कि इसे विशेषाधिकार का प्रश्न क्यों बनाया जाए और सदन के हस्तक्षेप की मांग क्यों की जाए ?

जैसा कि श्री हीरेन मुखर्जी ने कहा, यह घटना सदन में अध्यक्ष तथा मंत्रियों की उपस्थिति में ही घटित हुई। उस समय तो हम कुछ भी नहीं कर सके, परन्तु बाद में उस विषय को विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में लाया जा रहा है। इस मामले में सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन की कॉमनस सभा में एक स्त्री सदस्या ने एक मन्त्री के मुंह पर चपत लगा दी। कुछ वर्ष पूर्व एक पुरुष सदस्य ने भी मंत्री के मुंह पर चपत लगाई थी। परन्तु इन घटनाओं को विशेषाधिकार का प्रश्न बनाने योग्य नहीं समझा गया। मैं यह अनुभव करता हूं कि नियम 224(3) के अन्तर्गत यह विषय ऐसा नहीं है जिसमें सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसे किसी अन्य तरीके से हल किया जाना चाहिए। कार्यसूची में विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं।

श्री एम. के. शमीम : अन्य सदस्यों को तो व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भिन्न बात कहना चाहते हैं अथवा वही बात दोहराना चाहते हैं ?

श्री बी. विश्वानाथन (वान्डीवाश) : व्यवस्था के प्रश्न पर आपके द्वारा निर्णय दिये जाने से पूर्व मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त के व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री एस. ए. शमीम : आपने छह सदस्यों को अवसर दिया । हम दोनों की बातें भी सुन लें ।

श्री जी. विश्वानाथन् : श्री एच. एन. मुखर्जी ने एक बहुत ही युक्ति संगत बात उठाई कि सदन में घटित हुई घटना का विशेषाधिकार समिति को निर्देशित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए । यदि हम ऐसा करेंगे तो हम इस स्थिति को स्वीकार करेंगे कि यह सदन विशेषाधिकार समिति से निचले स्तर पर है । विशेषाधिकार समिति सदन से श्रेष्ठ नहीं है ।

श्री एस. ए. शमीम : एक विशेष कार्य की निन्दा करना और विशेषाधिकार भंग का मामला उठाना दोनों में भारी अन्तर है । विशेषाधिकार भंग के अन्तर्गत इसे लाने में कई शर्तों को पूरा करना होता है ।

इस विशेष घटना की जांच विशेष संदर्भ में की जानी चाहिये । ऐसे भी उदाहरण हैं जब सभा के अपमान का कोई आशय नहीं होता । यह सुझाव दिया गया था कि विशेषाधिकार भंग के मामले की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । ऐसे भी उदाहरण हैं जब उन सम्पादकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिन्होंने सभा का अपमान किया । उसका कारण यह था कि ऐसा करने से सभा को ऐसे मामलों को बार-बार विशेषाधिकार समिति को यह निर्णय जानने के लिये सौंपना पड़ता था कि उक्त मामलों में विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं ।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न की वैधता को मैं मानता हूं । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मन्त्री महोदय को चांटा मारे जाने का उल्लेख किया है । यहां सारे सदन को ही चांटा मारा गया है । सभा की गरिमा और पवित्रता पर अभद्र तरीके से हमला किया गया है और इस बात का निर्णय सदन को करना है कि सदस्य के साथ कैसा व्यवहार किया जाये । यह समस्त सदन के विशेषाधिकार के हनन का मामला है, जैसा कि श्री स्टीफन ने उल्लेख किया । अध्यक्ष पीठ को अपना विनिर्णय बदलने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : नियम 223 में उल्लिखित है कि :

> "जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहें वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा ।"

अतः यह मामला कल, जबकि घटना घटी थी, नहीं उठाया जा सकता था । उन्होंने लिखित सूचना देकर आगे मामला उठाया है (**अन्तर्बाधाएं**) नियम 225 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय को देनी होगी ।

SHRI JAGANNATHRAO JOSH (Shajapur) : The Questi›n is whether this matter involves a Research of privilege or not. (*Iuterruptions*)

श्री आर. एस. पांडे (राजनन्दगांव) : इस मामले में कागज के बंडल को अध्यक्ष पीठ की ओर फेंक कर अत्यन्त उच्छृखंल आचरण का प्रदर्शन किया गया है और अध्यक्ष की घृणात्मक अवज्ञा की गई है (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस तथ्य का सम्बन्ध है मैंने कल कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा। जब कभी कोई प्रस्ताव अध्यक्ष के सामने आता है, और वह सन्तुष्ट हो जाता है तो वह उसे सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दे देना है। मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है और मैं इसे विशेषाधिकार समिति अथवा सभा को निर्णय के लिए सौंप रहा हूं। अब तक मैंने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है कि इसे सभा के निर्णय के लिए सोंपा जाए अथवा समिति को सोंपा जाए। मैंने केवल यह कहा था कि सभा में शिष्टता बनाये रखने की मेरी तथा आप सबकी समान जिम्मेवारी है (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री इन्द्रजीत (अलीपुर) : प्रश्न यह है कि क्या यह विशेषाधिकार का मामला है अथवा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है। यह सभा के अपमान का मामला है। इसे सभा कभी भी सहन नहीं कर सकती। कम से कम मैं ऐसे कार्य का पक्ष लेने की सलाह नहीं दूंगा। मैं अधिक से अधिक यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य खेद प्रकट करें और उनके खेद प्रकट करने के बाद मैं प्रस्ताव को सदन में रखूंगा कि क्या इसे वापिस लिया जा सकता है और क्या उनके खेद को स्वीकार किया जा सकता है। सभा इस बारे में स्वयं निर्णय ले सकती हैं अथवा वह इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकती है। यह सुझाव दिया गया है कि सदस्य खेद प्रकट कर दें तो विशेषाधिकार का मामला समाप्त किया जा सकता है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आप ने श्री ज्योतिर्मय बसु को खेद प्रकट करने का अवसर प्रदान कर सभा में शिष्टता और गारिमा बनाये रखने में सहायता दी है। यदि ऐसा होता है। तो हम सन्तुष्ट हो जायेंगे कि आवश्यक कर्यवाही की गई है किन्तु यदि ऐसा नहीं होता तो मैं यह सुझाव दूंगा कि मामले को अवश्य विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह मामला ऐसा है जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है अथवा नहीं...

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यदि श्री ज्योतिर्मय वसु खेद प्रकट कर देते हैं तो हम अगले विषय पर चर्चा आरम्भ करेंगे और तब सभा से इसे वापिस लेने की अनुमति देने को कहा जायेगा और तब इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री एस. एम. बनर्जी : आपने यह कहा है कि आप इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है। लेकिन यदि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है और विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह बिशेषाधिकार का मामला नहीं है तो अध्यक्ष महोदय के लिए त्याग-पत्र देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं यह कहता हूं कि यह प्रथमदृष्टया विशेषाधिकार भंग का एक मामला है तो उसमें क्या गलती है। माननीय सदस्य का सुझाव हास्यापद है।

श्री एस. एम. बनर्जी : पहले एक बार जब सभा में बहुत शोर-गुल मचा था तो श्री नेहरू ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और सब मामला रफा-दफा कर दिया था और इस प्रकार उलझा मामला समाप्त हो गया था।

श्री सी. एम. स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मेरे विचार से यह सभा के अपमान का मामला है और इसी आधार पर मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। अब इस बात का निर्णय यह सभा करेगी कि क्या वह अपमान का मामला है अथवा नहीं। मैं आपका ध्यान 9 अगस्त की उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें एक दर्शक ने सभा में पर्चे फैंके थे। सभा ने उसे अपमान का मामला माना था और दो व्यक्तियों को जेल भेजा था। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सब मामलों में एक ही मानदंड अपनाया जाना चाहिए। अब सभा को यह तय करना है कि इस मामले में क्या किया जाये। एक प्रतिक्रिया यह भी है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। नियम 226 के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह मामला सभा में मतदान के लिए रखा जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति नहीं मांगी। अतः उन्होंने जो कुछ कहा है उसे व्यर्थ समझा जाये। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं अनुमति पहले ही मांग चुका हूं। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : वह अनुमति पहले ही मांग चुके हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

प्रश्न यह **है** :

"कि अनुमति दी जाये।"

जो व्यक्ति इसके पक्ष में हैं, वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : —हां—।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दे दी गई है।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मामले पर सभा में चर्चा की जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के. एस. चावड़ा (पाटन) : मैं नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दिए जाने के बारे में विरोध प्रकट किया जाये, तब अनुमति देने से पूर्व सदस्यों की संख्या गिनी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अनुमति मांगी थी और उसे अपेक्षित से अधिक संख्या में सदस्यों ने अनुमति दे दी है। अतः अब इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

श्री एस. एम. बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय लोकतंत्र तथा मर्यादा के हित में इस मामले को त्याग दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विचारार्थ प्रस्तुत है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : श्रीमन, मुझे भी कुछ निवेदन करना है ।

श्री राजबहादुर : एक बार मामले को समिति को सौंपे जाने के बाद उस पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए । अन्यथा समिति को सौंपने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा की अनुमति मांगी है ।

प्रश्न यह है :

"कि अनुमति दी जाये ।"

जो पक्ष में हैं वे "हां" कहें । अनुमति दी जाती है ।

एक लिखित प्रस्ताव आया है ।

प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर सभा में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब, दूसरा प्रस्ताव यह है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या सभा में हर प्रश्न को अनौपचारिक ढंग से लिया जायेगा । क्या उच्च प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखा जाना चाहिए था ? हम इस प्रश्न का चर्चा करना चाहते थे कि क्या मामला विशेषाधिकार सीमति को सौंपा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है । अब सभा के सामने यह प्रस्ताव है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये । अब आप इस पर बोल सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसका अर्थ यह है कि पहले वाला मतदान अनियमित था ! (अन्तर्बाधाएं)

श्री ज्योतिर्म बसु : जिस ढंग से यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया गया है, उस पर मुझे अश्चर्य है । पिछले 6 बर्ष में कोई भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव इस ढंग से नहीं लाया गया है । हमने यह भी देखा है कि अध्यक्ष पर किस प्रकार से अपना निर्णय बदलने के लिए दबाव डाला गया ।

हमारे यहां नियम है कि अध्यक्ष के विरुद्ध 14 दिन का नोटिस देकर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आप निष्पक्षता से सभा का कार्य ठीक ढंग से कर रहे है अथवा नहीं यह अलग प्रश्न है। मैं इसे किसी दूसरे अवसर पर लूंगा (अन्तर्बाधाएं)

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : ये टिप्पाणियां आपत्तिजनक हैं।

श्री विक्रमचन्द महाजन (कांगड़ा) इन टिप्पणियों से अध्यक्ष पर आरोप आता है। इन्हे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय: यदि मेरे विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय पर दोषारोपण कर रहे हैं। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि......(अन्तर्बाधाएं)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पीठासीन अधिकारी का निरादर तो नहीं कर रहा हूं।

श्री राजबहादुर : मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं कि अध्यक्ष की अवक्षा करने के लिए माननीय सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे से प्रत्यः अशिष्टता से पेश आते हैं।

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्य के विरूद्ध कार्यवाहि की जाये। मैं एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करता हूं कि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये और उन्हें शेष सत्र से (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का नाम लेने में तो संकोच नहीं करूंगा परन्तु चर्चाधीन विषय का उनसे सम्बन्ध है। हम उन्हें उस पर अवसर देना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बंगुसराय) : यदि माननीय सदस्य ने आपके विरूद्ध आविश्वास का प्रस्ताव लाने की धमकी दी है तो इसमें कौनसी अपत्तिजनक बात है ?

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : माननीय सदस्य को अपना स्पष्टीकरण देने का हक है परन्तु यदि वह अध्यक्षपीठ की गरिभा के विरूद्ध कुछ कहते हैं तो हम उसे सहन नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अध्यक्षपीठ के प्रति आदर का प्रश्न करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर सकता हूं।

प्रश्न यह है। मंगलवार 29 अगस्त, 1972/7 भाद्रा, 1894 (शक) की पुनरीक्षित कार्य-सूची की मद संख्या 3 में विशेषाधिकार का प्रश्न है। क्या आपका यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नहीं है कि आपके सचिव के हस्ताक्षर से जो कुछ कार्य-सूची में प्रकाशित होता है वह सही है ?

उसमें निम्न प्रकार लिखा हुआ है ;

"......संसद सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु के 28 अगस्त, 1972 को अध्यक्षपीठ की ओर कागजों का एक बंडल फेंकने के अत्यंत उच्छुंखल आचरण तथा अध्यक्ष की तिरस्कारपूर्ण अवक्षा करने के कृत के कारण उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगे।"

माननीय श्री सी. एम. स्टीफन ने लोक-सभा के सचिव के नाम 28 अगस्त, 1972 को जो पत्र लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 'अध्यक्ष महोदय के अनुदेश के विरोध में श्री बसु ने कागजों का एक बंडल अध्यक्षपीठ की ओर फेंका।' मेरे मस्तिष्क में...(व्यवधान)...यह आशंका है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य की ओर जब विशेषाधिकार का प्रश्न आया तो उसे उसी समय प्रकाशित कर दिया परन्तु दिल्ली के कुछ समाचार-पत्रों में जो लिखा है वह इसके अनुरूप नहीं है। "इंडियन एक्सप्रेस" में यह लिखा हुआ है कि 'श्री बसु ने अध्यक्ष की मेज के सामने अधजले समाचार-पत्रों का बंडल फेंका।'

"स्टेट्समैन" में यह लिखा हुआ है कि श्री बसु ने अध्यक्ष की कुर्सी के पास जले हुए कागजों का बन्डल फेंका।

"टाइम्स आफ इंडिया" में इस प्रकार लिखा हुआ है कि, श्री ज्योतिर्मय बसु ने अधजले कागजों के पुलिन्दे को सभा के फर्श पर फेंका' क्या अध्यक्ष महोदय सभा के फर्श पर बैठते हैं ?

मैं आपके संयुक्त सचिव श्री प्रोफुल्य कान्ति पटनायक ने लगभग 7 बजे संसद भवन में मुझे यह विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना सौंपी और मैं रात्री में देर तक पुस्तकें देखता रहा। मुझे श्री श्यामलाल शंकधर तथा श्री कौल द्वारा लिखित पुस्तक ग्रंथालय से नही मिली। अतः मैं आधी रात तक बैठा रहा। 2 बजे मैं सोया। मैंने आज सुबह 10.25 बजे अपनी डेस्क पर एक पत्र रखा।

क्या आपने वह पत्र पढ़ा है ? मैंने इसमें 'मे' की "पार्लियामेंट्री प्रोम्टर्स" पुस्तक सहित कई ख्याति प्राप्त पुस्तकों के उदाहरण दिये हैं और यह स्पष्ट किया है कि कल जो कुछ हुआ वह बिल्कुल भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। आपने उसका उल्लेख करने तक की परवाह नहीं की।

प्रश्न काल के दौरान आपके सहायक श्री आनन्द ने मुझे सूचित किया कि आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था ? (2) उस जानकारी के मिलने के तुरंत बाद मैंने आपको इस आशय का पत्र लिखा कि मैंने स्थगत प्रस्ताव में जो विषय रखा है उस का उल्लेख करें। परन्तु आपने ऐसा करने की अनुमति देने में अनिच्छा प्रकट की।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति के पक्ष में इसलिये तर्क दिये थे कि नियमानुसार अनुमति दी जानी चाहिये।

कांग्रेसी सदस्यों द्वारा मेरे बारे में जो शब्द कहे गए थे उनसे मेरे मस्तिक में उत्तेजना उत्पन्न हुई और उस उत्तेजना के कारण मुझे अध्यक्ष की मेज के सामने (वेल आफ द हाउस) अधजले समाचार-पत्रों का बंडल फेंकना पड़ा।

मुझे दुःख है और थोड़ा आश्चर्य है कि मुझे स्पष्टीकर देने का अवसर दिये बिना ही विशेषाधिकार के प्रश्न को ग्रसीत कर लिया गया जो असाधारण बात है।

मार्च, 1971 से पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-फासीस्ट आतंक का साम्राज्य हो गया और प्रजातन्त्र समाप्त हो रहा है...

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह संगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे दुःख है कि यह संगत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं...

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब कोई व्यक्ति अपना बचाव कर रहा है तो नियमानुसार उसे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। श्री बसु ने आवेश में आकर ऐसा किया।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी इस बात से सहमत है कि उन्होंने आवेश में आकर ऐसा किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहना चाहता हूं जो स्थगत प्रस्ताव की विषय-वस्तु है

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर मैं अन्य चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विचारों की अभिव्यक्ति और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार लोकतंत्र में सर्वथा समाप्त हो गये हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं क्या इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध चर्चा के उद्देश्य से है। प्रश्न केवल मेरी और कागजात फेंकने में उनके आचरण का है। जहां तक इसकी पृष्टभूमि का सम्बन्ध है हमारा कोई विवाद नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सत्ताधारी दल की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर गम्भीर आक्रमण किए गए हैं। सम्पादकों और संवाददाताओं को गम्भीर परिणामों की धमकी दी गयी है। समाचार पत्रों के कार्यालयों पर सत्ताधारी दल ने हमले किए है क्योंकि इन समाचार पत्रों ने भुखमरी से हुई मृत्यु, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, नागरवाला से सम्बन्धित मामले, आदि के बारे में भण्डा फोड़ किया है। यही कारण है कि कागजों को जलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव का अंग नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : अध्यक्ष महोदय, ये सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। कोई भी संसद सदस्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है (अन्तर्बाधाएं) प्रश्न यह है कि उन्हें कल सभा में फिर अपने आचरण का स्पष्टीकरण देना है और उसका औचित्य बताना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि सीमा का अतिक्रमण न करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह स्थगत प्रस्ताव पर आपकी कार्यवाही की चुनौती नहीं दे रहे हैं वह तो कुछ परिस्थियों का उल्लेख कर रहे है (अन्तर्बाधाए) जब हमारी बारी आएगी तो हम अवश्य ही इनका उल्लेख करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समाचार पत्रों को क्यों आग लगाई गई एक संसद सदस्य सहित सत्ताधारी दल ने सार्वजनिक सभा में ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध कई बार धमकियां दी है। हमारे पास फोन और अनेक ऐसे पत्र लाए हैं जिनमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया गया है। ये समाचार पत्र बहुत ही गम्भीर खतरे में है। मैं यहां पर उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। आज मैंने आप पर कोई कटाक्ष नहीं किया है। और न ही आपका अनादर किया है।

श्री विक्रम महाजन : आपने पहले से ही इस मामले को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले का केवल एक ही विकल्प है कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रीमन् मुझे विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जाए। इससे पूर्व भाषा के प्रश्न पर मैं गरम हो गया था और जब मैं बाहर जाना चाहता था तो मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया। मैंने संसद भवन का द्वार तोड़ दिया था जिससे विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया था। परन्तु कांग्रेस दल ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में मतदान ही नहीं किया था तथा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था।

किन्तु इस मामले में सारे सदन को पता है। पता नहीं पत्रों के जलाए जाने पर इतनी आपत्ति क्यों उठाई जा रही है जबकि उन पत्रों को पहले ही पढ़ा जा चुका है। इस छोटे से मामले को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी घटनाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और इन्हें सदन की नियमित प्रथा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बहुत अच्छा होगा कि वह सदन में खड़े होकर इस बात को कहें। अब वह मुझे लिखकर अपना खेद प्रकट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका यह आशय नहीं था। ऐसा करने से मामला समाप्त हो जाता है। किन्तु वह इसके लिए भी तैयार नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह कहा है किन्तु आपने मेरी बात ही नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय : अपने भाषण में यदि आप यह कह देते कि सदन की अवज्ञा करने का आपका कोई आशय नहीं था तो यह घटना ही नहीं घटती। किन्तु अब प्रस्ताव सदन के समक्ष था। किन्तु जब प्रस्ताव सदन में लाया गया था तभी आपने यह कहा था। उस समय तो हम श्री स्टीफन से अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए अनुरोध कर सकते थे। किन्तु वह फिर भी सहमत नहीं हुए।

SHRI B. P. MAURYA (Hapur) : Sir, it is not too late, I request Shri Basu to express his regrets for his act. The House has all powers to withdraw this motion.

अध्यक्ष महोदय : कल जब यह प्रस्ताव लाया गया था तब मैंने भी उनसे यही कहा था कि वे अपने इस काम के लिए खेद प्रकट करें। किन्तु वह सहमत नहीं हुए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वह तो ऐसा कार्य करने के बहुत शौकीन हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। संसद का आन्तरिक कार्य और अधिक लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं को व्यक्त करने का मेरा विशेषाधिकार है और मैं ऐसा बार बार करता रहूंगा (अन्तर्बाधाएं)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मामले में विशेषाधिकार सम्बन्धी कोई बात ही नहीं है। यह तो ठीक है कि श्री बसु का व्यवहार कुछ अशिष्ट आवश्यक है और यह प्रतिष्ठा सम्बन्धी मामला है किन्तु इससे विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता उन्होंने जो कुछ कहा है उत्तेजना में आकर ही कहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ घटनाओं के कारण ही श्री बसु इतने उत्तेजित हुए थे। उन्होंने अपने पत्र में भी इसका उल्लेख किया है। किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह सभा के अपमान का प्रश्न कैसे बन गया। विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिए इस मामले को प्रस्ताव के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री हीरेन मुकर्जी जो अनेक वर्षों तक विशेषाधिकार समिति के भी सदस्य रहे हैं ने यह संकेत दिया है कि यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो विशेषाधिकार समिति को किस प्रकार कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। सभी प्रकार के सदस्यों के बावजूद भी यहां पर कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि इस सभा में पुनः ऐसी घटना नहीं होगी और इस प्रकार यदि इस सभा में हुई प्रत्येक ऐसी घटना को विशेषाधिकार का मामला मान लिया गया तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

इसे अशिष्ट मान कर इसके विरुद्ध किसी और प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है। इस लिए यह उचित होगा यदि हम इस सम्बन्ध में चर्चा और परामर्श करने के पश्चात कोई तरीका या किसी प्रकार की आचार संहिता तैयार कर लें हम सब इस सम्बन्ध में आपके साथ सहयोग करते। किन्तु केवल इसलिए कि सरकार का इस समय भारी बहुमत है सत्ताधारी दल के सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि इसे अवश्य विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। यह बहुत भयानक प्रणाली है और हम इसका अनुमोदन नहीं कर सकते इसलिए इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों से निपटने के लिए अन्य बहुत से तरीके हैं जिस पर शान्ति से बाद में विचार किया जा सकता है। फिर भी यदि इस प्रस्ताव के लिए आग्रह किया गया तो हमारे पास इसका विरोध करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहेगा क्योंकि इससे एक बहुत खतरनाक पद्धति लागू करने का प्रस्ताव है।

SHRI RAM SAHAI PANDEY (Rajnandgaon) : There can be no difference of opinion on the point that the prestige and dignity as well as honour of this House should be maintained by one and all here. We all want to respect and honour you here. 56 crores of our countrymen observe our conduct and behaviour here.

So we have to work and behave ourselves with restraint and wisdom keeping the dignity of this August House above all. We as well as the opposition here both have equal responsibility to protect and maintain the dignity of this House. Keeping all this in view had Shri Basu apologised for what he had done; and for what you and the House had felt sorry; it would have raised not ouly the dignity of House but also that of Shri Basu himself. The people outside could have realised that although we all act here with the best of our senses and responsibility still we were prepared to apologise for what was wrong and what was considered to be wrong. So, it is yet not very late. We should not compel him rather he should correct himslf on his own. It is not new at least for Shri Basu whose party had been ruling in such circum stauces in West Bengal that there have seen incidenis of wiolence fire etc. etc., and we very well understand the reactions one can come across as a result thereof. But still we have to honour the dignity of this August House and should not act so as to hurt or harm it.

श्री दिनेशसिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ यहां सदन में हुआ उससे कोई भी खुश नहीं हुआ होगा स्वयं श्री ज्योतिर्मय बसु भी नहीं। अब हम यहां श्री बसु के व्यवहार संबंधी मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में विचार कर रहे हैं । मैं तो नहीं समझता कि हम से क्या लाभ होगा क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति के विचार के बाद फिर यहीं सभा ने ही इस संबंध में उचित निर्णय करना है ।

विशेषाधिकार समिति को कोई मामला तभी भेजा जाता है जबकि तथ्यों के बारे में विवाद हो या सभा से बाहर के किसी व्यक्ति से पूछ ताछ की जानी हो या किन्हीं आरोपों की जांच करके उत्तरदायित्व निश्चित करना है । परन्तु यहां जो कुछ हुआ है सबके संमुख हुआ, आपके सामने हुआ है, इसलिए यही उचित होगा कि यह सभा ही इस संबंध में कोई निर्णय करे तथा उत्तरदायित्व निश्चित करे ।

मनाननीय सदस्य ने जो पत्र यहां पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि वे दो बातें करने की इच्छा नहीं रखते थे जिनका जिक्र विशेषाधिकार प्रस्ताव में किया गया है । श्री इन्द्रजीत गुप्त का विचार है कि इस मामले पर अब भी यहीं पर विचार किया जा सकता है । यह सच है कि इस में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा कि सभा में कोई चीज फेंकी जाए। जब तक हम अध्यक्षपीठ के प्रति आज्ञाकारिता तथा सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे । सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती और मुझे आशा है यह माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे जिनके बारे में यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा गया है ।

अतः मेरा सुझाव है कि श्री बसु इसे स्वीकार करें तथा दलों के नेता संसदीय कार्य मंत्री से मिल बैठकर विचार कर लें तथा बात को हाथ से जाने देने से पूर्व यहीं इसका कोई हल निकाल लें। अथवा यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जायेगा फिर यहां वापस आये और यह कोई अच्छी बात नहीं होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी जाना चाहता हूं।

श्री जी. विश्वनाथन (वान्डीवाश) : हम सभा की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री दिनेश सिंह ने सुझाव दिया है, हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। श्री जगन्नाथ राव जोशी भी कुछ समय चाहते हैं।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा सुझाव है कि सभा की कार्यवाही को एक घन्टे के लिए स्थगित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को सायं चार बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् सभा की कार्यवाही सायं चार बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha than adjourned till sixteen of tbe Clock

लोक-सभा चार बज कर चार मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled at Four minutes past Sixteen of the Clock

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*)

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा सुझाव है कि नियम 340 के अधीन इस विशेषाधिकार के प्रश्न को स्थगित करके अधिक आवश्यक विषय पर विचार किया जाये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमने तथा सभी मित्रों ने इस मामले पर विचार किया है तथा हमने श्री ज्योतिर्मय बसु से कहा है कि वे एक वक्तव्य दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस सभा का एक आज्ञाकारी सदस्य हूं, आपने मुझे पुकारा नहीं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्रीमन्, सभा के स्थगन होने से पूर्व मैं बोल रहा था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमन् हम इस मामले को और आगे नही बढ़ाना चाहते हैं। यह बात सभी ने अनुभव की है कि कल जो कुछ यहां घटित हुआ वह बड़ी ही अप्रिय बात रही। परन्तु अब बात को फिर से शुरू करना ठीक नहीं है। हमने वह पत्र पढ़ लिया है जो श्री बसु ने आपको लिखा था और उनका कहना है कि सभा की मर्यादा पर आक्षेप अथवा अध्यक्षीय की अवज्ञा करने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। अतः अब यही विचार स्वीकार कर लिया जाए कि ऐसी कोई बात यहां नहीं की जाए जिससे सभा की मर्यादा को ठेस पहुंचे।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Shejpur) : The dignity of this House is th dignity of every Member here and our behaviour here would certainly reflect upon the welfai of the entire nation. But I would point out that the opposition my be weak or less i

number but certainly it is not less important. And sometimes, entirely out of importance or excitement or pressure something undesirable and unpleasant also happens. Then it is not something new or not only in India. Some days ago a big leader in the U.N.O. was seen branding his shoe. Although such things are not at all desirable, yet it should be realised that they happen to mark something behind. I behave that such things can be eliminated if the ruling party also recognises the imortance and significant of the opposition howsoever weak.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Mr. Speaker, Sir, although I too had inadvertently uttered that you would have not been left but to resign in case the Privilege Committee decided against your ruling yet I would submit and assure you that I have nothing like that in my mind. I always wish you the Speaker and we to remain the Members.

श्री जी. विश्वनाथन : मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र जी के मत से पूरी तरह सहमत हूं और हम सभी चाहते हैं कि सभा की मर्यादा तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति आज्ञाकारिता का पालन किया जाए। यह ठीक है कि हम कभी-कभी बहक भी जाते हैं परन्तु इसे सभा के प्रति अथवा अध्यक्ष पीठ के प्रति अपमानजनक बात न समझा जाए। माना कि शासक दल को भारी बहुमत प्राप्त है तथा उनकी ही बात यहां सुनी जाती है परन्तु फिर भी उसे देश-वासियों को यह नहीं दिखाना चाहिए कि वह विपक्ष की कोई भी परवाह नहीं करता तथा क्योंकि श्री बसु नित्य-प्रति सरकार की पोल खोलते हैं तो यह दल उनके खून का प्यासा ही बन जाये । इस संदर्भ में हम शासक दल का सहयोग भी चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी : यद्यपि हमें उक्त घटना से काफी सबक मिल जाना चाहिये तथापि अब यह और भी सिद्ध हो गया है कि लोक सभा का अध्यक्ष सभा की कार्यवाही के दौरान विशेषकर विपक्ष के दलों का रक्षक होता है। आज संसद में शासक दल का जो भारी बहुमत है उस स्थिति में तो अध्यक्ष द्वारा ही लोक तंत्र की रक्षा हो सकती है और इसी भावना को लेकर हम यहां अपना कर्त्तव्य निभाने आते हैं। इस बीच हमसे त्रुटियां भी हुई हैं तथा इसमें से किसी ने भी व्यक्तिगत चोट एक दूसरे को पहुंचाई है परन्तु यह सब कुछ कोई सोची समझी योजना के अनुसार है। हमारी तो इच्छा है कि देश में संसद कार्य करे और अध्यक्ष महोदय उसका सचालन करें और इस प्रकार करें कि देश में लोकतंत्र के हितों की रक्षा हो ।

श्री एस. ए. शमीम (श्रीनगर) : भारतीय खण्ड सहित की धारा 302 के अधीन हत्या के मामले में दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत एक अपवाद है कि यदि हत्या अचानक तथा अत्यधिक रोष दिलाने पर की गई हो तो उसे मृत्यु दण्ड नहीं मिलता। इसी प्रकार श्री बसु ने कहा है कि उनका यह व्यवहार सदन के बाहर तथा भीतर कई बार काफी उत्तेजना का परिणाम है। अतः यद्यपि श्री बसु का व्यवहार अनुचित था तो भी इतना नहीं कि उसे विशेषाधिकार भंग के अपराध के अधीन लाया जा सके ।

जब मन अशान्त हो तो अविवेकपूर्ण कार्य हो ही जाते हैं। माननीय सदस्य ने गुस्से में किसी को कुछ कहा नहीं है। उन्होंने केवल मात्र कुछ कागज ही फेंके हैं और वह भी बहुत अधिक उकसाये जाने पर। एसी घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जहां पर एक सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य

के चपत लगाई थी। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने अब यह सब महसूस कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : सदन में सन्तुलन के लिए सत्तारूढ़ दल में सहिष्णुता तथा संतोष की भावना का होना तथा विरोधी दलों में उत्तरदायित्व की भावना का होना बहुत आवश्यक है। जब यह सन्तुलन न हो तो सहिष्णुता अथवा उत्तरदायित्व की भावना का सदस्यों में से लोप हो जाता है। अतः सदन में सन्तुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसको बनाए रखना आपका कर्तव्य है।

आज जो भी युवक संसद की कार्यवाही देखने के विचार से दर्शक दीर्घा में आएगा वह यहां से प्रोत्साहन लेकर अथवा कुछ सीख नहीं जाएगा।

कल की चर्चा के दौरान कुछ निर्णय किए गए थे। आपने कुछ विनिर्णय दिए थे। आपने श्री ज्योतिर्मय वसु को वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। वक्तव्य से सदन में अशांति उत्पन्न हुई और उस समय कुछ बातें हुईं। मैं समझता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु अपने साथियों के भावों को व्यक्त कर रहे थे। वह कुछ बातों के कारण बहुत अशांत थे। कुछ समाचार पत्र जलाए जा रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि समाचार पत्र की स्वतन्त्रता का नाश किया जा रहा है। उस अशांति में उन्होंने सदन में कुछ कागज भी फेंके। मैं नहीं कह सकता कि यदि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों में होता तो मेरा व्यवहार सभा में क्या होता। यह तो हर एक के स्वभाव पर निर्भर करता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उन्होंने यह व्यवहार बहुत अधिक उकसाये जाने पर किया था। न्यायालय द्वारा दोषी को सजा देने से पूर्व भी उसको मनोवृत्ति पर विचार किया जाता है। अपने वक्तव्य में श्री ज्योतिर्मय बसु ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय की बेइज्जती नहीं की है तथा ऐसा करने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं थी। इससे स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए मेरा इस बारे में एक सुझाव है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आप सदन के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर एक आचार संहिता सुनिश्चित करें और कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि विरोधी पक्ष को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्राप्त हो सकें और सत्तारूढ़ दल को भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पड़ें। हमें अब इस झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसा कि मैंने अपने पत्र में आपको लिखा है मेरा अध्यक्ष पीठ अथवा सदन के प्रति अपमान प्रदर्शित करने का जरा सा भी विचार नहीं था। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें इतना संरक्षण दें कि जो कुछ मैंने कहा है, इस बारे में समाचार पत्रों में गलत कुछ न लिखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी. एम. स्टीफन क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री सी. एम. स्टीफन : मुझे भी स्थिति के स्पष्टीकरण के रूप में कुछ कहने की अनुमति दी जानी चाहिये? यह प्रसन्नता की बात है कि इस विषय पर चर्चा हुई। क्योंकि यह भावना फैल रही थी इस घटना के परिणामस्वरूप सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच रहा था। इसी भावना के कारण मैंने यह प्रश्न सदन में उठाया था।

हमारे मन में बदले की भावना बिल्कुल नहीं थी। अपने एक साथी के विरुद्ध इस प्रकार का प्रश्न उठाने से अधिक दुःखदायी बात और कोई नहीं हो सकती थी। इस चर्चा से मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को यहां उठाना मात्र था और वह उद्देश्य पूरा हो गया है।

यह सभी ने स्वीकार किया है कि सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि सदस्य के विशेषाधिकार भी सदन की सत्ता पर निर्भर करते हैं। यदि सदन को सत्ता प्राप्त नहीं हैं तो सदस्य के विशेषाधिकार भी नहीं बनाए रखे जा सकेंगे।

मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अनुमति की मांग करता हूं।

श्री राजबहादुर : यह प्रसन्नता की बात है कि यह विषय इस प्रकार सन्तोषजनक रूप से हल हो गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं थी। कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी जो नहीं होनी चाहिये थीं। मैं अपने दल की ओर से आपको जहां तक आपके कार्य का संबंध है, पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

मैं विपक्ष के सदस्यों को भी यह आश्वासन देता हूं कि हम देश में लोकतन्त्र की सफलता के लिए भी अपना सहयोग देंगे जिससे कि हमारे देश की सफलता को सारा विश्व भी देखे। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी के न्यास हैं और लोकतन्त्रात्मक उद्देश्यों तथा भावना में हमारा पूर्ण विश्वास है। परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह बात द्वि-पक्षीय है। हम विपक्ष के सदस्यों से भी आशा करेंगे कि हमारी भावनाओं का वे आदर करें। हमें भारी बहुमत प्राप्त हुआ था और उसका आदर किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री स्टीफन को अपना विशेषाधिकार वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

विशेषाधिकार प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया

The privilege motion was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा के दौरान कुछ बहुत से कटु शब्द प्रयोग किए गए। मुझे विश्वास है कि वे उत्तेजना में प्रयोग किए गए। जैसा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों ने कहा है अध्यक्ष का कार्य बहुत कठिन होता जा रहा है। सरकार की हर बात को संशय की दृष्टि से देखा जाता है। इस बात से मुझे दुःख होता है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि हम हर प्रस्ताव का अध्ययन करते हैं और उस बारे में पूर्वोदाहरण देखते हैं। उन पर दी गई व्यवस्थाएं देखते हैं और तब उन्हें स्वीकार किया जाता है। आप सबको अपने ऊपर नाराज देखकर मुझे बहुत दुःख होता है।

सदन में तर्क के आधार पर कार्य चलता है और मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी अवसर पर लिखित नियमों के अनुरूप होने पर किसी भी विषय पर चर्चा को रोका नहीं जाएगा। यदि मैं नियमों के विरुद्ध कोई बात करूं तो आप मुझे रोकें। मैंने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि बहुमत जितना स्पष्ट हो विपक्ष उतना ही आक्रमणात्मक रुख अपनाता है। परन्तु जब आप क्रोध में अथवा

अशिष्ठता में कोई बात कहते हैं तो वह मुझे सुनाई नहीं देतीं। आप भी एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते तथा रिर्पोटर भी आप की बातें नहीं सुन सकते। अतः दोनों पक्षों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के अवसरों से बचा जाए। मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह मानेंगे। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि हम जो कुछ भी यहां कहते हैं अथवा करते हैं वह इसी सदन तक ही सीमित नहीं रहता। समाचार पत्रों तथा अन्य संचार साधनों द्वारा इसका पर्याप्त प्रसार होता है।

संसद सदस्य द्वारा प्रदर्शन के बारे में
Re. Demonstration by Member of Parliment

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, एस. एम. बनर्जी तथा मधु दंडबते ने मुझे श्री शिव शंकर प्रसाद यादव द्वारा प्रदर्शन के बारे में एक पत्र लिखा है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि इस बारे में अपने विचार प्रकट करूं।

इस मामले के तथ्य यह है कि श्री शिव शंकर प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा है कि क्योंकि बिहार में सूखा तथा लगभग दुर्भिक्ष की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा बिहार सरकार कोई भी कारगर कार्यवाही करने में असफल रही है वह संसद भवन में तीन बजे से 48 घंटे की भूख हड़ताल प्रारम्भ करेंगे।

उन्होंने लिखित रूप से यह बताया था कि संसद भवन में भूख हड़ताल अथवा धरना व किसी अन्य प्रकार का प्रदर्शन नियम विरुद्ध है। 7 बजे सदन से स्थगित हो जाने पर श्री यादव भीतरी लाबी में बैठे रहे। कुछ समय बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री राजबहादुर ने उन्हें संसद भवन स्थित उनके कार्यालय के कमरे में जाने के लिये मनाया। उनके बीच कुछ विचार विमर्श हुआ और बाद में संसद सदस्य संसद भवन के बाहर जाकर भवन के द्वार संख्या एक पर धरना देकर बैठ गये। कोई व्यक्ति उनका बिस्तर ले आया और वह वहीं पर सोए। रात्रि 10.15 बजे सुरक्षा तथा प्रतिपालन अधिकारी ने उन्हें संसद भवन के अहाते से बाहर जाने को कहा क्योंकि इस स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। उन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया। अतः मेरे आदेशों से उन्हें सुरक्षा तथा प्रतिपालन सहायकों ने वहां से हटा दिया।

आज सवेरे वे फिर अपने बिस्तर समेत आ गये और वहां बैठ गये। बिस्तर हटाने से मना करने पर उसे उठाकर वाच एण्ड वार्ड आफ़िस में रख दिया गया। वे 11 बजे तक बैठे रहे और वाद में इस सदन में आ गये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिहार तथा देश के अन्य भागों में अकाल की स्थिति होना एक गम्भीर बात है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में ऐक वक्तव्य देगी।

श्री एस एम. बनर्जी : आपको यांद होगा कि इस सदन के एक सदस्य श्री ए. के. गोपालन ने दो अबसरों पर दीर्घा में धरना देने के लिए लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : पर उन्हें उसे वापिस लेने के लिए बाध्य किया गया था।

श्री एस. एम. बनर्जी : यह सही है पर उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी। उसी प्रकार माननीय सदस्य को भी अनुमति मिलनी चाहिये।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Plese listen him.

MR. SPEAKER : You may please finish in a minute.

SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV (Khagaria) : In my Coustituency in a village to boys died see to hunges. When the Hon. Minister gives assurance about the arangement we feel satisfied but when we due that out of the money allocated for six this purpose only 25 percent reaches the sufferers therefore I want that all partly Committee should be constituted for looking into the arrangements made for these people.

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA (Begusarai) : I will request the Hon. member to give away his fast as he is getting village week very.We will bring this matte rin the House with all earnestness.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHBDUR) : I request the hon. member to give away the fast.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय बाद में तैयार करके वक्तव्य दें।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the Table

आसनसोल में चिनाकुरी त्रिपित कोयला खान में कुछ मजदूर संघ प्रतिनिधियों की हत्या के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य को शुद्ध करने वाला बिवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री आर. के. खाडिलकर की ओर से आसनसोल में चिनाकुरी त्रिपित कोयला खान में हाल ही में कुछ मजदूर संघ प्रतिनिधियों की हत्या के समाचार के बारे में ध्यान आकर्षण के उत्तर में 1 अगस्त, 1972 को अपने द्वारा दिए गए वक्तव्य को शुद्ध करने के लिये एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3533/72]

भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. -3534/72]

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसद कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री ए. सी. जार्ज की ओर से सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई, 1972 (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 26 अगस्त, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या का० आ० 485 (ङ.) में प्रकाशित हुए थे।

(2) का० आ० 1896 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार नियम, 1972 के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्त्तन की तारीख निश्चित की गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3535/72]

राज्य सभा से सन्देश

Massage from Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 अगस्त, 1972 को पास किये गये वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक, 1972 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 अगस्त, 1972 को पास किए गए इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के संबंध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उसने उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया :—

(1) श्री महाबीर त्यागी
(2) श्री एम. के. मोहता
(3) श्री बी. टी. कुलकर्णी
(4) श्री जगदीश प्रसाद माथुर
(5) श्री हर्ष देव मालवीय
(6) श्री शलील कुमार गंगुली

(7) डा. एम. ग्रार. व्यास
(8) श्री के. श्रीनिवास राव
(9) श्री एस. जी. सरदेसाई
(10) श्री हिम्मतसिंह
(11) श्री एस. एस. मरीस्वामी
(12) श्री डी. डी. पुरी
(13) श्रीमती सरस्वती प्रधान
(14) श्री हबीब तनवीर
(15) श्री के. बी. रघुनाथ रेड्डी

(चार) कि राज्य सभा ने 28 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में दण्ड प्रक्रिया संहिता, विधेयक, 1970 संबंधी दोनों सभाग्रों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 28वें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

(पांच) कि राज्य सभा ने 28 अगस्त, 1972 को ग्रपनी बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
Delhi University Amendment Bill

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 की ऐक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

50वां प्रतिवेदन

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, 1970 के ग्रध्याय पांच तथा ग्रन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक का वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार, राजस्व, प्राप्तियों के बारे में लोक लेखा समित का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चूना पत्थर ग्रौर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि-विधेयक
Limeston and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): श्री ग्रार. के. खाडिलकर की ग्रोर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूनापत्थर ग्रौर डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों के

कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक

Foreign Exchange Regulation Bill

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. आर. गणेश) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं "कि देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनयमित करने वाली का समेकन विधि और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिये और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनयमित करने वाली का समेकन विधि और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

एक सदस्य द्वारा कुछ प्रयुक्त शब्दों के बारे में

Re : Use of Certain Words by Member.

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले श्री बसन्त साठे ने मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उन्हें मुंह बन्द करना" जैसी बाते कहने के बारे में लिखा था ।

श्री वसन्त साठे अकोलन : मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं लाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु आप के मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : मेरा कहना मात्र इतना है कि किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिऐ । जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सभ्यता पूर्ण नहीं था । यह नहीं होना चाहिए । यदि हो सके तो इसे नियम 380 के अन्तर्गत कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये और मैं इसे आप पर छोड़ता हूं ।

अयक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह सभ्यतापूर्ण नहीं था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायामण्ड हार्बर) : मैं बताना चाहता कि मैंने ऐसा क्यों कहा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका मात्र इतना कहना है कि इसा मसीह का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि वह किसी एक की सम्पत्ति है तो उसे निकाल दिया जाये । मैं श्री वसन्त साठे का आदर करता हूं । और उन्हें स्नेह करता हूं ।

श्री वसन्त साठे : यह पारस्परिक आदान प्रदान की चीज है ।

MR. SPEAKER : The love talks should be done in the lobby and one should have a control on his language in the House. What has God got to do with him ?

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73
Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73

अध्यक्ष महोदय : इन पर भेजे गए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जाने चाहिये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
44	10	श्री श्यामनन्दन मिश्र	भूतपूर्व नरेशों को अन्तः-कालीन भुगतान	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
44	11	श्री आर. वी. वड़े	भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों के कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था न की जाना	राशि घटा कर 100 रुपया कर दी जाए

58	12	श्री आर. वी बड़े	मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी में आने वाली बाढ़ों को नियन्त्रण में करने की आवश्यकता	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए
44	13	श्री ज्योतिर्मय बसु	भारतीय राज्यों के भूत-पूर्व शासकों को 10.07 करोड़ रुपये की कृपापूर्वक अदाएगी किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए
111	14	श्री ज्योतिर्मय बसु	साधारण बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की देय क्षतिपूर्ति में वृद्धि किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए
111	15	श्री ज्योतिर्मय बसु	साधारण बीमा व्यवसाय में भ्रष्टाचार तथा उसके सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं का हाथ।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए
125	16	श्री ज्योतिर्मय बसु	डंकन ब्रादर्स के श्री रामू गोयनका द्वारा नियंत्रित बामेर लारी एण्ड कम्पनी का आर. बी. पी. द्वारा अत्यधिक मूल्यों पर अधि-ग्रहण किए जाने का मामला सरकार और रामू गोयनका के बीच हुए इस सौदे से रामू गोयनका को लगभग 67 लाख रुपये का अति-रिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।	,,

श्री **एस. एम. बनर्जी** (कानपुर) : मैं मांग संख्या 7.44 तथा 111 पर ही बोलूंगा। अन्य मांगों पर बोलने से पहले मैं निराशपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम भत्ता दिये जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है जबकि जीवनव्यपन का सूचकांक जुलाई 1972 में 238 पर पहुंच गया है।

श्री तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair

अब तक यह सूचकांक 240 तक पहुंच गया होगा। अतः बिना वेतन आयोग को लिखे ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाना चाहिये।

हम सब मांग संख्या 7 का स्वागत करते हैं। मांग संख्या 44 से हम सहमत नहीं है क्योंकि 10.75 करोड़ रुपये को सधिकालीन भत्ता भूतपूर्व नरेशों को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी है।

मैं मांग संख्या 111 का भी विरोध करता हूं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ईमानदारी से आयकर देते हैं क्योंकि यह कर उनके वेतन से कटता है। मैं सरकार से अन्तरिम भत्ते तथा वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

श्री बी. आर. शुक्ल (बहराइच) : मैं अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं। जो आशाएं पिछले वर्ष के दौरान उभरी थी। वे अब ठंडी पड़ती जा रही हैं। बैंकों के राष्ट्रीय करण से लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि गरीब लोगों को अब भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हरिजनों को केन्द्रीय योजना अनुसार मकानों के लिए जमीन देने की ओर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गए हैं। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। कार्यपालिका की कथनी और करनी के बीच काफी अन्तर है। सरकार को योजना के कार्यान्वयन की दिशा में गम्भीर होना चाहिये। केवल नारों से कोई काम नहीं चलेगा।

SHRI R. V. BADE (Khargone) : I oppose the Demand No. 63. It has been stated therein that supplementary appropriation of Rs. 77,000/- is required to meet the expenditure in satisfaction of a decretal award against Government. The sale certificates are not issued for many years. The sale certificate should be immediately issued for the evacuee property which has been sold.

In the Demand No. 44, it has been stated that consequent on the constitution Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, on the 28th December, 1971, the privy purses of the former rulers have been abolished and the rights and liabilities, etc., thereof have been extinguished. In order to enable the former rulers to adjust themselves to the changed circumstances, Government have decided to sanction a non-recuirring transitional payment to them. This provision is being made to the former rulers on extreme. Compassionate grouds, but no provision has been made to the employees numbering 10 to 12 thousands.

The Provision has been made to check the floods in Ganges under Demand No. 58, but no provision has been made to check floods in Narmada river.

Regarding birth centenary of Raja Ram Mohan Roy, it has been stated that a provision of Rs. 50,000/- has been made in the current year's budget towards the centenary celebrations, schemes and programmes in respect of Raja Rammohan Roy and Lenin and others. It is not clear as to why the name of Lenin has been added here.

The head office of evacnce property has been shified to Delhi, whereas there were offices in the States. There should be separate offices in each state.

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : आजादी के 25 वर्ष बाद भी लगभग 22 करोड़ व्यक्ति गरीबी से भी निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं । आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और सरकार कीमतों में वृद्धि रोकने में असमर्थ रही है। वर्ष 1969-70 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमरीका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी में कीमतें क्रमश : 65.7%, 45.5%, 44.8%, 41.4%, 32.9%, 28.9% और 26.3% बढ़ी हैं, जबकि हमारे देश में कीमतों में वृद्धि 79.1 प्रतिशत हुई है ।

बेरोजगारी और विशेष रूप से शिक्षित व्यक्तियों के मध्य बेरोजगारी की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बेरोजगारी प्रजातन्त्र के लिए खतरा है। पिछले पांच सालों के दौरान बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या में 318 प्रतिशत वृद्धि हुई है । पंचवर्षीय योजनायें बेरोजगारी की समस्या को हल करने में पूर्णतया विफल रही हैं। आजादी के 25 साल बाद भी 65 प्रतिशत जनता निरक्षर और अशिक्षित है। यह बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बावजूद जनसंख्या में कमी नहीं हो सकी है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और अकुशल प्रशासन कांग्रेस शासन का दूसरा नाम है कथनी और करनी में भारी अन्तर होता है और इससे हमें बचना चाहिए ।

हम काफी समय से यह कहते रहे हैं कि राज्यों में भी शक्तिशाली सरकारें होनी चाहिए ताकि वे आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकें। अनेक मुख्यमन्त्री प्रशासन पर नियन्त्रण रख पाने में असमर्थ है। वे हर सप्ताह हाई कमान का आर्शीवाद प्राप्त करने के लिए दिल्ली का फेरा लगाते हैं। अगर मुख्य मन्त्री को प्रशासनिक पक्ष और संगठन पक्ष में से किसी का भी समर्थन प्राप्त न हो, तो वह भूमि सुधार अथवा शहरी सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों को कैसे क्रियान्वित कर सकता है ?

श्री के. सूर्यनारायण (एलूरू) : वर्ष 1970 की केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने तीन गैर-सरकारी फर्मों को बिना जमानत के 30 लाख रुपये तक की राशि के ऋण प्रदान किये हैं।

मैंने इस सदन में पहले भी दो बार कहा है कि टाडे पल्ली गुडम स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के एजेन्ट ने बैंक की ऋण नीतियों का उल्लंघन करते हुए एक 'धर्मग्रन्थ' को 5 लाख रुपये का ऋण दिया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संस्था को 500 एकड़ भूमि भी दी है, जिसमें प्रति वर्ष खेती नहीं होती है। जब मैंने इस मामले की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाया था तो उन्होंने इस मामले पर गौर करने का वचन दिया है। 20 एकड़ भूमि जिन किसानों के पास है, उन्हें 1,000 रु. अथवा 2,000 रु. के ऋण खड़ी फसल गिरवी रखने अथवा दो व्यक्तियों की जमानत देने पर मिलते हैं। लेकिन 5 लाख रुपये का ऋण बिना किसी जमानत के दे दिया जाता है। वित्त मन्त्रालय को यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शीघ्र सौंप देना चाहिए।

श्री बी. वी. नायक (कनारा : कल आधे घंटे की चर्चा और नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

कार्य सूची में दर्ज थी। आज भी हमें कार्यसूची में दर्ज मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर मद सं. 17 पर विचार नहीं होता, तो मद सं. 18 पर भी विचार नहीं हो सकेगा।

वित्तमंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. आर. गणेश) : अगर श्री ज्योतिर्मय वसु भाषण करेंगे, तो वह अधिक समय लेंगे। इसलिए वांचू समिति की रिपोर्ट के बारे में मुझे सरकार का पक्ष रखने की अनुमति दी जाये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा जाहिर की है कि कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। हम आगे आधा घण्टा और बैठें, तो अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा पूरी हो जायगी।

सभापति महोदय : अनुपूरक अनुदा नों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद वांचू समिति की रिपोर्ट पर विचार होगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : प्रत्यक्ष कर जांच समिति की रिपोर्ट पर उस दिन मुझे बोलने के लिए कहा गया था परन्तु गणपूर्ति न होने के कारण सभा स्थागित हो गई थी। हमारे ग्रुप को भी बहस में भाग लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

श्री राजबहादुर : प्रत्यक्षा कर जाच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बारे में अभी मंत्री महोदय उत्तर दे दें, उसके बाद अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो सकती है

सभापति महोदय : जब एक विषय पर चर्चा हो रही हैं, तो उसे उसी दिन बाद में स्थगित करना विचित्र बात है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्य मंत्रणा/समिति की बैठक में निर्णय किया गया था कि अनुपूरक मांगों के लिये सभा को चार घण्टे का समय दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आप उस समय सभा में उपस्थित थे जब अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया था कि समय में 50 प्रतिशत कटौती की गई है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : जी, नहीं। यह नहीं हो सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि तीन घण्टे का समय मिलेगा।

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ सभा में कहा था वह कार्यवाही वृत्तान्त में उल्लिखित है। जहां तक मुझे याद है उन्होंने मेरी उपस्थिति में सभा में कहा था कि किसी अन्य विषय पर अधिक समय तक चर्चा करने के कारण उस समय में 50 प्रतिशत की कटौतों की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बालमेर लॉरी कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का काम बहुत ही संदिग्ध तरीके के किया गया है। यह काम इस ढंग से किया गया है कि उससे श्री गोयन्का को लाभ पहुंचे। श्री गोखले ने परस्पर विरोधो बातें कही हैं। उनको स्टेट बैंक आफ इण्डिया का निदेशक बना दिया गया है। श्री आर. पी गोयन्का कलकत्ता की शेयर मार्कीट की स्थिति अपनी सुविधा के

अनुसार बना लेते हैं। यह कम्पनी बन्द होने जा रही थी और इसका कोई भविष्य नहीं था। इस के बावजूद सरकार ने एलैक्स लॉरी के 85 रुपये के हिसाब से और बालमेर लॉरी कम्पनी के 95 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदे क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन कारणों से यह कार्यवाही की गई ? कलकत्ता में इन शेयरों का मूल्य 54 रुपये है परन्तु श्री गोखले ने उन्हें 95 रुपये के हिसाब से खरीदा है। क्या यह कार्यवाही जनता के हितों को ध्यान में रखकर की गई है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं बालमेर एंड लॉरी की सहयक कम्पनियों का गत तीन वर्षों का लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है ? उनको बर्ष 1971 में कितना लाभ अथवा हानि हुई जिसको वह छिपा रहे हैं। शेयरों का मूल्य 95 रुपये तक कैसे पहुंच गया ? जब जीवन बीमा निगम और इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी (आई. बी. पी.) का शेयरों पर संयुक्त नियन्त्र है तब उन्होंने उसका नियंत्रण अपने हाथों में क्यों लिया ? मैं इन शेयरों का आन्तरिक मूल्य जानना चाहता हूं। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की सम्पूर्ण जांच करने के लिये इसे लोक लेखा समिति के पास भेज दिया जाये।

सामान्य बीमा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने बहुत उदारता दिखाई है। हमें पता चला है कि संयुक्त प्रवर समिति में कांग्रेस सदस्यों को सचेत किया गया है कि उन्हें 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का विरोध नहीं करना चाहिये। यह कैसा समाजवाद है ? इसका तात्पर्य 5 करोड़ रुपये जमा 32.14 करोड़ रुपये की राशि है। प्रबन्ध की इतनी कमीशन कभी नहीं सुनी गई है। संविधान संशोधन को ऐसे समय पर लाया गया है कि उन लोगों को प्रबन्ध कमीशन दिया जा सके। अतः यह कार्यवाही राष्ट्रीयकरण से पहले ही की गई है। और इसलिये 15 महीने की अवधि तक प्रबन्धकों को 32 लाख रुपये प्रतिमास के हिसाब से कमीशन दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

बर्ष 1971 के चुनावों के दौरान बीमा कम्पनियों के मालिकों ने अपने संसाधनों को इकट्ठा करके प्रधान मंत्री और उनके दल की सहायता की थी ताकि वे चुनाव जीत सकें। इस कार्य में न्यू इण्डिया जनरल एन्शयोरेंस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री शाह ने मुख्य भूमिका निभाई थी जिस दल ने सहायता मांगी थी उसने 40 लाख रुपये की या उतने मूल्य की मोटर गाड़ियों की मांग की थी। फिर एक सौदा हुआ जिसमें लगभग 600 जीपें देने के लिये योजना बनाई गई।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि इस प्रकार के आरोप लगाते समय उनके पास उन को प्रमाणित करने के लिये सामग्री होनी चाहिये। यदि प्रमाण है तो उन्हें अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखना चाहिये कि वह अमुक दस्तावेज़ पेश करना चाहते हैं...

श्री ज्योतिमर्मय : यह चर्चा बजट के बारे में है। राष्ट्रीयकरण के बाद जो व्यवस्था की गई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने एक निदेश दिया हुआ है कि यदि हम अपने भाषण के दौरान कोई दस्तावेज़ सभा-पटल पर रखना चाहें तो हम वह दस्तावेज़ पीठासीन अधिकारी को जांच करने के लिये दे सकते हैं और फिर निर्णय किया जायेगा या मैं आप को दो दिन का नोटिस दे सकता हूं। परन्तु मैं यह दस्तावेज़ आपको अभी दे दूंगा। यह दस्तावेज़ मेरे पास है। कुछ नाम निर्देशित व्यक्तियों के माध्यम से प्रान्तीय कांग्रेस समितयों के लिये किराया-खरीद करार के अधीन

लगभग 600 जीपें और कारें सप्लाई करने की योजना बनाई गई थी । इन व्यक्तियों के पास प्रारम्भ में जमा कराने वाली राशि भी नहीं थी । किराया-खरीद करार मैसर्स जय भातर क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी के साथ किया गया है जिसके प्रबन्धक निदेशक स्वयं श्री बी. के. शाह हैं...

श्री राज बहादुर : ये सब असम्बद्ध बातें हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: न्यू इण्डिया एशियोरेस कम्पनी लिमिटेड ने व्यापक बीमा किया था। प्रारम्भ में अदा की जाने वाली 20 प्रतिशत राशि नकद जमा कराई गई थी । ताकि आय कर वाले न पकड़ सकें । और शेष राशि 18 मासिक किश्तों में दी गई थी सभी कारें मैसर्स महिंदरा एण्ड महिंदरा ने सप्लाई की थी...

श्री राज बहादुर : यह वादविवाद आज समप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे सब प्रकार के बिना सोचे समझे अरोप लगा रहे हैं ।

श्री के. आर. गणेश : अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए माननीय सदस्यों से बादविवाद को विस्तृत बना दिया है । इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिये पूरा समय दिया जाना चाहिये । अन्य माननीय सदस्यों को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जना चाहिये । इन सब बातों का उत्तर भी दिया जाना है । वह ऐसी बातों का उल्लेख कर रहे हैं जिन पर सभा में चर्चा हो चुकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किराया-खरीद के समय यह स्पष्ट था कि यदि किश्तों का भुगतान न किया गया तो न्यू इण्डिया कम्पनी उनको जब्त कर लेगी और वे उनको बेच सकेंगे । इस प्रकार कांग्रेस दल को दो महीनों के लगभग 550 जीपें मिल गई थीं ।

श्री राज बहादुर : यह असम्बद्ध बातें हैं ।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । इस बारे में आप निमम 216 देखिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री ने समाजवाद और प्रगति के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं । अब वह भूतपूर्व राजाओं को संक्रमणकालीन भत्ता देना चाहते हैं । यह राशि 10.75 करोड़ रुपये की है । मैं इस मांग की ओर इस सरकार की निन्दा करता हूं । इस मांग को अस्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इन मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

सभापति महोदय · हमारे पास जो नाम भेजे गये थे उनमें आपका नाम नहीं है । कठिनाई यह है कि आप प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते ।

श्री श्यामनन्द मिश्र : इन मांगों के लिये तीन घण्टे का समय दिया गया है । अतः आप के साथ सहयोग करना कठिन है । हम अनुपूरक मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार कैसे छोड़ सकते हैं ।

सभापति महोदय : आपको अपना नाम भेजना चाहिये था ।

श्री श्यामनन्द मिश्र : हमने यह कभी महसूस नहीं किया था कि आप इतनी गैर-जिम्मेदारी वाला रवैय्या अपनायेंगे ।

सभापति महोदय : क्या आपका दृष्टिकोण उत्तरदात्वपूर्ण है ? आप हमेशा हंगामा मचाते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपका दृष्टिकोण बहुत गैर-जिम्मेदाराना हैं हम यहां वादविवाद करने आये हैं, हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसके लिए तीन घंटे नियत किये थे ।

श्री राज बहादुर : पीठासीन अधिकारी के प्रति सभी सदस्यों को आदर भाव दिखाना चाहिए मेरा प्रभाव है कि 'उत्तरदायित्वपूर्ण' और 'गैर-जिम्मेदारानो' जैसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये ।

सभापति महोदय : इस संबंध में प्रक्रिया है, पीठासीन अधिकारी है या तो किसी सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है अथवा सदस्य बोलने के लिए अपना नाम दे सकते हैं । फिर वे अपने आप कैसे बोल रहे हैं, कठिनाई यह है कि विपक्ष सदस्य चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी उनके कहने पर कार्य करे । आपने अपना नाम नहीं भेजा है तो मैं कैसे जान सकता हूं कि आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन् (बान्डीवाश) : यदि हम नाम नहीं भेज पाते हैं तो पीठासीन अधिकारी को किसी तरह हमें बोलने का अवसर देना चाहिए ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमें काफी प्रयास के वाद 6 बजे इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है । यदि समय कम हैं तो कल भीं इस पर विचार किया जा सकता है । हम चाहते हैं कि इसी सभा में इस विषय पर वाद-विवाद किया जाये । प्रत्यक्ष करों और अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय हैं, इस विषय पर चर्चा करना अति महत्वपूर्ण है । ऐसा हमारा निवेदन है ।

सभापति महोदय : यदि समय रहा तो इस विषय पर चर्चा की जायेगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरे विचार में यहां प्रस्तुत की गई अनुपूरक मांगें अनुदार और कठोर हैं, इसमें समूचे देश के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । यदि मैं इन अनुपूरक मांगों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को दिखाऊँ तो वे इसे फाड़ कर फेंक देंगे ।

इन अनुपूरक मागों से यह परीलक्षित नहीं होता है कि हम गंभीर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, मूल्य सूचकांक 200 से अधिक बढ़ गया है परन्तु सरकार इस भय से सरकारी कर्मचारियों की माँगे पूरा नहीं कर रही हैं कि इससे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारी भी ऐसी मांगे न करने

लग जायें । औद्योगिक विकास मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति बढ़ रही है और यह 6.8 प्रतिशत तक बढ़ गई है । परन्तु प्रत्यक्षतः ऐसा आभास नहीं होता है । आर्थिक क्रियाकलापों की गति मन्द है और देश एक विचित्र स्थिति से गुज़र रहा है ।

हम अध्यक्ष महोदय के आभारी है जिन्होंने हमें भूतपूर्व नरेशों को दी जाने वाली अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के बारे में सूचना दिलवाई है, यह एक अच्छी परंपरा स्थापित की गई है । सरकार की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जोजना हमें अपील नहीं करती है । यह युक्तिसंगत नहीं है । यदि केवल छोटे नरेशों के पुनर्वास हेतु राशि की व्यवस्था की जाती है तो बात समझ में आने वाली होती परन्तु प्रति वर्ष 10 से 20 लाख रुपये प्रिवी पर्स के रुप में पाने वाले नरेशों के लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था की गई है । देश में सूखे की स्थिति और भुखमरी की हालातों में इस प्रकार भूतपूर्व नरेशों के पुनर्वास पर धन व्यय करना सुसंगत नहीं है । जहां तक हमारे दल का संबंध है, हम कम राशि पाने वाले छोटे नरेशों के पुनर्वास पर धन व्यय किये जाने के विरोधी नहीं है परन्तु बड़े नरेशों को दिये जाने वाले धन का हम समर्थन नहीं करते हैं, चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस समय उनके लिए धन की व्यवस्था करना उचित नहीं है । यदि यह धन उनके नाम पर यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी वित्तीय संस्थाओं में लगाया जाता तो इससे निश्चय ही छोटे नरेशों को अधिक लाभ पहुंचता ।

श्रीमती शीला कौल पीठा सीन हुई

[Shrimati Sheila Kaul in the Chair]

इस बात में संदेह नहीं है कि ग्राम बीमा का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य उन व्क्तियों को लाभ पहुंचाना है जिन्होंने चुनावों के दौरान शासक दल की सहायता की थी । एक महाशय को जन्होनें सरकार को बड़ी संख्या में जीपें उपलब्ध की थी, प्रबंध निदेशक बनाया जा रहा है ।

बालमेरा लारी कम्पनी के शेयरों की खरीद के बारे में सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई है, इन शेयरों को ऊँचे मूल्यों पर खरीदने से श्री आर. पी. गोयनका को 67 लाख रुपयों का लाभ हुआ है । हमने इस संबंध में पहले ही अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया था कि इस विषय पर हमें कहने के लिए और अधिक समय दिया जाये क्योंकि मंत्री महोदय के उत्तर में कतिपय कमियां हैं ।

इस विषय पर मैं और अधिक न कहकर इतना कहूंगा कि देश में व्याप्त आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन अनुपूरक मांगों में कुछ नहीं कहा गया है । देश में अकाल पीड़ित लोगों के साथ यह एक मजाक है । हमारा दल भूतपूर्व नरेशों को दी जाने वाली राशि के बारे में अपने विचार कुछ समय पश्चात बताएगा क्योंकि इस संबंध में हमें सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई है ।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K. M. Tiwary in the Chair]

SHR RAM KANWAR (Tonk) : I want to draw the attention of the Government to the plight of the Poor unemployed Labourers who are dying due to stavation. The Government is not drawing out any phased programme for them. The poor labourers, landless labourers,

small farmers are all suffering on account of spirathing prices. The Government talk of their upliftment but practically nothing has been done in this regard.

Rajasthan is facing famine and flood simultaneouly. In some districts people have to face the loss of their cattle, fodder, foodgrains etc. It is my submission that assistance should be given to the people of that State. To counter the situation of drought, measures should be taken to expedite the construction work of Rajasthan canal and other canals so that water may be available.

In our State, backwardness has assumed such proportion that people have to go to other places for employment. The Government should set up iudustries there. I have been drawing the attention of the Hon. Railway Minister to the need of construction of Railway lines these but no concrete result has come uptil now.

At least 50 lakhs labourers belonging to scheduled castes are working in Delhi. They have come here from different States. As they are outsiders, so their children are not getting scholarslips. My submission is that provision should de made to provide scholarslips for their children

श्री के. आर. गणेश : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशेष प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अनुपूरक मांगों की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। देश में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और हमें इस प्रवृत्ति को रोकना है। सरकार इस संबंध में वसूली तथा वितरण के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सरकार श्री मिश्र के इस कथन से सहमत नहीं है कि देश में समूची आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है और इसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मैं उन्हें बता दूं कि जिन समस्याओं का आज हम सामना कर रहे हैं वे उनके समय से अपनायी गई नीतियों के परिणामस्वरूप ही हुई हैं।

इन अनुपूरक मांगों से उन मदों का पता चलता है जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण समझती है और जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं। (व्यवधान) जहां तक सामान्य बीमे के पूर्णतया राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रश्न है राष्ट्रीयकरण विधेयक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया गया है। यह अलग बात है कि उसके लिए कितना मुआवजा दिया गया, इस विषय पर मतभेद भी हो सकता है।

अब भूत-पूर्व नरेशों का मामला लीजिये। सामंतीप्रथा की समाप्ति एक ऐतिहासिक घटना है। हमें यह संस्था ब्रिटिश राज्य से प्राप्त हुई थी और हमें कुछ परिस्थितियों में इसके लिए संविधान में व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब हमने इन नरेशों के लिए कुल संक्रमणकालीन व्यवस्था की है जिससे वे अपने नए जीवन की व्यवस्था कर सकें। हमने उन नरेशों के लिए भी व्यवस्था की है जिन्हें निजी थैलियों के रूप में बहुत थोड़ी धनराशि मिलती थी और जिन्हें वास्तव में धनराशि की आवश्यकता है। हमने इस सम्बन्ध में जो योजना बनाई है उसके विषय में मतभेद हो सकता है परन्तु यह एक तथ्य है कि शासकों की समाप्ति तथा उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति एक ऐतिहासिक घटना है और अनुपूरक मांगों में इसीके लिए व्यवस्था की गई है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र क्षतिपूर्ति की राशि से संतुष्ट नहीं है । सरकार ने संक्रमणकालीन अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने के लिए कभी मना नहीं किया है । संविधान संशोधन विधेयकके प्रति उनके दल ने जो नीति अपनाई मैं उसका स्मरण कराके आप को उत्तेजित कराना नहीं चाहता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमें जिस बात की आशंका थी उसकी पुष्टि हो गई है । राजनैतिक दलों का शोषण करने तथा अपने समर्थकों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना बनाई गई है । हम सदैव ही निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारियों को समाप्त किए जाने के पक्ष में रहे हैं । परन्तु हमने यही मांग की है कि इस सम्बन्ध में पूरी योजना हमारे सामने लायी जानी चाहिए । तभी हम इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं । अतः मंत्री महोदय ने जो कुछ हमारे दल के विषय में कहा है वह सब गलत है ।

सभापति महोदय : आपको जो कहना था आप कह चुके हैं । परन्तु आप मंत्री महोदय से जो कहलवाना चाहते हैं वह नहीं कहला सकते ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह सदन को गुमराह नहीं कर सकते ।

डा० हेनरी ऑस्टिन (एरणाकुलम) . हमारे दल पर तथा सरकार पर सभी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, हम उन्हें शान्ति से सुनते चले आये हैं । अब, जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो आप बाधा क्यों डालते हैं ।

श्री के. आर. गणेश : शासकों को संक्रमणकालीन भत्ता देने के लिए सरकार बचन बद्ध थी । राष्ट्रपति जी ने संसद् के समक्ष अपने अभिभाषण में इसका संदर्भ दिया था । वित्त मंत्री ने राज्य सभा के अपने बजट भाषण में इस का उल्लेख किया था कि शासकों को संक्रमणकालीन भत्ता देने की व्यवस्था है । श्री एस. एम. बनर्जी तथा श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा भत्ता देने की व्यवस्था का विरोध करने की बात तो समझ में आती है परन्तु श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा भत्ते का विरोध करने की बात हमारी समझ में नहीं आती है क्योंकि वह सदैव ही क्षतिपूर्ति देने के पक्ष में रहे हैं ।

इस विधेयक में प्रबन्धकों को भी भुगतान करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि प्रबन्ध का अधिग्रहण किया जाना है । इस्पात तथा उद्योग मंत्री तांबा निगम और तांबे की खानों के अर्जन करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करेंगे । भारत हैवी प्लेट्स के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है । आन्ध्र साईन्टिफिक कम्पनी, जो रक्षा सम्बन्धी नवीनतम उपकरण तैयार करती है, जो स्थिति बहुत खराब थी अतः अच्छी तरह सोच विचार कर सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है जिससे यह ठीक प्रकार कार्यकर सके । आपथैलिमक ग्लास तथा गंगा नियंत्रण आयोए की भी ऐसी ही स्थिति है । इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि हम सामंती प्रथा तथा प्रगति के बाधक तत्वों को समाप्त करना चाहते हैं और अनुपूरक मांगें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदन के सम्मुख पेश की गयी हैं ।

मिश्र जी ने अकाल सम्बन्धी राहत देने की बात उठायी है । यह महत्वपूर्ण बात है । अकाल तथा सूखे की स्थिति के व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ने ऋणों की मात्रा 72.73 करोड़ से बढ़ाकर 108 करोड़ कर दी है । जैसा कि कृषि मंत्री ने बताया है कृषि सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है जिससे सूखे की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके ।

श्री बसु ने बालमेर लारी कम्पनी के विषय में बहुत कुछ कहा है । उन्होंने इन्डो बर्मा पेट्रोलियम के अधिग्रहण के विषय में भी कहा है । इन मामलों पर सदन में विस्तार से विचार किया जा चुका है और पेट्रोलियम और रसायन मंत्री विस्तार से इन वातों का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : इस सौदे में घपला हुआ है ।

श्री के० आर० गणेश : सरकार इस प्रश्न पर विचार कर चुकी है प्रत्येक अंश के मूल्य के सम्बन्ध में भी कंपनी कार्य विभाग के साथ परामर्श करके विस्तार से विचार किया जा चुका है । यूनिट ट्रस्ट तथा कंपनी कानून विभाग के विचार मांगे गए थे और सामान्य मानदंड के आधार पर यह निर्धारण किया गया था । (**व्यवधान**) मैं झूटे आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं । मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने झूठे आरोप लगाए हैं । मैं इन आरोपों को प्रमाणित करने का दायित्व लेने के लिए तैयार हूं । मैंने जो कुछ कहा है वह एक तथ्य है ।

सभापति महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न की आड़ लेकर जो कुछ कहना चाहते हैं, कह लेते हैं । यह ठीक नहीं है ।

श्री के० आर० गणेश : सामान्यतया शेयरों का मूल्य तीन बातों, अर्थात् बाजार मूल्य, परिसम्पत्ति तथा कम्पनी खातों के अनुसार एक शेयर का मूल्य और गत तीन वर्षों के दौरान एक शेयर की आयक्षमता का अनुपात निकाल कर निर्धारित किया जाता है । तीनों में से किसी भी एक बात को लेकर मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता । उपरोक्त आधार पर गणना करके बालमेर लारी कंपनी के शेयरों का आनुपातिक मूल्य 95.60 पैसे आता है ।

यह कहा गया है कि बालमेर लारी कंपनी घाटे में चल रही फर्म है । यह बात गलत है ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मंत्री महोदय किसी दस्तावेज से पढ़कर बता रहे हैं । दस्तावेज को सदन ने पटल पर रखने के लिये कहा जाना चाहिए ।

श्री के. आर. गणेश : यह मेरा अपना तैयार किया हुआ संक्षिप्त विवरण है । कोई दस्तावेज नहीं है । यह ठीक है कि गत कुल वर्षों से बालमेर लारी कार्यकरण के बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहे...

श्री पी. एम. मेहता : मंत्री महोदय किसी दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं, अतः यह सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह कोई दस्तावेज नहीं है अपितु उनका संक्षिप्त विवरण है । उनसे प्रत्येक कागज को पटल पर रखने के लिये नहीं कहा जा सकता ।

श्री **श्यामनन्दन मिश्र** : वह किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से पढ़ कर बता रहे हैं ।

श्री के. श्रार. गणेश : बालमेर लारी कि वर्ष 1969 श्रौर 1970 में क्रमशः 22.27 लाख रुपये का तथा 230.64 लाख रुपये का लाभ हुआ, वर्ष 1971 में 25 लाख रुपये का घाटा हुआ (**व्यवधान**) और यह घटा श्रधिकांशतः टी वेयरहाऊसिंग कम्पनी के कारण हुश्रा । बालमेर लारी तथा उसके सहायक उद्योगों का श्रधिग्रहण तथा उनपर नियंत्रण स्वयं भारतीय तेल निगम के हित के लिये श्रावश्यक था । यह स्वीकृत यूनिट है श्रौर बालमेर लारी का निर्माणात्मक कार्य सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध है । इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी तभी सफलतापूर्वक विकास कर सकती है जब ऐसा किया जाये... (**व्यवधान**)

माननीय मित्र श्री जी. विश्वनाथन ने श्रस्थिरता, बेरोजगारी मंहगाई, बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार की श्रक्षमता तथा भ्रष्टाचार श्रादि के विषय में कहा है । श्राप का दल भी सरकार चला रहा है । सरकार चलाने वालों को थोड़ी गम्भीरता तथा सावधानी के साथ ऐसी बात कहनी चाहिए ।

जहां तक राजनैतिक श्रस्थिरता की बात है, यह दो प्रकार की होतीं है । एक वास्तविक रूप में श्रस्थिरता होती है दूसरी केवल मस्तिष्क की उपज होती है । मस्तिष्क की उपज वाली श्रस्थिरता खतरनाक है ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ाहोता हूं । जिस अस्थिरता की बात मैंने पहले कही थी मंत्री महोदय ने उसी का संदर्भ दिया है । उनके हाथ में जो कागज है मैं उससे यह बात प्रमाणित कर सकता हूं ।

श्री राजबहादुर : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री के. आर. गणेश : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । श्रौर चर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं कटोती प्रस्ताव संख्या 10, 11, 12 तथा 13, 15 को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 10, 11, 12 तथा 13, 16
मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The Cut motion were put and negatived.

महोदय : प्रश्न यह है कि :

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए निम्नलिखित श्रनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following supplement Demands for Grads for the year 1972-73 were put and adoppted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
7.	शिक्षा	1,000
	(वित्त मंत्रालय)	
21.	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,62,000
	(गृह मंत्रालय)	
40.	पुलिस	1,48,12,000
44.	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,75,00,000
	(सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय)	
58.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	5,00,000
	(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)	
74.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	1,95,00,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
76.	खान विभाग	5,26,000
	(परमाणु ऊर्जा विभाग)	
85.	जपरमाणु ऊर्जा विभाग	7,33,000
111.	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	32,14,66,000
113.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,000
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
120.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्य	1,000
	(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	
125.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	75,29,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
129.	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,66,51,000

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1972

Appropration (No. 4) Bill, 1972

सभापति महोदय : श्री के. आर. गणेश

श्री के. आर. गणेश : मैं वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के. आर. गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के. आर. गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motian was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूचि अधिनियम सूत्र..."

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह कैसे कर सकते हैं श्रीमान् ? तीन दिन पूर्व मैंने नियम 218(5) के अधीन पूर्व सूचना और स्पष्टीकरण दी थी और कुछ बातों पर प्रकाश डालने के लिये मैं विनियोग विधेयक पर बोलना चाहता था।

श्री एस. एम. बनर्जी : अनुपूरक मांगों के अतिरिक्त जो बातें हैं उन पर बोलने का हमें पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : आप दोनों तो बोल चुके हैं।

श्री एस. एम. बनर्जी : कृपया एक मिनट के लिये मेरी बात सुन लीजिये। मन्त्री महोदय ने अनेक बातों पर प्रकाश डाला पन्तु हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं अपनी बात दो मिनट में कह दूंगा।

सभापति महोदय : क्योंकि आप दोनों बोल चुके हैं, अतः मुझे क्षमा करें। प्रश्न यह है :

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप नियम 218 रद्द कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं। (अन्तर्बाधा)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 218 के अनुसार जिस सदस्य ने पूर्व सूचना दी हो उसे बोलने का अवसर दिया जा सकता है। अतः मुझे बोलने का अधिकार है।

सभापपि महोदय : आपने पूर्व सूचना तो दी थी परन्तु उसमें कोई भी नुक्ता नया नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : विचार करने के लिये प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है और आप दोनों अपनी बात कह चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छा, आपके कहने पर मैं अपना अवसर छोड़ता हूं।

श्री एस. एम. बनर्जी : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने का क्या हुआ ? जब तक इसे शामिल नहीं किया जाएगा, मैं एक पैसे की भी मन्जूरी नहीं देने दूंगा। और मत विभाजन की मांग करूंगा।

सभापति महोदय : आप किस खण्ड पर मत विभाजन चाहते हैं ? वह प्रस्ताव तो पास भी हो चुका है।

श्री एस. एम. बनर्जी : मैं अपनी मांग वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1,2,3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 1,2,3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के. आर. गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion wos adopted.

चीनी और गन्ने सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Sugar and Sugarcane Policy

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री ।

श्री बी. वी. नायक (कनारा) : मैंने आपको एक पत्र भेजा था और पूछा था कि यह चर्चा आज होगी या कल ? हमें बताया गया था कि यह चर्चा आज ही होगी ।

सभापति महोदय : यदि समय मिला तभी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय किस नियम के अधीन यह वक्तव्य दे रहे हैं ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अध्यक्ष पीठ की आज्ञा से कोई भी मन्त्री वक्तव्य दे सकता है ।

प्रो० मधुदण्डवते : कुछ सदस्यों को यह ज्ञात नहीं है कि नियम 193 के अधीन चर्चा आज होगी या नहीं । यदि यह बता दिया जाए तो हम यह वक्तव्य एकाग्रचित होकर सुन सकते हैं ।

श्री राजबहादुर : यह तो सभा के अधिकार में है मन्त्री महोदय ने वांचू समिति रिपोर्ट पर चर्चा का उत्तर भी देना है ।

श्री सुरेन्द्र महंती : मन्त्री महोदय के उत्तर से पूर्व हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये । कल श्री नायक भाषण कर रहे थे जब सभा स्थगित कर दी गई और मैं अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था ।

श्री राजबहादुर : इसके लिए 3 घंटे का समय था जो पूरा हो चुका है (अन्तर्बाधाएं)

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : महोदय,

मेरे सहयोगी प्रो० शेर सिंह ने 9 अगस्त, 1972 को दिए गए अपने वक्तव्य में यह संकेत दिया था कि सरकार के लिए इस अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व 1972-73 की चीनी और गन्ने की नई नीति की घोषणा करना सम्भव होगा । मैं अब सदन को यह सूचित करता हूं कि आने वाले वर्षों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने की परमावश्यकता और गन्ने के मूल्य तथा अन्य कृषि जिन्सों के मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता और कृषि मूल्य आयोग, राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित संगठनों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर सरकार ने 1972-73 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत उपलब्धि पर 8 रुपये प्रति क्विंटल रखने का निश्चय किया है लेकिन पूर्ण अनुपातिकता के सिद्धान्त के अनुसार उपलब्धि में 8.5 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 9.4 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था है ।

2. सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि चीनी की सांविधिक आंशिक नियन्त्रण की मौजूदा नीति को 1972-73 मौसम के दौरान जारी रखा जाना चाहिए लेकिन लेवी चीनी की प्रतिशतता अब की 63.5 की बजाय 70 होनी चाहिए। 1972-73 के दौरान निर्यात सम्बन्धी वायदों को भी इसी लेवी चीनी से पूरा किया जाएगा। यह भी निश्चय किया गया है कि लेवी चीनी का निर्गम मूल्य देश भर में एक-सा होना चाहिए और खाद विभाग द्वारा इन दरों को एकीकृत करने की योजना तुरन्त तैयार की जानी चाहिए।

3. अगले कुछ वर्षों में चीनी की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन लाने के लिए सोच विचार कर तैयार की गयी और भली प्रकार समन्वित दीर्घकालिक नीति के अन्तर्गत सरकार का उद्देश्य गन्ने का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाने का है जिससे चीनी, गुड़ और खंडसारी निर्माताओं की जरूरतें पूरी की जा सके और उत्पादन में उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण रखने के लिए चीनी का पर्याप्त बफर स्टाक तैयार किया जा सके। सरकार यह समझती है कि गन्ने की पैदावार में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दृष्टि से सुधार लाना साथ में चीनी के उत्पादन के लिए फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करने तथा उनकी क्षमता का विस्तार करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। विशेषतया गन्ने के विकास के लिए थोड़ा अतिरिक्त केन्द्रीय उपकर लगाने के बारे में भी विचार किया जायेगा। गन्ने की उत्पादिता बढ़ाने और उसमें चीनी तत्व की वृद्धि करने के लिए विज्ञान तथा औद्योगिकी का उपयोग किया जायगा। ऐसे कारगर पग उठाने पर विचार किया जाएगा जिससे कि चीनी कारखानों के लिए प्रभावी विस्तार कार्य के साथ-साथ आवश्यक अनुसंधान और विकास विषयक प्रयत्न गठित कर वर्ष के दौरान 200 दिनों के लिए गन्ना पेरना सम्भव हो सके।

श्री राजबहादुर : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कल कहा था कि यदि प्रत्यक्ष-कर जांच समिति पर चर्चा शुक्रवार को सायं 5-30 बजे रखी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नियमानुसार शुक्रवार को अन्तिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत होते हैं। यदि सभी विपक्ष सदस्य सहमत हों तो इसे शुक्रवार को सायं 5-30 बजे रखा जा सकता है।

सभापति महोदय : मेरे विचार में श्री सुरेन्द्र महन्ती को भी थोड़ा समय मिलना चाहिए उसके पश्चात मंत्री महोदय का भाषण और अन्त में श्री ज्योतिर्मय बसु उत्तर दें।

श्री राजबहादुर : ठीक है।

आपटा और मंगलौर के बीच एक नई रेल लाईन के निर्माण के बारे में चर्चा

Discussion re: Constuction of a new Railway line between Apta and Mangalore

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री बी. वी. नायक चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री बी बी नायक : मैं अधिक समय न लेते हुए इतना अवश्य कहूंगा कि यह क्षेत्र यद्यपि प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधनों से भरा पड़ा है फिर भी ब्रिटिश सरकार और हमारी सरकार दोनों ने इसकी हमेशा उपेक्षा की है।

खेद है कि जहां सदस्यगण चीनी तथा अन्य मामलों पर इतने उत्तेजित थे वहां इस महत्वपूर्ण मामले पर वे काफी उदासीन रहे हैं यहां तक कि रेल मन्त्री भी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं।

आज मैंने काफी रोष दिखाया जो उचित ही था और इसके लिए मुझे झाड़ भी खानी पड़ी परन्तु मुझे इसका कोई दुःख नहीं है।

रत्नागिरी, थाना, उत्तरी कनारा, कोलाबा, दक्षिणी कनारा जिलों और केरल के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया है। 1948 के बाद से लेकर अब तक 59,997 किलोमीटर रेल लाईनें बनाई गई हैं परन्तु दक्षिण भारत में एक इंच भी नहीं दी गई है। इन वर्षों के दौरान पश्चिमी तट जो मलाईनाडु कहलाता है और जहां प्राकृतिक सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, की हमेशा उपेक्षा की जा रही है।

यदि मंगलौर और बम्बई के बीच रेल लाईन बनाई गई तो मंगलौर और दिल्ली के बीच की दूरी 3,092 किलोमीटर से कम होकर 2,168 किलोमीटर हो जायेगी।

वर्ष 1970-71 में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य में 326 किलोमीटर तक लाइनें बदली गई हैं परन्तु नई लाइनें केवल 69 किलोमीटर डाली गई हैं।

रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि लागत बहुत अधिक आती है तो इसे रेलवे निर्माण निगम में बनाइये ताकि निर्माण लागत कम की जा सके। यदि स्टेशन बनाये जाने हों तो उनकी संख्या कम कर दी जानी चाहिये। यदि इस लगभग 760 किलोमीटर लम्बे तटवर्ती क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की भी लागत आये तो वह एक प्रकार का विकास व्यय होगा। उससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे क्षेत्र में केरल अथवा समूचे महाराष्ट्र जैसी बेरोजगारी है। इससे बेरोजगारी की समस्या अवश्य हल हो जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आज जब सभा में इतने महत्वपूर्ण विका॰ ॰॰र चर्चा हो रही है और उपस्थिति इतनी कम है इससे प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत तथा पिछड़े क्षेत्रों की समस्या के प्रति कोई दिलचस्पी सदस्यों में नहीं है, विशेषकर उन निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में जो तटवर्ती रेलवे तथा कोंकण रेलवे की समस्या से सम्बन्ध रखते हैं। हमें भारी बहुमत मिला है और कोंकण क्षेत्र अथवा मैसूर क्षेत्र अथवा केरल क्षेत्र में रेलवे चालू तथा बनाई जानी चाहिए।

एक बार इस सभा में एक कटौती प्रस्ताव पर प्रधान मन्त्री ने हस्तक्षेप किया और रेल मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि कोंकण रेलवे का वास्तविक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा आवश्यक मंजूरी दे दी जाएगी। तत्पश्चात प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया गया परन्तु यह निश्चित नहीं है कि यह योजना क्रियान्वित की जायेगी अथवा नहीं। यहां तक कि रेल मन्त्री द्वारा दिये गये कुछ वक्तव्यों से स्पष्ट है कि सरकार पर अधिक भार होने के कारण कोंकण तटवर्ती रेलवे योजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलत नहीं किया जायेगा। संचार के आधुनिक साधनों के बिना कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता है। अतः क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए इन

क्षेत्रों का हमें विकास करना होगा। संचार साधनों के न होने के कारण उद्योगपति तथा उद्यमी वहां उद्योग धंधे स्थापित करने की जोखिम नहीं उठाते हैं। कोंकण से प्रतिभावान व्यक्ति बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं। इस बारे में मार्ग सम्बन्धी विवाद जारी है। महाराष्ट्र के प्रमुख नेता श्री एन. जी. गोरे की अध्यक्षता में बम्बई में कोंकण क्षेत्र विकास सम्मेलन हुआ था। उसके बाद सर्वेक्षकों ने समुद्र से बहुत दूर मार्ग निर्धारित किया जबकि हमने कहा कि मार्ग जहां तक संभव हो समुद्र के किनारे-किनारे होना चाहिए। यदि इस मार्ग को वहीं रखा जाए तो भी हमें स्वीकार्य है परन्तु इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

कोंकण से अच्छे-अच्छे फलों का निर्यात होता है। यह ऐसा स्थान है जहां खनिज सम्पदा विपुल मात्रा में है। अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास अवश्य होना चाहिए।

कोंकण जिले में रत्नागिरि स्थान में एल्यूमीनियम का कारखाना है और यदि वहां यह रेल-लाइन डाल दी जाये तो परिवहन और संचार सुगम हो जायेगा।

हम मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि पांचवीं योजना में यह रेल लाइन बनाई जायेगी।

श्री पी. आर. शिनाय (उदीपी): गत 20 वर्षों में यात्रियों का संख्या में जिस गति से वृद्धि हुई है उस गति से रेल-लाइनों की लम्बाई में वृद्धि नहीं हुई है। न ही यात्री डिब्बों तथा माल-डिब्बों की संख्या में व[illegible] है। हमारे देश में रेलवे के तीन जोनों का विकास करने की आवश्यकता है। पहला पृ[illegible] तथा तीसरा पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र है जो बम्बई से मंगलौर तक है। ब[illegible]गी तक रेल सम्पर्क नहीं है अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब [illegible] अधिक विलम्ब न किया जाये। यदि बम्बई को मंगलौर से रेल द्वारा जोड़ दिया [illegible]ा के पश्चिमी तट पर उत्तर भारत का सम्पर्क दक्षिण भारत से हो जायेगा।

यह लाईन [illegible]मरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देश के समूचे तटवर्ती क्षेत्र में सेनाओं तथा शस्त्रास्त्र के भेजने में इस लाइन से सहायता मिलेगी।

बम्बई और मंगलौर के बीच लाइन डालने का व्यय अनुमानतः 190 करोड़ रुपये है और उसका लाभ अनुमानतः डेढ़ प्रतिशत है। योजना की उपयोगिता को देखते हुए यह लागत अधिक नहीं है। यदि मैसूर, गोआ और महाराष्ट्र की सम्बद्ध सरकारें अपेक्षित भूमि अर्जित करें तो योजना की लागत में कमी की जा सकती है। प्रस्तावित रेल लाइन के आसपास की भूमि की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की अदायगी के सम्बन्ध में विशेष अधिग्रहण अधिनियम पारित किया जा सकता है।

बम्बई-मंगलौर लाइन पर 62 स्टेशन तथा कुछ स्थानों पर बड़े-बड़े अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है, जिस कारण अनुमान अथवा लागत बढ़ गई है। स्टेशनों की संख्या में कमी करके खर्चा कम किया जा सकता है।

यदि इस क्षेत्र में यह रेल लाइन डाल दी जाये तो श्रम-प्रधान योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को इस योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हम चाहते हैं कि यह रेल लाइन बने। केरल के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में इस लाइन के निर्माण से औद्योगिक विकास होगा। इस लाइन से पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण स्थान कोचीन, मंगलौर तथा बम्बई को जोड़ दिया जायेगा और दक्षिण भारत के चार राज्यों के औद्योगिक विकास में वृद्धि ही होगी। इस लाइन के निर्माण से पश्चिमी तट के आर्थिक विकास को योगदान मिलेगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुऐ मंत्री महोदय को चाहिए कि इस लाइन के निर्माण को पांचवीं योजना में सम्मिलित करें।

श्री शंकर राव सावन्त (कोलाबा) : रेलवे से ऐसे स्थानों तक सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है जो भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भिन्न होते हैं। दृष्टि से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों के साथ रेल से जोड़ा जाना चाहिए। कोंकण तथा बम्बई के दक्षिण तक समूचा पश्चिमी तट पिछड़ा हुआ है। गत 70 वर्षों से लोग बम्बई के साथ रेल सम्पर्क की हमेशा बार-बार मांग करते रहे हैं?

जब दो वर्ष पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की थी कि सरकार ने इस लाइन का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है तो जनता को कुछ राहत मिली परन्तु बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि अभी इसमें समय लगेगा।

जो सर्वेक्षण 1971 से पहले पूरा किया जाना चाहिये था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोलाबा और रत्नागिरि जिलों में लाइन के मार्ग-रेखा निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद हुआ था। इस वर्ष अनावश्यक रूप से वह विवाद उठाया गया है। यह सही है कि दूसरी लागत अधिक होगी क्योंकि नदियों पर पुल बनाने होंगे और इसमें समय भी लगेगा।

तीन महीने पहले बम्बई तथा कोंकण के संसद सदस्यों ने ज्ञापन दिया था कि वे बीच के भाग में इस निर्माण को तरजीह क्यों देना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि लोगों की इस तत्काल मांग को समाप्त किया जा सके। मुझे आशा है कि नये रेल मंत्री इस मांग पर पर ध्यान देते हुए इसी वित्तीय वर्ष में इस दिशा में कार्य आरम्भ कर देंगे।

महाराष्ट्र तथा गोआ के मुख्य मंत्रियों ने रेल मंत्री को पत्र लिख दिया है कि इस कार्य में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

जो भूप्रदेश सम्बन्धी कठिनाइयां पूर्वी तट पर हैं वैसी ही पश्चिमी तट पर हैं अतः पश्चिमी तट पर रेल लाइन होनी चाहिए।

जो लाइन सबसे सस्ती और लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो वही शीघ्रता से बनाई जाये। कोंकण की ओर से कोई विवाद नहीं होगा। रेल मंत्रालय को शीघ्र कार्य करना चाहिए और इस रेल लाइन को समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

मंत्री महोदय को घोषणा करनी चाहिए कि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस लाइन का कुछ कार्य इसी वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जाएगा ।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस सभा को ज्ञात है कि स्वर्गीय श्री नाथ पाई ने इस योजना की पहल की थी तथा 1970 में ट्रैफिक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी । बाद में इस रेल लाइन के मार्ग-रेखा निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद भी हुआ था ।

आपटा से मंगलौर तक की प्रस्तावित रेल लाइन महाराष्ट्र के कोलाबा तथा रत्नगिरि जिलों, गोआ, और मैसूर के उत्तर तथा दक्षिण कनारा जिलों से निकलती है अतः हमें इन क्षेत्रों के लोगों की राय लेनी पड़ी है । रेलवे ने इसके मार्ग-रेखा निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद का कमी लाभ उठाना नहीं चाहा । सरकार की यह नीति रही है कि दक्षिणी राज्यों के सभी प्रदेश विकसित हों । इस संबंध में रेलवे योजना आयोग के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और योजना आयोग इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें करेगा ।

प्रारंभिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि मंलगौर से आपटा तक बड़ी लाइन के इस सेक्शन की लम्बाई लगभग 909 किलोमीटर है और इस नई लाइन की लागत लगभग 213 करोड़ रुपये होगी । श्री नायक ने कहा है कि सरकार इस रेल लाइन के विरुद्ध है परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि रेल मन्त्रालय की उस क्षेत्र के लोगों के साथ पूरी सद्भावना है ।...(व्यवधान) श्री नायक ने रेलवे निर्माण निगम की स्थापना का सुझाव दिया था ताकि निर्माण लागत में कमी की जा सके । हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह रेल लाइन बने ।

इस लाइन के बारे में उचित समय आने पर विचार किया जायेगा तथा मैं यह तो आश्वासन नहीं दे सकता कि इस योजना अथवा आगामी योजना में कार्य आरम्भ किया जायेगा परन्तु ज्योंही रेलवे की वित्तीय स्थिति तथा संसाधन सुधारेंगे इस प्रदेश के विकास का सदैव ध्यान रखा जाएगा ।

इस विशेष क्षेत्र में जब निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा तो इस विशेष लाइन को तरजीह दी जाएगी ।

इस बारे में कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव भी हैं । एक आपटा से रत्नागिरि लाइन का प्रस्ताव है जो 286 किलोमीटर लम्बी होगी तथा जिस पर लगभग 64 करोड़ रुपये लागत आएगी । दूसरा विकल्प मंगलौर से अमरगांव लाइन के बारे में है जो 330 किलोमीटर लम्बी होगी और उस पर 81.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी । परन्तु अन्तिम लक्ष्य आपटा को मंगलौर से जोड़ने का है ।

ये सभी प्रतिवेदन, सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा वैकल्पिक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के समक्ष हैं तथा हम इन पर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

मेरे लिए यह कहना, कि हम इसे पांचवीं योजना में आरंभ नहीं करेंगे, समय पूर्व कथन होगा । मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि साधन उपलब्ध होने पर सभी कुछ किया जाएगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 30 अगस्त, 1972/8 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 30 August, 1972/Bhadra 8, 1894 (Saka).